खण्ड-356, अंक-4
शनिवार, 22 फाल्गुन, शक संवत् 1903
(13 मार्च, 1982 ई0)

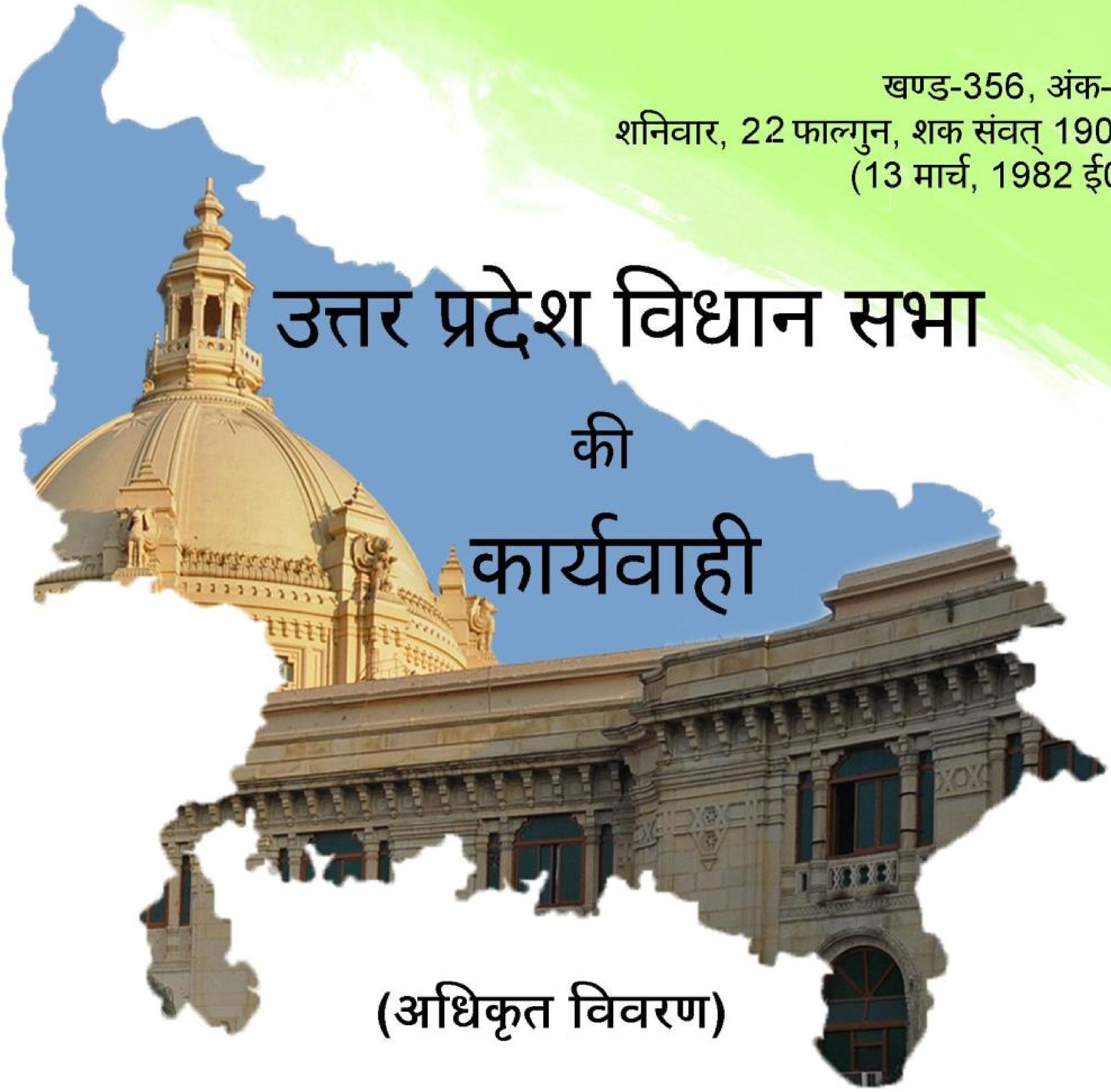

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 356 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश (भारत)
1983

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य	397–400
शारदा नहर का पानी कल्याणी नदी में छोड़ दिये जाने से तहसील फतेहपुर (बाराबंकी) के कतिपय ग्रामों में बाढ़ से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	401
क्षय रोगाश्रम, भुवाली में सात दुकानों में असामाजिक तत्वों द्वारा आग लगा देने के सम्बन्ध में नियम 301 अन्तर्गत सूचना ..	401–402
एटा के जनपदीय पत्रकार संघ के महामंत्री श्री महेश कुमार मिश्र को जिला प्रशासन द्वारा प्रताड़ित किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	402
चारबाग रेलवे स्टेशन पर रिक्शेवालों से कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा जबरन टैक्स की वसूली के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	402–403
सराय मालो खां लखनऊ निवासी, श्री सूरज प्रसाद वर्मा की पत्नी श्रीमती मुन्नी देवी का बदमाश विपिन कुमार द्वारा अपहरण कर हत्या किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना..	403
देवरिया में चकबन्दी में हुई अनियमितताओं के संबंध में पूछे गये प्रश्नों के उत्तरों से सम्बन्धित विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय .	404
कतिपय सदस्यों द्वारा जगजीवन राम वाली कांग्रेस के सदस्य के रूप में कार्य करने की सूचना ..	404
कार्य मंत्रणा समिति द्वारा समय निर्धारण का प्रस्ताव (स्वीकृत) ..	405
जिला स्तर पर होने वाली बैठकों की अध्यक्षता प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा किये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न ..	406–409
कार्य स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं ..	409–412
1982–83 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान–अनुदान संख्या 18 ग्राम्य विकास विभाग, अनुदान संख्या 30–पंचायती राज विभाग तथा अनुदान संख्या 80–क्षेत्रीय विकास विभाग (स्वीकृत) ..	413–475
उत्तर प्रदेश जिला परिषद (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक 1982 को न्याय मंत्री द्वारा प्रस्तुत किये जाने पर आपत्ति ..	475–476
उत्तर प्रदेश जिला परिषद (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1982 (पारित) ..	476–479

विषय	पृष्ठ संख्या
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं	489
ग्राम सराऊं थाना भमौरा, जनपद बरेली में हरिजन युवती श्रीमती जयमन्ती के साथ सवर्णों एवं ग्राम बिहारीपुर में थाना अध्यक्ष भमौरा, श्री जयपाल सिंह द्वारा बलात्कार के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य ..	489–497
सदन में दर्शक दीर्घा से चप्पल फेंके जाने की घटना ..	498–505

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शनिवार, दिनांक 13 मार्च, 1982

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में दिन में 11 बजकर 1 मिनट पर अध्यक्ष, श्री श्रीपति मिश्र की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य 289

अकबर हुसैन, श्री (मुरादाबाद)
अजहर ईमाम, श्री (मिर्जापुर)
अजीजुर्रहमान, श्री (बिजनौर)
अजीत कुमार सिंह, श्री (कानपुर)
अजीत सिंह सेठी, श्री (मेरठ)
अनवार खां, श्री (अलीगढ़)
अनवार मुहम्मद खां, श्री (फर्रुखाबाद)
अबुल कलाम, श्री (आजमगढ़)
अब्दुल रहमान खां नश्तर, श्री (कानपुर)
अमर सिंह, श्री (सहारनपुर)
अम्बिका सिंह, श्री (बस्ती)
अम्मार रिजवी, श्री (सीतापुर)
इन्द्र प्रताप सिंह, श्री (लल्लू) (बहराइच)
ईश्वर शरण विद्यार्थी, श्री (इलाहाबाद)
उदयवीर सिंह, श्री (शाहजहांपुर)
उमेश्वर प्रताप सिंह, श्री (गोंडा)
उर्मिला अग्निहोत्री, कुमारी (एटा)
ए0 सी0 ग्राइस, श्री (नाम निर्देशित आंग्ल भारतीय) (कानपुर)
ओम प्रकाश जिन्दल, श्री (आगरा)
ओम प्रकाश रिछारिया, श्री (ललितपुर)
कन्हैया लाल, श्री (मथुरा)
कन्हैया लाल महेन्दू, श्री (लखनऊ)
कमला दरियाबादी, श्रीमती (कानपुर)
कमला देवी, श्रीमती (हरदोई)
कमला प्रसाद सिंह, श्री (जौनपुर)
कमला साहनी, श्रीमती (बस्ती)
कल्यान सिंह सोलंकी, श्री (बरेली)
कल्लू राम, श्री (मिर्जापुर)
किरनपाल सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
कुंवर बहादुर मिश्र, श्री (हमीरपुर)
कुंवर सिंह नेगी, श्री (चमोली)
कुदसिया बेगम, श्रीमती (हरदोई)
कुबंर भंडारी, श्री (देवरिया)
कृष्ण कुमार शुक्ल, श्री (रायबरेली)
कृष्णदत्त, श्री (उर्फ बालराज) (फतेहपुर)
कृष्ण मगन सिंह, श्री (बाराबंकी)
केदारनाथ सिंह, श्री (गोरखपुर)
केशरी प्रसाद, श्री (जौनपुर)
केशोराम, श्री (बदायूं)
कैलाश टण्डन, श्री (वाराणसी)
कैलाश प्रसाद, श्री (गोरखपुर)
खरपत, श्री (वाराणसी)
खान गुफरान जाहिदी, श्री (फतेहपुर)
खुदादीन अन्सारी, श्री (देवरिया)
खर्शेद अहमद, श्री (बहराइच)
खुशहाल सिंह रांगड़, श्री (टिहरीगढ़वाल)
खैरुल बशर, श्री (आजमगढ़)
गंगा सागर शंखवार, श्री (कानपुर)
गजेन्द्र सिंह, श्री (बाराबंकी)
गया सिंह, श्री (उन्नाव)
गुलाब सिंह, श्री (देहरादून)
गुलाम नबी, श्री (आगरा)
गेंदा देवी, श्रीमती (बस्ती)
गोपाल राम दास, श्री (अल्मोड़ा)
गोपी नाथ दीक्षित, श्री (उन्नाव)
गोपी नाथ वर्मा, श्री (फैजाबाद)
गोरे लाल शाक्य, श्री (इटावा)
गोवर्द्धन तिवारी, श्री (अल्मोड़ा)
गौरी देवी, श्रीमती (गोरखपुर)
गौरी शंकर एडवोकेट, श्री (इटावा)
गौरी शंकर भैय्या, श्री (बलिया)
चन्दन सिंह, श्री (मथुरा)
चन्द्र प्रकाश शर्मा, प्रो0 (बांदा)
चन्द्रबली ब्रह्मचारी, श्री (आजमगढ़)
चन्द्र मोहन सिंह नेगी, श्री (पौड़ी-गढ़वाल)
चन्द्र शेखर त्रिवेदी, श्री (लखनऊ)
चन्द्र सिंह, श्री (मेरठ)
चरनजीत सिंह, श्री (पीलीभीत)
चारु चन्द्र ओझा, श्री (पिथौरागढ़)
चेतराम गंगवार, श्री (बरेली)
छत्तर सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
छेदा लाल चौधरी, श्री (खीरी)
छेदी लाल, श्री (गोंडा)
जंग बहादुर, श्री (जौनपुर)

जगदीश नरायन, श्री (फतेहपुर)
जगदीश प्रसाद, श्री (इलाहाबाद)
जटाशंकर सिंह, श्री (बहराइच)
जनार्दन प्रसाद, ओझा, श्री (गोरखपुर)
जमुना प्रसाद, श्री (बाराबंकी)
जसवन्त सिंह विष्ट, श्री (अल्मोड़ा)
जितेन्द्रपाल सिंह, श्री (मुरादाबाद)
जियाराम शुक्ल 'विकल 'साकेती', श्री (फैजाबाद)
जीराज सिंह मौर्य, श्री (मुरादाबाद)
जैराज गौतम, श्री (सुल्तानपुर)
झिलमिट राम, श्री (गाजीपुर)
तपेश्वर, श्री (आजमगढ़)
तेजनरायन त्रिवेदी, श्री (खीरी)
तेजबहादुर सिंह, श्री (जौनपुर)
तेज बहादुर गंगवार, श्री (पीलीभीत)
त्रिवेनी, श्री (आजमगढ़)
थम्मन सिंह गहलौत, श्री (बिजनौर)
दलगंजन सिंह, श्री (जालौन)
दामोदर शर्मा, श्री (मेरठ)
दिवाकर विक्रम सिंह, श्री (बस्ती)
दीना नाथ, श्री (बस्ती)
दीपक कुमार, श्री (मुजफ्फरनगर)
दीप नारायन वन महन्थ, श्री (गोंडा)
दीपू उर्फ दीप नारायण, श्री (आजमगढ़)
दुर्गा प्रसाद मिश्र, श्री (देवरिया)
दूधनाथ राजभर, श्री (आजमगढ़)
देवी प्रसाद, श्री (बहराइच)
देवेन्द्र पाण्डेय, श्री (सुल्तानपुर)
देवेन्द्र बहादुर सिंह, श्री (कानपुर)
द्वारिका नाथ धवन, श्री (देहरादून)
धनीराम वर्मा, श्री (इटावा)
धनेश्वरी देवी, श्रीमती (वाराणसी)
धर्म सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
ध्रुपराय, श्री (देवरिया)
नकली सिंह, श्री (मुजफ्फरनगर)
नत्थू लाल, श्री (हरदोई)
नन्द किशोर सिंह, श्री (देवरिया)
नन्द राम, श्री (बरेली)
नरेन्द्र सिंह भण्डारी, श्री (पौड़ी गढ़वाल)
नरेन्द्र सिंह विष्ट, श्री (पिथौरागढ़)
नरेश चन्द्र अग्रवाल, श्री (हरदोई)
नाजिर अली, श्री (शाहजहांपुर)
नियाज हसन खां, श्री (प्रतापगढ़)
नेत्रपाल सिंह, (एटा)

पंचानन राय, श्री (आजमगढ़)
पन्ने लाल, श्री (गोरखपुर)
परमाई लाल, श्री (हरदोई)
परमात्मा प्रसाद सिंह, श्री (बस्ती)
परागी लाल चौधरी, श्री (सीतापुर)
पहलवान, श्री (जौनपुर)
पारवती देवी, श्रीमती (बाराबंकी)
पूरन चन्द्र, श्री (अलीगढ़)
प्रताप नारायण द्विवेदी, श्री (हमीरपुर)
प्रदीप कुमार यादव, श्री (बाराबंकी)
प्रभाकर नाथ द्विवेदी, श्री (प्रतापगढ़)
प्रभू नारायण सिंह, श्री (जौनपुर)
प्रमोद कुमार, श्री (प्रतापगढ़)
प्रियदर्शी जेतली, श्री (फैजाबाद)
फखरे आलम, श्री (बदायूं)
फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री (गोरखपुर)
बंशीधर, श्री (रामपुर)
बनवारी राम, श्री (वाराणसी)
बलराम सिंह यादव, श्री (इटावा)
बलबीर सिंह, श्री (फर्रुखाबाद)
बल्देव सिंह आर्य, श्री (उत्तरकाशी)
बाबू राम, श्री (पीलीभीत)
बाबूलाल, श्री (गोंडा)
बाबू लाल, श्री (हमीरपुर)
बिहारी लाल, श्री (नैनीताल)
बृज किशोर मिश्र, डा० (देवरिया)
बेनी बाई, श्रीमती (झांसी)
भगवती सिंह विशारद, श्री (उन्नाव)
भागीरथ, श्री (झांसी)
भास्कर पाण्डेय, श्री (देवरिया)
भूपसिंह केन, श्री (गाजियाबाद)
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री (गोरखपुर)
भोला पाण्डेय, श्री (बलिया)
मंगलदेव, श्री (गोंडा)
मण्डलेश्वर सिंह, श्री (आगरा)
मथुरा प्रसाद पाण्डेय, श्री (बस्ती)
मसरुर जाफरी, श्री (उर्फ शबरोज) (गोंडा)
महावीर सिंह, श्री (सहारनपुर)
महराज सिंह, श्री (आगरा)
महारानी दोहरे, श्रीमती (इटावा)
महेश प्रसाद, श्री (देवरिया)
माण्डवी प्रसाद सिंह, श्री (वाराणसी)
माता प्रसाद पाण्डेय, श्री (बस्ती)
माधव प्रसाद, श्री (फैजाबाद)

मान बहादुर, श्री (गोंडा)
मारकण्डेय चन्द्र, श्री (गोरखपुर)
मित्रसेन, श्री (फैजाबाद)
मीरमजहर अली, श्री (बदायूं)
मुईद अहमद, श्री (सुल्तानपुर)
मुख्तार अनीस, श्री (सीतापुर)
मुरलीधर मुनीम, श्री (गोंडा)
मुहम्मद अजम खां, श्री (रामपुर)
मेंहदी असगर, श्री (मुजफ्फरनगर)
मोती लाल देहलवी, श्री (कानपुर)
मोहन सिंह, श्री (देवरिया)
मोहम्मद अबरार अहमद, श्री (बदायूं)
मोहम्मद उमर, डाक्टर (गोंडा)
मोहम्मद रफी सिद्दीकी, श्री (लखनऊ)
मोहम्मद सफीउर्रहमान अन्सारी, श्री (वाराणसी)
यशपाल सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
यशपाल सिंह, श्री (सहारनपुर)
यादवेन्द्र सिंह, श्री (उर्फ ललन जी) (गोरखपुर)
रघुराज प्रसाद उपाध्याय, श्री (गोंडा)
रघुवीर सिंह यादव, श्री (मैनपुरी)
रमा कान्त मिश्र, श्री (इलाहाबाद)
रमेश चन्द्र, श्री (रायबरेली)
राज किशोर राव, श्री (बहराइच)
राज कुमार राय, श्री (आजमगढ़)
राजपति देवी, श्रीमती (सुल्तानपुर)
राजपाल सिंह, श्री (मुरादाबाद)
राज मंगल पाण्डेय, श्री (देवरिया)
राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री (सीतापुर)
राजेन्द्र त्रिपाठी, श्री (इलाहाबाद)
राजेन्द्र सिंह, श्री (अलीगढ़)
राधेश्याम पटेल, श्री (इलाहाबाद)
राधेश्याम वर्मा, श्री (फर्रुखाबाद)
राम अवध प्रसाद, श्री (बस्ती)
राम आसरे पासवान, श्री (बस्ती)
राम आसरे वर्मा, श्री (हरदोई)
राम औतार दीक्षित, श्री (हरदोई)
राम करन, श्री (वाराणसी)
राम कुंवर सिंह, श्री (आजमगढ़)
राम कुमार भार्गव, श्री (सीतापुर)
राम कृष्ण उपाध्याय, श्री (जौनपुर)
राम कृष्ण माहेश्वरी, श्री (मुरादाबाद)
राम गोविन्द, श्री (बलिया)
राम चन्द्र, श्री (वाराणसी)
राम चरण सिंह, श्री (मिर्जापुर)
राम जनम सिंह, श्री (वाराणसी)
रामजी राम, श्री (फैजाबाद)
राम धनी, श्री (गाजीपुर)
राम नारायन (एडवोकेट), श्री (गाजीपुर)
राम नरेश शुक्ल, श्री (प्रतापगढ़)
राम प्यारे पाण्डेय, श्री (फतेहपुर)
राम प्रसाद, श्री (मुजफ्फरनगर)
राम यश सिंह, श्री (सहारनपुर)
राम रतन सिंह, श्री (सीतापुर)
राम लाल, श्री (सीतापुर)
राम लाल वर्मा, श्री (हरदोई)
राम शिरोमणि, श्री (जौनपुर)
राम समुझावन, श्री (जौनपुर)
राम सागर, श्री (बाराबंकी)
राम सिंह, श्री (सुल्तानपुर)
राम सिंह खन्ना, श्री (बरेली)
राम सेवक, श्री सुल्तानपुर)
राम हर्ष मिश्र, श्री (बहराइच)
रामेश्वर नाथ चौबे, श्री (बरेली)
रामेश्वर प्रसाद, श्री (बांदा)
रिजवानुर्रहमान किदवई, श्री (बाराबंकी)
रियासत हुसैन, श्री (मुरादाबाद)
रुद्र प्रताप सिंह, श्री (देवरिया)
रुल्हा सिंह, श्री (सहारनपुर)
लल्लू सिंह चौहान, श्री (मैनपुरी)
लाल प्रताप सिंह, श्री (प्रतापगढ़)
वासुदेव सिंह, श्री (प्रतापगढ़)
विजय कुमार, श्री (लखनऊ)
विजय प्रकाश, श्री (इलाहाबाद)
विजय शंकर सिंह, श्री (गाजीपुर)
विद्या भूषण, श्री (मुजफ्फरनगर)
विमला राकेश, श्रीमती (सहारनपुर)
विशन लाल, श्री (बिजनौर)
विश्राम दास, श्री (इलाहाबाद)
विष्णु दयाल वर्मा, श्री (मैनपुरी)
शंकर सिंह, श्री (जालौन)
शम्भू नाथ, श्री (आजमगढ़)
शिरोमणि, श्री (बांदा)
शिव दर्शन, श्री (रायबरेली)
शिव नरेश, श्री (बांदा)
शिव नारायण सिंह नेगी, श्री (नैनीताल)
शिवपाल सिंह, श्री (उन्नाव)
शिव बालक, श्री (रायबरेली)
शिवानन्द नौटियाल, डाक्टर (पौड़ी-गढ़वाल)

शेर बहादुर, श्री (फैजाबाद)
शौनाथ सिंह, श्री (बिजनौर)
श्याम लाल बाजपेयी, श्री (बाराबंकी)
श्याम सूरत उपाध्याय, श्री (इलाहाबाद)
श्रीकृष्ण गोयल, श्री (बदायूं)
श्रीनाथ सिंह, श्री (वाराणसी)
श्रीपति मिश्र, श्री (सुल्तानपुर)
संकठा प्रसाद शास्त्री, श्री (वाराणसी)
सतीश अजमानी, श्री (खीरी)
सतीश चन्द्र जायसवाल, श्री (इलाहाबाद)
सत्यपाल सिंह, श्री (शाहजहांपुर)
सन्त बक्स रावत, श्री (लखनऊ)
सन्तोष कुमारी, श्रीमती (बदायूं)
सरदार सिंह, श्री (मथुरा)
साहब सिंह, श्री (गाजीपुर)
सिकन्दर अली खां, श्री (शाहजहांपुर)
सीताराम निषाद, श्री (फैजाबाद)
सुखवीर सिंह गहलौत, श्री (गाजियाबाद)
सुग्रीव सिंह, श्री (देवरिया)
सुन्दर सिंह, श्री (बहराइच)
सुमन लता दीक्षित, कुमारी (कानपुर)
सुरेन्द्र प्रताप नारायण, श्री (बस्ती)
सुरेन्द्र सिंह चौहान, श्री (अलीगढ़)
सूल्तान सिंह, श्री (मुरादाबाद)
सूर्यनाथ उपाध्याय, श्री (जौनपुर)
स्वरूप कुमारी बख्शी, श्रीमती (लखनऊ)
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री (हमीरपुर)
हंसराज सिंह वर्मा, श्री (एटा)
हरदेव, श्री (बलिया)
हरबंश प्रसाद पाण्डेय, श्री (बांदा)
हरिद्वार पाण्डेय, श्री (गोरखपुर)
हरि प्रसाद, श्री (उन्नाव)
हरिवंश सहाय, श्री (देवरिया)
हरि सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
हरी किशन श्रीवास्तव, श्री (कानपुर)
हरीशंकर, श्री (हरदोई)
हाफिज मोहम्मद सिद्दीक, श्री (मुरादाबाद)
हुकम सिंह, श्री (मुजफ्फरनगर)
हेमचन्द निमेष, श्री (मेरठ)

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश विधानसभा नदिंक 13 मार्च, 1982

शारदा नहर का पानी कल्याणी नदी में छोड़ दिये जाने से तहसील फतेहपुर (बाराबंकी) के कतिपय ग्रामों में बाढ़ से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

[समय 11 बजे पूर्वान्ह]

*श्री जमुना प्रसाद--

अध्यक्ष महोदय, मैं इस माननीय सदन का ध्यान एक अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर आकर्षित करते हुये निवेदन करना चाहता हूं कि जनपद बाराबंकी के मेरे निर्वाचन तहसील, फतेहपुर में कल्याणी नदी बहती है और शारदा सहायक परियोजना द्वारा कल्याणी नदी पूर्वी व पश्चिमी क्षेत्र को क्रमशः दरावां व बड़ावा साइफनों द्वारा पार करती है इन साइफनों द्वारा शारदा नहर का पानी छोड़े जाने की कल्याणी नदी में सुविधा है । जबकि कल्याणी नदी में खुद स्वयं के पानी को बहा ले जाने की क्षमता नहीं है, इसके बावजूद सिंचाई विभाग, बाराबंकी द्वारा कल्याणी नदी में शारदा सहायक नहर का पानी बराबर चल रहा है जिससे नदी में भयानक बाढ़ आयी हुई है । नदी के तटवर्ती गांव कुतुबपुर, टोकापुर, पैगुवां, रन्डवारा, महानपुर रसियां, हसनपुर टांडा, पटना, फतहापुर आदि की भूमि अधिकांश जलमग्न है । जिससे गांव में जानवरों के चारे का अभाव है तथा फसलों के नष्ट होने से भयावह स्थिति उत्पन्न हो गयी है लोग भुखमरी के शिकार हो रहे हैं । उक्त गांवों की जलमग्न भूमि की लगान बराबर वसूल की जा रही है ।

अतः मैं आपके माध्यम से कल्याणी नदी में शारदा सहायक नहर का पानी न छोड़े जाने तथा नष्ट हुई फसलों का मुआवजा दिलाने तथा जलमग्न भूमि के राजस्व की माफी की मांग सरकार से करता हूं ।

क्षय रोगाश्रम, भुवाली में सात दुकानों में असमाजिक तत्वों द्वारा आग लगा देने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री बिहारी लाल--

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा के अनुसार आज सदन के संज्ञान में यह तथ्य लाना चाहता हूं कि दिनांक 7-3-82 को रात्रि में क्षय रोगाश्रम, भुवाली, नैनीताल में सात दुकानों में असामाजिक तत्वों द्वारा आग लगाई गई । उक्त सातों दुकानें भस्मसात हो गयीं । अनुमानतः 5 लाख की क्षति हुई है । इन सात दुकानों में से 6 दुकानें हरिजनों की हैं । पुलिस थाना, भुवाली में सूचना देने के बाद भी अभी तक किसी के विरुद्ध कार्यवाही नहीं की ।

मान्यवर, आपको जानकर ताज्जुब होगा कि राजस्व विभाग के भी अधिकारी उक्त स्थान में नहीं पहुंचे । दिनांक 10 तक की सूचना है कि अभी तक आग नहीं बुझ पाई । फायर ब्रिगेड तक भी उक्त स्थान में नहीं पहुंचे ।

इससे जनता में बड़ी बेचैनी है । उक्त अग्निकांड में जिन व्यक्तियों का का नुकसान हुआ है उनके नाम इस प्रकार हैं--सर्वश्री चन्द्र दत्त पांडे (गल्ला), (2) खीमा नन्द, (3) श्रीमती बच्ची देवी, (4) श्री कुंदन लाल, (5) श्री सुन्दर लाल, (6) श्री रोशन लाल एवं एक अन्य व्यक्ति है ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री बिहारी लाल—]

मेरी माँग है कि जिन व्यक्तियों की दुकानें अग्निकांड में जली हैं :

(1) उनको पुनः रोजगार करने हेतु आर्थिक सहायता दी जाय ।

(2) जिन अपराधियों ने आग लगाई है उनके विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जाय ।

(3) सरकारी अधिकारियों के उक्त स्थान पर न पहुंचने के कार्यों की भी जांच कराई जाय । साथ ही इनके विरुद्ध उचित कार्यवाही की जाय ।

(4) सुरक्षा की समुचित व्यवस्था की जाय ।

समस्या अविलम्ब लोक महत्व की है एवं तत्काल कार्यवाही की जाय आपके परिज्ञान में लाना चाहूंगा कि इस प्रकार की घटना नैनीताल में डेढ़ माह पूर्व 9 भव्य भवनों में आग लगाकर की गयी है । परन्तु आज के दिन तक किसी अपराधी को पकड़ने में पुलिस सक्षम नहीं हुई है ।

एटा के जनपदीय पत्रकार संघ के महामंत्री, श्री महेश कुमार मिश्र को जिला प्रशासन द्वारा प्रताड़ित किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

माननीय अध्यक्ष जी, आपकी अनुज्ञा से आदरणीय सदन तथा शासन के संज्ञान में यह तथ्य लाना चाहता हूं कि एटा में जिला प्रशासन द्वारा वहां के प्रमुख पत्राकार संघ के महामंत्री, श्री महेश कुमार मिश्र सहित अन्य पत्रकारों को प्रताड़ित कर सही समाचार न छापने के लिये अनुचित दबाव डाला जा रहा है । मान्यवर, श्री मिश्र आगरा से प्रकाशित आज की खोज के जिला प्रतिनिधि हैं । इनका मात्र दोष यह था कि नगरपालिका एटा में व्याप्त भ्रष्टाचार को अपने पत्र के माध्यम से तथ्य सहित उजागर किया करते थे आरोपों की जांच कराना तो दूर रहा, उल्टे निष्पक्ष पत्रकारिता को दबाने का कुचक्र चालू कर दिया गया और विगत 3 मार्च, 1982 को श्री मिश्र जब अपने एक साथी पत्रकार, श्री राणा के साथ प्रातः 6·45 बजे लाउड स्पीकर का उपयोग कर अखबार बेच रहे थे तभी प्रभारी अधिकारी एटा जो ए0डी0एम0 भी हैं, ने भारी पुलिस तथा नगरपालिका अधिकारियों के साथ उन्हें घेर लिया । लाउडस्पीकर प्रयोग की अनुमति दिखाने के बाद भी उन्हें कोतवाली ले जाया गया । 1000 अखबार की प्रतियां जला दी गयीं । मारापीटा तथा गालियां दीं और दफा 188 में बन्द कर दिया आपको जान कर आश्चर्य होगा कि दफा 144 की घोषणा उसी दिन हुई अर्थात 10 बजे कार्यालय खुलने पर ही हस्ताक्षर हुये होंगे परन्तु आरोप 6·45 प्रातः लगाया गया ।

मान्यवर, घटना निष्पक्ष पत्रकारिता पर भ्रष्ट अधिकारियों का हमला है इससे क्षेत्र के पत्रकार एव जनता में शासन के प्रति असंतोष है । अतएव में मामले की जांच उच्च स्तरीय कराने की मांग करते हुये आग्रह करता हूं कि झूठा मुकदमा वापस लिया जाय ।

चारबाग रेलवे स्टेशन पर रिक्शे वालों से कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा जबरन टैक्स की वसूली के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री कुंवर सिंह नेगी—

मान्यवर, लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन पर कुछ स्वार्थी तत्वों के द्वारा पुलिस की मिलीभगत से रिक्शा चालकों से जबरन टैक्स वसूला जा रहा है

*वक्ता ने अपने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

चारबाग रेलवे स्टेशन के बाहर फर्स्ट क्लास एवं सेकेन्ड क्लास के पोर्टिको और उनके आसपास रिक्शों के प्रवेश पर इनके द्वारा पाबंदी लगा दी गयी है जिसके कारण यात्रियों को उनके सामान के साथ काफी दूर उतारा जाता है जिसके फलस्वरूप यात्रियों को भारी असुविधा एवं आर्थिक हानि हो रही है। इस प्रकार जबरन रिक्शा चालकों से टैक्स वसूले जाने की वजह से रिक्शा चालकों ने किराया बढ़ा दिया है और वे रेलवे स्टेशन परिसर में जाने से भी कतराते हैं। इस वजह से आम यात्रियों को भारी असुविधा, परेशानी हो रही है और लोगों में असंतोष एवं आक्रोष व्याप्त हो गया है।

अतएव, हम इस अविलंबनीय लोक महत्व के प्रश्न को माननीय सदन के संज्ञान में लाकर शासन से शीघ्र हस्तक्षेप कर इस गुंडा टैक्स पर रोक लगा कर आम यात्रियों को राहत दिलाने की मांग करते हैं।

सराय माली खां, लखनऊ निवासी, श्री सूरज प्रसाद वर्मा की पत्नी श्रीमती मुन्नी देवी का बदमाश विपिन कुमार द्वारा अपहरण कर हत्या किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राम सागर—

मान्यवर, श्रीमती मुन्नी देवी उर्फ गार्गी देवी पत्नी श्री सूरज प्रसाद वर्मा निवासी सरायमाली खां 414/130 थाना चौक, लखनऊ के नामी बदमाश, विपिन कुमार उसे बहला फुसलाकर लापता किया, जो बाद में वैरंग पत्र के माध्यम से मालूम हुआ कि 5 हजार रुपये को फिरौती सिटी इन्टर कालेज, बांसमिल लखनऊ के पास वर्मा लेकर मिल जाय, नहीं तो बदमाश उसकी पत्नी एवं बच्ची की हत्या कर देंगे।

इस घटना की सूचना पुलिस को दी गयी किन्तु पुलिस के कान पर जू तक नहीं रेंगी। परिणामतः 24-4-81 को दैनिक तरुण भारत लखनऊ में प्रकाशित समाचार पत्र के माध्यम से श्री वर्मा को मालूम हुआ कि उसकी 30 वर्षीय पत्नी तथा उसकी बच्ची की हत्या जनपद बाराबंकी के थाना राम सनेहीघाट में कर दी गयी है। लाश कल्याणी नदी में हफ्तों पड़ी सड़ती रही है। पुलिस सीमा विवाद में लाशें छूना नहीं चाहती थी और पुलिस की लापरवाही से हफ्तों बाद लाशों को गायब कर दिया। प्रत्यक्ष दर्शियों के अनुसार ज्ञात हुआ कि लाशें श्री वर्मा की पत्नी एवं बच्ची की ही थी। तब से लेकर अब तक श्री वर्मा के अतिरिक्त, नेता विरोधी दल, विधान सभा एवं विधान परिषद्, विधायक माननीय मोहन सिंह, माननीय प्रदीप कुमार यादव, माननीय भोला पाण्डेय, माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त विधायक माननीय राम कृष्ण द्विवेदी, एम0एल0सी0, माननीय राम नरेश यादव भूतपूर्व मुख्य मंत्री आदि ने शासन को जांच करके बदमाशों को सजा दिलाने के लिये लिखा, किन्तु अब तक शासन ने घटना की ओर ध्यान नहीं दिया। बदमाश अब शेष परिवार को भी मामले के उठाने पर समाप्त करने का संदेश दे रहे हैं।

अतः मैं ऐसे अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय को शासन एवं सदन के संज्ञान में लाकर सरकार से तुरंत कार्यवाही किये जाने तथा शेष परिवार की सुरक्षा की मांग करता हूं।

देवरिया में चकबन्दी में हुई अनियमितताओं के सम्बन्ध में पूछे गये प्रश्नों के उत्तरों से सम्बन्धित विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष--

एक निर्णय है विशेषाधिकर के प्रश्न पर ।

श्री कुबेर भण्डारी, सदस्य, विधान सभा ने दिनांक 5 मार्च, 1982 को जिला देवरिया में चकबन्दी में हुई अनियमितताओं के विषय में वर्ष 1979, 1980 और जनवरी-फरवरी, 1981 में विधान सभा में पूछे गये कई तारांकित एवं अतारांकित प्रश्नों के उत्तरों एवं दिनांक 15 सितम्बर, 1980 को विधान परिषद् में पूछे गये एक प्रश्न के उत्तर का उल्लेख करते हुए उन्हें असत्य तथा सदन को गुमराह करने वाला कहा है तथा कथित उत्तर के सम्बन्ध में विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना दी ।

नियमानुसार इस सूचना का विषय हाल ही में घटित एक निश्चित विषय तक निर्बद्ध नहीं है और इसमें स्पष्टतया यह भी नहीं बताया गया है कि विशेषाधिकार का मामला किसके विरुद्ध उठाया जाना अभिप्रेत है । इसके अतिरिक्त इसमें विधान परिषद् में उत्तरित एक प्रश्न का उल्लेख भी किया गया है, जबकि विधान परिषद् या किसी अन्य सदन की कार्यवाही का यह आवरणीय सदन संज्ञान में नहीं ले सकता । अतः उपर्युक्त कारणों से मैं इस प्रश्न को सदन में उठाने की अनुमति नहीं देता हूं ।

एक अन्य सूचना है....

श्री रियासत हुसैन--

मान्यवर, एक सूचना विशेषाधिकार की दी है ।

श्री अध्यक्ष--

वह विशेषाधिकार के प्रश्न की सूचना है, वह जिससे सम्बन्धित है, उसके पास भेज दी गयी है, आज ही ।

श्री रियासत हुसैन--

उसमें हम लोगों को सुन लें, मान्यवर ।

कतिपय सदस्यों द्वारा जगजीवन राम के नेतृत्व वाली कांग्रेस के सदस्य के रूप में कार्य करने की सूचना

श्री अध्यक्ष--

एक अन्य सूचना है ।

मुझे सदन को यह सूचना देनी है कि विधान सभा के सदस्य सर्वश्री केदार नाथ सिंह (जिला-गोरखपुर), मो० नबी खां (जिला बस्ती) तथा अमीरुद्दीन (जिला बिजनौर) ने सूचित किया है कि वे कांग्रेस (आई) के स्थान पर सदन में श्री जगजीवन राम के नेतृत्व वाली कांग्रेस के सदस्य के रूप में कार्य करेंगे ।

कार्य-मन्त्रणा समिति द्वारा समय निर्धारण का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष--

एक सूचना आपके समक्ष रखनी है ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य-मन्त्रणा समिति ने अपनी दिनांक 12 मार्च, 1982 की बठक में यह सिफारिश की है कि विधान सभा के दिनांक 13 मार्च और 19 मार्च, 1982 के उपवेशनों का कार्यक्रम निम्नलिखित संशोधित रूप में निर्धारित किया जाय---

शनिवार, 13 मार्च, 1982--

अपराह्न 4 बजे तक

वित्तीय वर्ष 1982-83 की आय-व्ययक की मांगों पर मतदान।

अपराह्न 4 बजे से

उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (अल्प-कालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1982 पर विचार एवं उसका पारण-एक घंटा ।

शुक्रवार 19 मार्च, 1982--

अपराह्न 5 बजे तक

वित्तीय वर्ष 1982-83 की आय-व्ययक की मांगों पर मतदान ।

अपराह्न 5 बजे

वित्तीय वर्ष 1981-82 के तृतीय अनुपूरक अनुदानों के प्रस्तुती-करण के पश्चात्---

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधयक, 1982 पर विचार एवं उसका पारण---एक घंटा ।

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री अम्मार रिजवी)---

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य-मन्त्रणा समिति द्वारा दी गई सिफारिश से, जिसकी सूचना माननीय अध्यक्ष द्वारा सदन को दी गई, सहमत है ।

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि यह सदन कार्य-मन्त्रणा समिति द्वारा की गई सिफारिश से, जिसकी सूचना अध्यक्ष द्वारा सदन में दी गई, सहमत है ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

जिला स्तर पर होने वाली बैठकों की अध्यक्षता प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री हुकम सिंह--

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। मैंने आपको एक सूचना दी है।

श्री अध्यक्ष--

माननीय हुकम सिंह ने नियम 300 के अन्तर्गत एक औचित्य का प्रश्न उठाया है। इसकी सूचना हाउस में भी आई है। उस दिन सदन में मैंने आपसे कहा था कि नेताओं की बैठक बुला करके इसको पुनः जिस तरह से तय हो, उसे पुनः निर्देशित कर दिया जाय।

श्री हुकम सिंह--

इससे पूर्व जो प्रश्न यहां उठाया गया और उस पर सरकार की ओर से आश्वासन भी हुआ था। अब प्रश्न यह है कि बार-बार यह सवाल उठाने के बावजूद भी जो जिला स्तर की समितियां हैं, उनकी अध्यक्षता जिलाधिकारी या अन्य किसी सरकारी अधिकारी द्वारा नहीं की जानी चाहिये। बार-बार आपकी तरफ से आश्वासन दिया गया कि भविष्य में इन समितियों की अध्यक्षता सरकारी अधिकारी नहीं करेंगे। उस दिन कई मन्त्रियों ने, ग्राम्य विकास मन्त्री तथा श्री अम्मार रिजवी साहब ने भी आश्वासन दिया। इसके बाद भी ऐसा हो रहा है। मैंने दो पत्र लिखे हैं, जो कि सूचना के साथ में लगाये हैं। 21 तारीख के लिये भी चिट्ठी लिखी गयी है, किस तरह से जोर दिया जाता है कि विधायकगण जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिलाधिकारी के कक्ष में जो बैठक बुलाई गयी है, उसमें शामिल हों। शासन के आश्वासन के बावजूद भी जितने जिलाधिकारी लगे हुए हैं, वह इस बात पर बल देते हैं कि जिलाधिकारी की अध्यक्षता में बैठक होगी। लेकिन सरकार के आश्वासन के बावजूद भी सरकारी अधिकारी इतने बेलगाम हो गये हैं कि वे सरकार की बात को, उसके आश्वासन की परवाह नहीं करते हैं। यदि सरकार अपने आश्वासन को पालन कराने में सक्षम नहीं है तो उसे ऐसा आश्वासन देना ही नहीं चाहिये और यदि यहां पर ऐसा आश्वासन दिया गया है तो उसका पालन क्यों नहीं हुआ या क्यों नहीं किया जा रहा है, इसको देखना चाहिये।

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री अम्मार रिजवी) --

मान्यवर, जो सूचना माननीय सदस्य ने दी है ..

श्री मोहन सिंह--

अब आप क्या कह रहे हैं, आपकी बात को तो उन्होंने माना नहीं। वह आपको मन्त्री समझते ही नहीं हैं।

श्री अम्मार रिजवी--

मान्यवर, जो सूचना माननीय हुकम सिंह जी ने दी है, इससे पहिले सदन में यह बात आ चुकी है। इस सम्बन्ध में आपके द्वारा भी कुछ निर्देश दिये गये थे, वह डिस्ट्रिक्ट्स में भिजवा दिये गये हैं कि जन प्रतिनिधि का सभापतित्व

किसी चेयरमैन या जिलाधिकारी द्वारा न हो बल्कि जो वरिष्ठतम पब्लिक रिप्रेजेन्टेटिव हैं, उनके द्वारा बैठकों का सभापतित्व किया जाय। यदि कहीं इसकी अवहेलना हुई है तो इसके लिये पूछ लिया जायेगा कि यह कैसे हुआ है। इनको दिखवा लिया जायेगा। वैसे इन बैठकों की अध्यक्षता किसी पब्लिक रिप्रेजेन्टेटिव द्वारा होनी चाहिये, यह बात आपके द्वारा यहां निर्देशित की गयी थी।

श्री हुकम सिंह--

जो पत्र मुझे प्राप्त हुआ है, वह मैंने मान्यवर, संलग्न कर दिया है। रावत साहब ने भी ऐसी ही शिकायत की है। उत्तर प्रदेश में जिला स्तर पर कोई बैठक हो वहां पर उसकी अध्यक्षता जिलाधिकारी या पुलिस अधीक्षक करने के लिये आतुर न हों ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, एक मिनट। मान्यवर, अभी संसदीय कार्य मन्त्री ने जो भाषण दिया, उसे मैंने सुना। मान्यवर, उन्होंने सदन को गुमराह करने की कोशिश की है। माननीय संसदीय कार्य मन्त्री ने कहा है कि जिलों को निर्देश भेज दिये गये हैं कि जिलाधिकारी की अध्यक्षता में समितियां न हों लेकिन मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जो ये कमेटियां बनी हैं, वे स्टैटुटरी हैं, उनके अलग नियम हैं। तो ये जो आदेश दिये हैं, क्या यह उनके नियमों को प्रभावित कर सकते हैं ? नहीं कर सकते हैं। अगर सच में इनकी नीयत उन स्टैटुटरी लाज में परिवर्तन करने की है तो क्या आज ही इस तरह के कोई आदेश निर्गत करेंगे कि इनके लाज में परिवर्तन कर दिया जाय ? तभी ये आदेश प्रभावी होंगे।

श्री सन्त बक्स रावत--

मान्यवर, एक पत्र मुझे मिला है, पहली मार्च का है। यह पत्र जिला ग्राम्य विकास अधिकरण के परियोजना निदेशक द्वारा भेजा गया है। इसमें लिखा है कि जिलाधिकारी, लखनऊ अध्यक्ष जिला, ग्राम्य विकास अभिकरण की अध्यक्षता में जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, लखनऊ की गवर्निंग बाडी की बैठक दिनांक 15 मार्च, 1982 को प्रातः 11.00 बजे जिला परिषद् हाल, लखनऊ में आयोजित की जा रही है। जिलाधिकारी इसके अध्यक्ष हैं। इस तरह से बराबर लखनऊ जनपद में ही मीटिंगें हो रही हैं, सब जिलाधिकारी की अध्यक्षता में हो रही हैं और आदेशों का पालन नहीं हो रहा है। यही हालत प्रत्येक जनपद में है।

श्री अध्यक्ष--

यह स्पष्ट नहीं था कि इस पीठ से निर्देश इस तरह के हुए कि जहां माननीय सदस्य इस सदन के हों या और कोई माननीय सदस्य इस तरह के हों, उनमें अध्यक्षता कोई सरकारी अधिकारी न करे। इस सम्बन्ध में दूसरी बात यह आयी कि कभी-कभी होता है कि ये अध्यक्ष न हों और कभी-कभी इसका अपवाद भी हो सकता है और कार्य रूप में यह देखा गया कि ऐसा पूर्ण रूप से नहीं हो रहा है। अपवाद तो नहीं बल्कि सामान्य ढंग से होता जा रहा है। इस सदन में यह प्रश्न उठा तो माननीय मन्त्री जी ने शासन पक्ष से यह बात कही और उन्होंने आप के ही लोगों की भावनाओं को स्वीकार किया कि ऐसा नहीं होना चाहिये। उसके विपरीत फिर भी

[श्री अध्यक्ष—]

सदन में यह प्रश्न उठा और इसे देखते हुए मैंने यह कहा कि शासन से भी निर्देश हो रहे हैं और आप भी उसको स्वीकार रहे हैं फिर भी कौन सी अड़चन है कि ऐसा नहीं हो रहा है। इसलिए यह सुझाव दिया गया था और मैंने घोषणा की थी कि सभी नेताओं की बैठक बुलाऊंगा और उसमें सब कारणों की छानबीन करके एक निश्चित रूप से प्रक्रिया का निर्धारण कर दिया जाय...

श्री राजेन्द्र सिंह—

श्रीमन्, यह जो इन्होंने ग्राम्य विकास विभाग की बुलेटिन की है, उसमें ही इन्होंने लिखा है कि जिला स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में स्थापित हुई स्टैंडिंग कमेटी है, जिसमें संसद के सदस्य तथा विधान सभा, विधान परिषद् के सदस्य हिस्सा लेते हैं। यह खुद इन्हीं का है...

(शेम-शम की आवाजें)

श्री अध्यक्ष—

यह वास्तविकता है कि ऐसी स्थिति है कि सरकारी अधिकारी अध्यक्षता करते हैं और यह भी है कि जब वह समिति में, जैसा माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त जी ने कहा कि चेयरमैन हैं, सभी को बुलायेंगे आप आयें या न आयें और आदेश का भी कोई बड़ा प्रभाव नहीं है क्योंकि उसके अध्यक्ष हैं। अध्यक्ष, अध्यक्ष हैं और जहां तक कि ऐसा हो रहा है, इसमें जो सूचनायें आदि हैं, उनसे स्पष्ट है कि ऐसा हुआ है और जहां तक रावत जी का प्रश्न है वह भी मैंने सुना। ज्यादा बारीकी में जाने से कोई ज्यादा जोर नहीं प्रकट करता है। जिला परिषद् के चेयरमैन की हैसियत से जब बुलाते हैं, जिलाधिकारी ही क्यों न हों, तो जिला परिषद् के चेयरमैन की हैसियत है।

जिला परिषद् के चेयरमैन की हैसियत से अगर वह आपको बुलाते हैं तो वह दूसरे तरह का कार्य होता है, उसका एक दूसरा रूप हो जाता है।

श्री सन्त बख्श रावत—

मान्यवर, जिला परिषद् के चेयरमैन की हैसियत से वह बैठक उन्होंने नहीं बुलायी थी बल्कि जिला विकास से सम्बन्धित वह मीटिंग थी।

श्री अध्यक्ष—

इस सम्बन्ध में सभी माननीय सदस्यों के सामने और इसके ऊपर निश्चित रूप से स्पष्ट निर्णय लेने के लिए एक बैठक बुलाऊंगा और इस सम्बन्ध में जो आपके कागजात और नोटिस आये हैं वे सब मन्त्री के पास भेजवा दूंगा ताकि उनको देख कर मन्त्री जी आश्वस्त हो लें कि ऐसी बैठकें हो रही हैं और बुलायी गयी हैं और पत्रिका के उद्धरण भी दूंगा जिसमें अध्यक्षता की गयी है। तो यह बात आप तय कर लें, इन दो-तीन मुद्दों पर स्पष्ट रूप से तय कर लें कि आया गैर सरकारी सदस्य वहां अध्यक्षता कर सकता है या सरकारी सदस्य अध्यक्षता कर सकता है। अगर नहीं कर सकता है, तो इसको भी तय कर लीजिए और अगर कर सकता है तो इसको भी तय कर लीजिए। मैं सभी दल के नेताओं की बैठक बुलाऊंगा, जिसमें आप जिस तरह से भी चाहें तय कर लें। यह नहीं होना चाहिये कि आप यहां तय तो कुछ करें और वहां हो कुछ और ही। सदन की इस पीठ से जो बात कही जाय उसका पालन न हो। तो कुछ भी तय कर लीजिए, लेकिन जो तय कर लें उसका पालन हो। इसलिए मैं सदन

के सभी नेताओं की बैठक तत्काल इसी सत्र में 20 तारीख के अन्दर बुलाऊंगा ताकि उसके अन्दर कोई स्पष्ट निर्णय हो जाय ।

श्री गोरे लाल शाक्य--

मान्यवर, इस सम्बन्ध में मैं बतला दूं कि 2 फरवरी, 1982 को इलाहाबाद डिवीजन की कानपुर में बैठक थी जिसमें मैं पहुंच गया । वहां मुझे कुर्सी तक नहीं मिली । पीछे से उठा कर मैं कुर्सी लाया था और कमिश्नर उस मीटिंग की अध्यक्षता कर रहे थे । उन्होंने कहा कि माननीय सदस्य के भाषण को न लिखा जाय । इससे शर्मनाक हालत कोई हो नहीं सकती कि एक कमिश्नर एक विधायक के भाषण को न लिखने को कहे । तो मेरा निवेदन है कि उस बैठक में इस पर भी विचार कर लिया जाय ।

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं

श्री ऊदल--

आज कार्य-स्थगन की 6 सूचनायें प्राप्त हुई हैं । पहली सूचना श्री मोहन सिंह व श्री कुबेर भंडारी की "साप्ताहिक ब्लिट्ज अखबार के विशेष सम्वाददाता की डाक्टरों की लापरवाही के कारण मृत्यु होने के सम्बन्ध में है ।" दूसरी श्री फिरंगी प्रसाद विशारद व श्री रुद्र प्रताप सिंह की जनपद गोरखपुर के थाना झंगहा के अन्तर्गत एक महिला के साथ बलात्कार किए जाने के सम्बन्ध में हैं । तीसरी, श्री राम आसरे वर्मा व श्री खंडल बशर की कांग्रेस (ई) के युवा नेता, श्री घनश्याम राय द्वारा विधान भवन के सामने आमरण अनशन किए जाने के सम्बन्ध में है । चौथी, श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त की प्रदेश में ट्रकों की हड़ताल से उत्पन्न परिस्थिति के सम्बन्ध में है । पांचवीं, श्री हरिवंश सहाय व श्री नन्द किशोर सिंह की दीवानी कचहरी, देवरिया के कर्मचारियों द्वारा अनिश्चितकालीन हड़ताल किए जाने के सम्बन्ध में है और छठवीं श्री सरदार सिंह की मथुरा जिले में उपल वृष्टि से हुई क्षति के सम्बन्ध में है ।

मैंने सभी सूचनाओं को विधिवत् पढ़ा है । इसमें कोई भी स्वीकार होने योग्य नहीं हैं, इसलिए सभी अस्वीकृत की गई ।

(व्यवधान)

श्री मोहन सिंह--

मान्यवर, यह मृत्यु का सवाल है । डाक्टरों की लापरवाही से 7 सितम्बर को गलत डोज देने के कारण श्री बिशन कपूर की मृत्यु हो गई । इसपर माननीय मुख्य मन्त्री जी ने जांच समिति बैठाने की घोषणा की । जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट दे दी है और उस रिपोर्ट में जांच समिति ने कहा है कि श्री बिशन कपूर की मृत्यु डाक्टरों की लापरवाही से गलत दवा देने के कारण हुई है । यह रिपोर्ट मिलने के बावजूद शासन आज तक इस पर कोई कार्यवाही नहीं कर पाया है । ऐसी स्थिति में आज प्रदेश के मेडिकल कालेजों की हालत बहुत खराब है । एक पत्रकार जिसने मेडिकल कालेज की दुर्व्यवस्था के बारे में साप्ताहिक ब्लिट्ज में एक खबर छापी और उसके एवज में उनको दुष्परिणाम भुगतान पड़ा । डाक्टरों ने ऐसी लापरवाही बरती कि एक प्रतिष्ठित पत्रकार इस दुनियां से विदा हो गया । मैंने प्रश्न के जरिये भी इसे उठाने की कोशिश की थी लेकिन उसकी संभावना नहीं है । प्रश्न इस सदन में आने तक सत्र समाप्त हो जायगा । इसलिए मैंने

[श्री मोहन सिंह—]

यह धृष्टता की कि नियम 56 के अन्तर्गत यह बनता नहीं है लेकिन चूंकि एक महत्वपूर्ण विषय है और डाक्टरों की लापरवाही के कारण यह घटना हुई है इसलिए इस विषय पर कम से कम वक्तव्य दिलवा दिया जाय। मैंने असाधारण प्रस्ताव के जरिये आपका ध्यान और इस सदन का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की है। किसी अन्य प्रस्ताव से भी इसपर सदन में चर्चा करायें।

श्री हरिवंश सहाय—

माननीय अध्यक्ष जी, मैं कल देवरिया में था और वहां मैंने देखा कि देवरिया दीवानी कचहरी के कर्मचारी और जज हड़ताल पर हैं पिछले 5 मार्च से। कोर्ट के आदेश से कर्मचारी भटोनी थाना गये एक आदेश का पालन कराया तब तक पुलिस पहुंच गयी और प्रदुम्मन कर्मचारी को मारा-पीटा और थुकवाया उसको चटवाया जिसके विरोध में देवरिया जिले के दीवानी कचहरी के कर्मचारी और जज 5, 6, 8, 11, 12 को हड़ताल पर थे और आज भी हड़ताल पर हैं। मैं चाहता हूं कि इस पर कोई आप वक्तव्य दिलवायें ताकि स्थिति स्पष्ट हो जाय....

श्री अध्यक्ष—

नियम 56 में नहीं हो सकता, दूसरे नियम में हो सकता है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मैंने कार्य-स्थगन प्रस्ताव ट्रक आपरेटर्स की हड़ताल के बारे में दिया है। इस पर बयान भी हो चुका है। लेकिन एक नई परिस्थिति पैदा हो गई है मेरे जनपद में तथा और जनपदों में। अभी तक ट्रक आपरेटर्स ने मिलों द्वारा जो गन्ने की खरीद होती है, गेट तक गन्ना ले जाने की हड़ताल नहीं की थी, अब वह भी कर दी है। मेरे जिले में, पूर्वी जिलों में, किच्छा में गन्ना मिलें इसलिए बंद हो गई हैं। ट्रकों द्वारा गन्ना नहीं पहुंचाया जा सका है जिसके कारण काश्तकार के सामने संकट पैदा हो गया है। उपभोक्ता को वस्तुयें नहीं मिल रही हैं। महंगाई बढ़ रही है। एक नई परिस्थिति पैदा हो गई है। सरकार के द्वारा यह बात सामने आनी चाहिए कि हड़ताल को समाप्त करने के लिए कोई कार्यवाही शीघ्र की जा रही है, कोई समझौता हो रहा है, इसलिए मैं इस बात पर बल देता हूं कि इस पर वक्तव्य दिलवाया जाय।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

मैं बड़े दुख के साथ कहना चाहता हूं कि जो कार्य-स्थगन प्रस्ताव मैंने दिया, स्वीकार नहीं किया लेकिन थोड़ा सा आप सुन लें। बात बड़ी ही महत्वपूर्ण है, अध्यक्ष जी। 1 मार्च को इंटर कालेज, बहरीसन बरसा, गोरखपुर के प्रिन्सिपल श्री राज बहादुर राय ने अपने कालेज में पुलिस चौकी खोलने का आदेश दिया। 6 तारीख को 70 वर्ष की एक बुढ़िया एक बाग में पत्ता इकठ्ठा करने गयी थी कि उसे पकड़ कर प्रिन्सिपल के भाई ने चाकू से आहत किया, चादर खींचा और उसके साथ बलात्कार किया। उसके पूर्व उसी जगह पर एक मां और बेटी को पकड़ा, वे किसी तरह से भाग लिये। बुढ़िया अपनी इज्जत बचाने में संघर्षरत रही लेकिन अपने को छुड़ा नहीं पायी। बलात्कार के बाद वहीं पड़ी रही। पुलिस नहीं गयी। जो वहां पुलिस चौकी बनी है, वहां रिपोर्ट

लिखाने जाते हैं तो रिपोर्ट नहीं लिखी जाती है। थाने का सब-इन्सपेक्टर उनका रिलेटिव है। अध्यक्ष जी, बड़ी दर्दनाक घटना है। कहने की नहीं थी। गोरखपुर से निकलने वाला अखबार "आज" "दैनिक जागरण" में यह घटना निकल चुकी है। वह प्रिन्सिपल आज भी धमकी दे रहा है, मार रहा है। 11 तारीख को सर्वदलीय मीटिंग हुई उस कालेज में। जो एप्रेन्टिस के लिये लड़कों ने फार्म भरा है इसमें लगाने हेतु, उनको सर्टिफिकेट नहीं दे रहा है। धमकी दे रहा है मारने-पीटने की। एक भयानक स्थिति पैदा हो गई है। मैं चाहता हूं कि इस पर वक्तव्य हो।

(व्यवधान)

(श्री सरदार सिंह के खड़े होने पर।)

श्री अध्यक्ष--

माननीय सरदार सिंह जी आप के विषय पर तो 17 तारीख को स्टेटमेंट है....

श्री सरदार सिंह--

बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। दो शब्द कहना चाहता हूं। मान्यवर, पिछले कई सालों उस क्षेत्र में ओला पड़ा जिसके कारण वहां पर सारी फसलें बरबाद हो गई थीं। इन कई दैवी आपदाओं के कारण जितने भी देय हैं वे स्थगित हो गये थे। इस साल वहां काफी बाढ़ भी आयी थी जिससे कि सरकारी देय जो थे, वे स्थगित हो गये थे। इसलिए मेरा अनुरोध है कि चूंकि सरकारी देयों की संख्या बहुत बढ़ गई और किसानों पर इस साल काफी उसका भार आ गया है इसलिए मंत्री जी इस बारे में वक्तव्य दे दें कि उनकी लगान आदि की वसूली माफ कर दी जायेगी।

श्री अध्यक्ष--

जितने प्रस्ताव कार्य-स्थगन के आये थे सभी अस्वीकृत हुये लेकिन राजेन्द्र कुमार गुप्त ने प्रदेश में ट्रक आपरेटरों की हड़ताल के सम्बन्ध में जो स्थिति बतायी है, उसके बारे में सरकार को निर्देशित कर रहा हूं कि उससे किसानों के गन्ने की ढुलाई आदि बन्द हो गई है, इसलिये वह इसको देखें। और जो माननीय मोहन सिंह जी तथा कुबेर भंडारी का ब्लिट्ज अखबार के सम्बन्ध में है, उसके विषय को वक्तव्य के लिये स्वीकार कर रहा हूं।

(व्यवधान)

श्री जसवन्त सिंह विष्ट--

मान्यवर, पर्वतीय क्षेत्रों में केवल ट्रकों से ही सारा माल जाता है और वहां पर एक भी अन्न का दाना नहीं हुआ है....

श्री अध्यक्ष--

आपका न तो कोई कार्य-स्थगन का प्रस्ताव है और न ही आपने कोई सूचना दी है। आप बैठ।

श्री जसवन्त सिंह विष्ट--

मान्यवर, सूचना दे रहा हूं।

श्री अध्यक्ष--

कोई सूचना नहीं है, आप बैठे ।

श्री जसवन्त सिंह विष्ट--

मंत्री जी ने जो बयान दिया था उसमें उन्होंने कहा कि कानपुर और वाराणसी में हड़ताल आंशिक रूप से हुई है..

श्री अध्यक्ष--

आप कृपया बैठ जायं ।

श्री रियासत हुसैन--

माननीय गुप्ता जी ने ट्रकों के हड़ताल के सम्बन्ध में जो ईश्यू उठाया है, उन्हीं चीजों को लेकर मैंने कहा है कि 52 के अन्तर्गत आप उस पर चर्चा करा दें । अब वह ईश्यू और भी गम्भीर इसलिये हो गया है, क्योंकि सरकार ने कहा है कि हम लाइसेन्स कैंसिल कर देंगे । बजाय इसके कि वह इस मसले को तय करें, धौंस देना स्वीकार किया है । इसलिये आप इस पर अवश्य चर्चा करा दें ।

(श्री राम आसरे वर्मा के खड़े होकर कुछ कहने पर ।)

श्री अध्यक्ष--

आपका नियम 56 में यह कल आया था । मैं इसमें इसलिये समय नहीं देना चाहता हूं कि कल भी आपने यह दिया था, दूसरे लोग जानते होंगे या नहीं किन्तु आप अवश्य जानते हैं कि आपने यह कल दिया था और वह अस्वीकृत हो गया था और आज फिर वही दे रहें हैं

(व्यवधान)

श्री राम आसरे वर्मा--

एक व्यक्ति आमरण अनशन कर रहा है । एक दिन में स्थिति बदल सकती है और परिस्थिति बदली..

(कई सदस्य एक साथ खड़े होकर बोलने लगे)

श्री अध्यक्ष--

आप लोग बैठ जायं । जो यह वक्तव्य के लिये स्वीकार हुआ है इस पर सरकार कब वक्तव्य दे देगी ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)--

मान्यवर 18, 19, 20 मार्च को कोई भी तारीख रख लें ।

श्री अध्यक्ष--

18 तारीख को रख दें क्योंकि 19 तारीख को और भी रखें हैं ।

श्री अम्मार रिजवी--

मान्यवर, ठीक है ।

[समय 11.40 पूर्वाह्न से]

1982-83 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान-अनुदान संख्या 18--ग्राम्य विकास विभाग, अनुदान संख्या 30--पंचायती राज विभाग, तथा अनुदान संख्या 80--क्षेत्रीय विकास विभाग

पंचायती राज मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1983 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 18 ग्राम्य विकास विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,27,51,66,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1983 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 30-पंचायती राज विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 9,55,66,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1983 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 80--क्षेत्रीय विकास विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 26,18,49,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मान्यवर, ग्राम्य विकास, पंचायती राज, क्षेत्रीय विकास, लघु सिंचाई तथा निजी लघु सिंचाई विभाग और युवा कल्याण विभाग हमारे प्रदेश के लिये बहुत महत्वपूर्ण हैं और संपूर्ण गांवों के विकास की जिम्मेदारी इन्हीं विभागों के ऊपर निर्भर है। जिस समय हमारा देश आजाद हुआ था, महात्मा गांधी जी और पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में उस समय हमारे देश के गावों की स्थिति बहुत ही जर्जर थी जो कि अंग्रेजों ने छोड़ी थी, गावों की हालत बहुत दयनीय थी, उसी समय हमारे पूज्य नेताओं की प्रेरणा से उनकी जो परिकल्पना थी, गावों को आगे बढ़ाने के लिए, गावों की तरक्की के लिए उस परिकल्पना को पूरा करने के लिए हमारे देश में जब हमारी सरकार बनी तो योजनायें बनायी गयी। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी इस तरह से पंचवर्षीय योजनायें बनी और उनके जरिये से हमारे ग्रामीण अंचलों की गति तेज की गयी। आज हमें खुशी है कि हमारे प्रदेश के अंदर गांवों के विकास के लिए बहुत कुछ किया है लेकिन आज भी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। सरकार के पास साधन सीमित हैं लेकिन जो साधन हैं, हमारा प्रयास इस बात का है इन साधनों का समुचित और सही ढंग से उपयोग करके गावों को आगे बढ़ाया जाय। जब तक हमारे ग्रामीण अंचलों का सर्वांगीण विकास नहीं होता तब तक हम सही मानों में जो हमारी आजादी है और जो हमारी परिकल्पना है, इस देश के गावों में रहने वाले गरीब और निर्बल हरिजन, शोषित तथा लघु एवं सीमांत कृषक हैं, उनका विकास नहीं होता तब तक सही मानों में संतोष नहीं व्यक्त कर सकते हैं।

[श्री बलराम सिंह यादव--]

आज ग्राम्य विकास विभाग के जरिये से हम प्रदेश में सर्वांगीण विकास के लिए कृत संकल्प हैं, हमारी सरकार कृत संकल्प है। हमारे प्रदेश के अन्दर कुल 887 ब्लाक्स हैं और इन ब्लाक्सों के जरिये से ग्राम्य विकास का कार्यक्रम चल रहा है। मैं समझता हूं कि आज विकास खंडों के ऊपर बड़ी भारी जिम्मेदारी है और ये विकास खंड कई विभागों का कार्य करते हैं, कोआर्डिनेशन करते हैं। एकीकृत ग्राम्य विकास योजना हमारे प्रदेश में चलाई जा रही है और पहले यह योजना कुछ विकास खंडों में थी मगर 2 अक्तूबर, 1980 से हमारे प्रदेश के समस्त विकास खंडों ने एकीकृत ग्राम विकास योजना के अन्तर्गत ले लिये गये हैं। और इस योजना पर 50 प्रतिशत धनराशि जो व्यय होती है, वह भारत सरकार से मिलती है और 50 प्रतिशत धनराशि की व्यवस्था हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार करती है। हमारे प्रदेश में जितने भी विकास खंड हैं, उनको इस योजना को सफल बनाने के लिए 6 लाख रुपया प्रति विकास खंड के हिसाब से धनराशि उपलब्ध कराई गई है। और सन् 1982-83 में इसे बढ़ाकर 8 लाख रुपया प्रति विकास खंड इसमें देने का हमारा विचार है। हमारे प्रदेश के अन्दर इस योजना के अन्तर्गत लगभग 5 लाख 31 हजार परिवार चयनित किये जा चुके हैं, जिसमें से 1 लाख 87 हजार 911 परिवारों को लाभान्वित किया गया है और इसमें से 57585 परिवार अनुसूचित जनजातियों के हैं। भारत सरकार का निर्देश यह है कि एकीकृत विकास योजना के अन्तर्गत जो लोग लाभान्वित किये जाएं, उसमें कम से कम 30 प्रतिशत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग हों। हमारी सरकार ने यह फैसला लिया है कि हम 30 प्रतिशत के स्थान पर 50 प्रतिशत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को इस योजना के अन्तर्गत निश्चित रूप से लाभान्वित करेंगे।

हमारे प्रदेश में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना चल रही है। पहले इस योजना का नाम श्रम के बदले खाद्यान्न योजना था और अब इस योजना का नाम राष्ट्रीय ग्रामीण योजना कर दिया गया है। यह दिसम्बर, 1980 से नाम बदल दिया गया है। हमारे प्रदेश में ग्रामीण अंचलों में रहने वाले निर्बल वर्ग के लोग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के गरीब लोग, शिल्पी, लघु सीमान्त कृषक प्रकार के जो लोग हैं, जिनके पास रोजगार के पूर्णतया अवसर नहीं हैं, इस योजना के जरिये से हमारे गांव में जो बेरोजगारी की समस्या है, उसको हल करने का हम प्रयास कर रहे हैं।

मान्यवर, इसके पीछे हमारा एक उद्देश्य है। पहले इसका उद्देश्य सिर्फ यह था कि जहां कहीं प्रदेश में सूखा पड़े, ओला पड़े, बाढ़ आए, उन स्थानों पर व्याप्त रोजी-रोटी की समस्या को हल करने के लिए वहां पर मिट्टी आदि डलवाकर काम करवा दिया जाता था। लेकिन अब हमने इस उद्देश्य में थोड़ा परिवर्तन किया है और वह यह है कि अब हम जो भी काम इस योजना के अन्तर्गत करायेंगे उसको हम स्थायी परिसम्पत्ति बनाएंगे। यह हमारी सरकार ने फैसला किया है।

जो खाद्यान्न योजना इस प्रदेश में चलाई जा रही थी, उसमें शत-प्रतिशत धनराशि भारत सरकार से मिलती थी, मगर अब यह राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना जो है, इसमें 50 प्रतिशत अंशदान केन्द्रीय सरकार का है और 50 प्रतिशत अंशदान हमारी उत्तर प्रदेश सरकार का है। जिलों में इस योजना के लिए स्टेयरिंग कमेटीज बनाई गई थीं, लेकिन अब उनको समाप्त कर दिया गया है और

उनके स्थान पर जो ग्रामीण विकास अधिकरण है, जिसमें हमारे सभी माननीय विधायकगण व संसद सदस्य रहते हैं, अब उसी के जरिये से इस कार्यक्रम को चलाया जायगा ।

हमारी सरकार ने एक और बहुत विकट समस्या का हल निकाला है ।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय--

लेकिन अध्यक्षता कौन करेगा ? अध्यक्षता तो आपके अफसर ही करेंगे ।

श्री बलरामसिंह यादव--

बाद में पूछ लीजिएगा । इस के बारे में अध्यक्ष महोदय ने बहुत ज्यादा कह दिया है । इसके बारे में पूरी जानकारी इस समय नहीं है । तो मैं कह रहा था कि हमने ऐसे प्रश्न को हल किया है, जिसकी मांग हमारे पक्ष और विपक्ष के सभी माननीय सदस्यगण करते रहे हैं और वह समस्या बहुत जटिल भी है और वह यह थी कि जब भाई राजेन्द्र सिंह जी के कार्यकाल में खाद्यान्न योजना बहुत जोरों से चलाई गई थी, पूरा पैसा इनको भारत सरकार से मिल गया था कि उन्होंने इतनी तेजी से उसको चलाया कि सारा जितना खाद्यान्न था, समाप्त हो गया और आप कुछ ज्यादा काम कर लिए और उसमें का लाखों रुपया मजदूरों का बकाया रह गया था । अब उस बकाये के लिए हमारी सरकार ने एक फैसला लिया है कि हर एक मजदूर का सारा बकाया पैसा हम उनका शीघ्र ही अदा करेंगे । इसका सम्भवतया जी० ओ० भी ईश्यू हो गया होगा । मंत्रि परिषद् ने उसका अनुमोदन कर दिया है ।

श्री मोती लाल देहलवी--

यह मिट्टी बेचकर तो नहीं देगें, जो जनता सरकार ने डलवाई थी ?

श्री बलरामसिंह यादव--

ग्राम्य विकास विभाग ग्रामीण क्षेत्र में निर्बल वर्ग के व्यक्तियों के लिए आवास भी बनवाता है । यह योजना वर्ष 1979-80 में प्रारम्भ हुई थी । हम सभी जानते हैं कि इसके लिए दो हजार रुपया का अनुदान प्रति लाभार्थी दिया जाता था मैदानी क्षेत्र में और 3 हजार रुपया का अनुदान इसके लिए पर्वतीय क्षेत्र में दिया जाता था । मान्यवर, हमारी सरकार ने एक निर्णय लिया है और वह यह है कि आवासीय भवनों के बारे में हमारे पास बहुत सी शिकायतें आई थीं कि कुछ मकान या कालोनी गांव से बहुत दूर बनवा दी गई हैं, जिससे कि उनमें रहने के लिए लोग जाने को तैयार नहीं हैं और सुरक्षा की दृष्टि से भी लोग उनमें बसना नहीं चाहते थे । तो अब हमारा यह निर्णय हो गया कि जहां तक सम्भव होगा हम जो गांव होगा, उस गांव के बिल्कुल करीब जो भूमि उपलब्ध होगी, उसी पर आवासीय भवन बनवाएंगे, ताकि जो लाभार्थी हैं, वह उसमें आसानी से रह सके और उनकी सुरक्षा भी हो सके । साथ ही एक निर्णय और भी है कि अगर किसी भी ऐसे व्यक्ति के पास प्लाट पड़ा है या मिलता है तो वह अलग से भी उस पर आवास बनवाने के लिए उनको इजाजत दी जाएगी । और इस प्रकार मैं समझता हूं कि अब तक इस सम्बन्ध में जो शिकायतें आती थीं, उनका हम काफी हद तक निराकरण कर सकेंगे । उनका निराकरण हो जाएगा ।

[श्री बलराम सिंह यादव—]

मान्यवर, एक और बहुत क्रान्तिकारी कदम इस विभाग द्वारा उठाया जा रहा है और नह कदम यह ह कि जहां हम अभी तक शहरों में शहरों के रहने वाले लोगों के लिए आवासीय भवनों की व्यवस्था करते थे वहीं गांवों में रहने वाली जो बहुत बड़ी तादाद में जनता है, वह इससे महरुम रहती थी। आम जनता के लिए कोई योजना नहीं थी। मान्यवर, हमारी सरकार ने ग्रामीण आवासीय परिषद् का गठन कर लिया है और हमें आशा है कि वर्ष 1982-83 ने यह परिषद् सुचारू रूप से काम करने लगेगी। इस योजना के अन्तर्गत जो निर्बल वर्ग के लोग होंगे, उनको अधिकतम 6000 रुपये का ऋण दिया जायेगा इस ग्रामीण आवास परिषद् की ओर से और जो अल्प आय वर्ग के लोग होंगे, उनको लगभग 12,000 रुपये और मध्यम आय वर्ग के लोगों को अधिकतम 20,000 रुपये तक का ऋण आवास परिषद् देगा।

श्री रियासत हुसैन—

उन खुश नसीब अधिकारियों के नाम भी बता दीजिए जो इस आवास परिषद् के नाम से एडजेस्ट हो गये हैं ?

श्री बलराम सिंह यादव—

वह भी जानकारी दे दी जायेगी। फिलहाल इस काम को आरम्भ किया जायेगा, जैसे-जैसे इसका काम बढ़ता जायगा स्टाफ, साजो-सामान बढ़ता जायगा वैसे-वैसे इसे पूरा किया जायेगा। इस योजना की कल्पना ठीक उसी प्रकार से है जिस प्रकार से शहरों में आवास विकास परिषद् काम कर रही है। यह बहुत ही अच्छा कदम है और लोगों ने इसका स्वागत किया है।

हमारे प्रदेश में पेय जल योजना भी बहुत सुचारू रूप से चल रही है। मैदानी क्षेत्र में पेय जलकूप बनाये गये हैं, हैंड पम्प्स लगाये जा रहे हैं और पर्वतीय क्षेत्रों में डिग्गियों का निर्माण किया जा रहा है। 1982-83 के लिए 400.70 लाख रुपये का प्राविधान इस कार्य के लिए किया गया है।

एक सूचना और देना चाहता हूं और वह यह है कि पहले जो कुओं के निर्माण के लिए धनराशि मिलती थी तो कहीं-कहीं ऐसा होता था कि बहुत गहरे पर पानी निकलता था जिसमें खर्च बहुत ज्यादा हो जाता था। अब जो रुपये की सीलिंग है उसमें छूट कर दी गयी है। अगर कहीं पर बहुत गहराई में पानी निकलता है तो सरकार उसके लिये प्रबन्ध करेगी।

कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिये निजी लघु सिंचाई के क्षेत्र में हमारे प्रदेश में बहुत अच्छा काम हुआ है और सरकार सीमान्त कृषकों को और लघु कृषकों को इस हेतु अनुदान भी देती है। सीमान्त कृषकों को 33 1/2 प्रतिशत और लघु कृषकों को 25 प्रतिशत अनुदान इस योजना के अन्तर्गत दिया जा रहा है।

पठारी क्षेत्रों में ब्लास्ट वैल्स बनाये जा रहे हैं और बहुत गहराई वाले नलकूप भी इन इलाकों में बनाये जा रहे हैं। जो ब्लास्ट कूप हैं उनके लिये 5000 रुपये की सबसिडी देने का निर्णय और जो गहरे नलकूप हैं, जिनमें बहुत पैसा लगता है, उनके लिये 25,000 रुपया सबसिडी प्रति कुएं के हिसाब से, देने का हमारी सरकार ने निर्णय ले लिया है।

मान्यवर, इस विभाग का जो लक्ष्य था 1980-81 का वह 8.25 लाख हेक्टेयर सिंचाई का था और उसके अगेन्स्ट हमने 10.10 लाख हेक्टेयर में फिजिकल अचीवमेन्ट किया। इसी प्रकार वर्ष 1981-82 में हमारा लक्ष्य सिंचाई का 8.30 लाख हेक्टेयर में था जब कि हमने जनवरी, 82 तक 7.61 लाख हेक्टेयर में सिंचाई की। इस प्रकार देखा जाये तो विभाग ने लक्ष्य से ज्यादा काम करके दिखाया है और यह बहुत अच्छा काम है। इंडिया का छठीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत जो लक्ष्य सिंचाई का था वह 7 (सात) मिलियन हेक्टेयर का है और आपको यह जानकर खुशी होगी कि इसका लगभग 3.38 मिलियन हेक्टेयर अर्थात् 50 प्रतिशत एचीवमेन्ट पूरा करने की हमें आशा है।

बुन्देलखंड के बारे में हमारे कुछ माननीय सदस्य मांग करते रहे हैं कि वहां रिग मशीन्स की कमी है। वहां पर 2 रिग मशीनें भेज दीं गयी हैं, 4 खरीदी जा रही हैं और जैसे ही वे खरीद कर आ जायेंगी, उन चारों को भी वहां भेज दिया जायेगा।

ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा हमारे प्रदेश में बहुत अच्छा काम कर रही है। यह विभाग मंडी परिषद् की इमारतें बनाना, पंचायतों के भवन बनाना, पुलियों का बनाना, सड़कों का निर्माण, स्कूलों के भवनों का निर्माण आदि कामों को करता है। अभी यह नया विभाग है। जितने साधन और जितना स्टाफ इस विभाग को उपलब्ध है, वह पर्याप्त नहीं है, प्रयास यह किया जा रहा है कि इसकी स्ट्रेन्थ को बढ़ाया जाये ताकि गांव में होने वाले कामों में द्रुतगति लायी जा सके। वर्ष 1980-81 मे इस विभाग मे 1831 लाख रुपये का कार्य किया और वर्ष 1981-82 में इस विभाग ने 2113 लाख रुपयों का कार्य किया। इस विभाग का काम लगातार बढ़ रहा है। कुछ शिकायतें भी हमें इस विभाग म होन वाले कार्यों के सम्बन्ध में प्राप्त हुई थीं। इस सिलसिले म हमने निर्णय लिया है कि इस विभाग में एक अलग से टेक्निकल सेल की स्थापना की जायेगी। और यह 82-83 में इस सेल की स्थापना कर दी जायगी ताकि जो शिकायतें आ जाती हैं, उनकी जांच शीघ्रता से और ठीक प्रकार से कराई जा सके और विभाग के ऊपर जो निर्माण कार्य हो रहा है, उस पर नियंत्रण किया जा सके और उसकी क्वालिटी में सुधार लाया जा सके।

मान्यवर, हमारे प्रदेश में पंचायत उद्योग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सम्पूर्ण प्रदेश में 893 पंचायत उद्योग लगे हुये हैं। पंचायत उद्योग मान्यवर, 1982-83 में अनुमान ऐसा है कि 6 करोड़ रुपये की वस्तुओं का उत्पादन ये करेंगे और इस प्रकार ये पंचायत उद्योगों से जो आय होती है, ये पंचायतों के विकास कार्यों में खर्च होती है और जो विकास खंड या जिला परिषदें, जो पंचायत उद्योग लगाये हुये हैं, वह अपना व्यय अपने कामों में करते हैं। तो मान्यवर, इस प्रकार पंचायत उद्योग जो हैं, इसमें हजारों की तादाद में लोगों को रोजी-रोटी मिली हुई है और बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। सरकार ने एक और फैसला लिया है कि हम यह लखनऊ मुख्यालय पर एक विशाल पंचायत भवन बनाना चाहते हैं। पंचायत भवन यहां पर बनेगा, जिसमें गांव से आने वाले छोटे किसान और गरीब लोग उसमें नाम-मात्र का किराया देकर उसमें रुक सकेंगे। तो उसके लिये इसकी जमीन भी खरीदी जा चुकी है और शीघ्र ही इसका निर्माण शुरू हो जायेगा।

[श्री बलराम सिंह यादव---]

मान्यवर, प्रादेशिक विकास दल, इस विभाग का शुरू में, जब 1952 में इसकी स्थापना हुई थी, तो इसका नाम प्रान्तीय रक्षक दल था। लेकिन बाद में इसका नाम बदल कर प्रादेशिक विकास दल कर दिया गया। मान्यवर, यह विभाग ग्रामीण युवकों के लिये, उनको बौद्धिक रूप से शारीरिक रूप से और आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिये बहुत क्रांतिकारी कदम उठा रहा है। आज इस विभाग के जरिये से व्यवसायिक प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है और खेल-कूद आदि की योजनायें भी इस विभाग के जरिये से कार्यान्वित की जा रही हैं। व्यवसायिक प्रशिक्षण द्वारा 1980-82 तक 492 युवकों को लाभान्वित किया जा चुका है। 1982-83 के लिए 21,98 लाख रुपये का प्रस्ताव है। हमारे प्रदेश में विकास दल और युवक कल्याण निदेशालय की स्थापना कर दी गयी है और जो युवक कल्याण परिषद् जो दूसरे विभाग से सम्बन्ध रखता था, उसको भी ग्राम्य विकास विभाग के अन्तर्गत दे दिया गया है और एक युवा कल्याण निधि का सृजन सरकार ने किया है, जिसके श्रोत से युवा कल्याण कार्यक्रम प्रदेश में चलाया जायगा। मान्यवर, हमारे प्रदेश में विकास की योजनाएं चल रही हैं। कृषकों को कृषि सम्बन्धी ज्ञान हमारे खंड विकासों के जरिये से दिया जाता है। विकास खंड आवास बनाने क काम करते हैं। पेय जल कूपों को बनवाता है, सम्पर्क मार्गों का निर्माण कराता है। स्कूल भवनों और पंचायत भवनों का भी निर्माण विकास खन्डों के जरिये हो रहा है। विकास प्रदर्शनी भी विकास खण्ड लगाते हैं और उसमें कृषकों को कृषि के जो नये-नये तरीके हैं, उनका ज्ञान कराते हैं।

नेत्र चिकित्सा शिविर लगाने हेतु भी इस बजट में प्राविधान किया गया है। विकास खन्ड नेत्र चिकित्सा शिविर लगायेंगे। इस वर्ष विकास खन्डों के लिये भूमि, नये भवन, जीप क्रय के लिये 73.39 लाख रुपया 82-83 के लिये प्राविधान किया गया है। मान्यवर, हमारे जो समादेश क्षेत्र हैं। हमारे प्रदेश में 3 समादेश क्षेत्र हैं। राम गंगा, गन्डक और शारदा सहायक। इन तीनों समादेश क्षेत्रों के उत्थान के उद्देश्य से नहर और ट्यूबवेल से पानी को ले जाकर खेतों तक देना है। हमारी पुरानी पद्धति जो नहर या ट्यूबवेल से पानी देने की रही है, वह बहुत ही त्रुटिपूर्ण है, उसमें बहुत पानी बरबाद होता है। वाटर मैनेजमेन्ट आज के जमाने में बहुत आवश्यक है। थोड़े से पानी से बहुत सिंचाई हो सकती है अगर ठीक तरह से चेनलाइज करके पानी खेतों तक ला सके। मान्यवर, इस सम्बन्ध में मैं आपको बताना चाहता हूं कि 81-82 में 4.14 लाख हेक्टेयर का लक्ष्य था 31 जनवरी, 1982 तक 4.98 लाख हेक्टेयर का एचीवमेन्ट समादेश क्षेत्रों ने कर लिया है, जो लक्ष्य है उससे ज्यादा हमारे समादेश क्षेत्रों ने अच्छा काम किया है। इसी प्रकार मैं समझता हूं कि हमारे विभाग ने अच्छा काम किया है और हम समझते हैं कि आगे भी ठीक काम करने के लिये कोशिश की जायेगी। मैं चाहूंगा कि हमारे पक्ष और विपक्ष दोनों ही तरफ के माननीय विधायक जो आज इसमें भाग लेंगे वह कृपा करके सुझाव दें। हमारा प्रयास इस बात का होगा कि उनके जो अच्छे सुझाव हैं उन पर विचार करें और उनके अच्छे सुझावों का पालन करें। इन शब्दों के साथ में ओझा जी से सम्भवतः वही कटौती का प्रस्ताव पेश कर रहे हैं, मैं निवेदन करूंगा कि वह कृपा करके अपने कटौती के प्रस्ताव को वापस ले लें और इसको पास हो जाने दें, क्योंकि यह गांव का मामला है हम सभी का मामला है। इसलिये मेरा निवेदन है कि इसको वापस ले लें।

[समय 12.15 बजे अपराह्न--]

*श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 18-ग्राम्य विकास विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 30--पंचायती राज विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 80--क्षेत्रीय विकास विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

मान्यवर, मुझे प्रसन्नता है कि आज मैं उस विभाग की ओर आदरणीय सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जिसके ऊपर प्रदेश के विकास की सारी जिम्मेदारी है और जिसकी कल्पना स्व0 राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने की थी। महात्मा गांधी के सपनों का भारत, आजाद चन्द्र शेखर और शहीद भगत सिंह के बलिदानों का भारत, पं0 जवाहर लाल नेहरू के अरमानों का भारत, डा0 लोहिया और बाबू जय प्रकाश नारायण के समग्र क्रांति का भारत कैसा हो, उसको बनाने की परिकल्पना इस विभाग के ऊपर रखी गयी थी। 1952 में जब श्री के0 सी0 डे केन्द्र में मन्त्री थे और मुझे कहते हुये प्रसन्नता है कि मन्त्री जी के जिले के महेबा नामक स्थान में पायलेट प्रोजेक्ट स्कीम शुरू की गयी थी, उस योजना का अभिप्राय यह था कि प्रदेश में जो 72 हजार से ऊपर ग्राम सभायें फैली हैं, जिसमें 80 फीसदी लोग गरीबी सीमा के नीचे रहते हैं, उनके झोपड़ों में आशा के चिराग जलें, जिनके पास कुछ नहीं था उनको कुछ दे सकें, जिनको अंग्रेजों को हटाने और देश को आजाद बनाने के जो अरमान थे कि आजादी के बाद भारत ऐसा होगा और कोई भूखा एवं नंगा नहीं रहेगा, कोई बे मकान और बेरोजगार नहीं रहेगा, ऐसी परिकल्पना की शुरुआत के लिये योजनाय शुरू की गयीं जिनमें बुनियादी तरीके से गल्तियां हुई हैं। पं0 नेहरू ने जो इम्फेसिस रखा वह भारी उद्योगों की ओर रखा और हमारा पैसा भारी उद्योगों में लगा। जो परिकल्पना थी कि छोटे उद्योग लगें चूंकि भारत कृषि प्रधान देश है, गरीब, अशिक्षित और अविकसित देश है तो ऐसे देश में जो कल्पना की गयी थी, वह यह थी कि ज्यादा हाथों को हम काम दें लेकिन उसके विपरीत किया गया।

मान्यवर, मेरा सामुदायिक विकास, कम्युनिटी डेवलपमेन्ट से पुराना सम्बन्ध रहा है और मैंने इसमें रिसर्च भी किया और पाया कि जो भी धनराशि ब्लाकों को दी गयी और जो ब्लाक इनीशियल स्टेज के थे उनको 5-5 लाख रुपये दिया गया था, वह पूरा 90 प्रतिशत पैसा उनकी जेब में चला गया जिनके पास पहले से पैसा था और वह जमींदार और बड़े लोग थे, परन्तु जिन छोटे और गरीब लोगों को पैसा देने की परिकल्पना थी कि 90 प्रतिशत लोगों को देंगे लेकिन

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--]

उसका उल्टा हुआ और 90 फीसदी पैसा 10 फीसदी ऐसे लोगों के पास चला गया जिनके पास पहले से पैसा था। इस तरह से जो योजना की कल्पना थी, जिसकी पंजाब के गांव नीलोखेड़ी में श्री के0 सी0 डे ने परिकल्पना की थी, वह पूरी न होते देख उनको धक्का लगा और केन्द्र सरकार से इस्तीफा देकर अपने पद से हट गये। इसलिये मन्त्री जी आज भी इन 35 सालों में कोई बुनियादी परिवर्तन नहीं हुआ है और मेरा आरोप है और मेरा कहना है कि आप किसी भी ब्लाक का सर्वेक्षण करें तो पायेंगे कि उसमें जितना पैसा दिया गया है, उसमें कितना पैसा गरीबों के पास गया है और कितना पैसा उन लोगों के पास गया है जिनकी किसी तरह की हैसियत थी, जिनकी अपनी जायजाद थी, जो सम्पन्न थे। जो पैसा गरीब ले सकते थे वह प्रकारांतर उन लोगों के पास चला गया जो सम्पन्न लोग थे जिनकी स्थिति सुदृढ़ थी। जो गरीब और कमजोर लोग थे उनकी स्थिति कमजोर होती चली गयी यह एक मैंने तथ्य की तरफ ध्यान आकर्षित किया है। मान्यवर, इसके बाद जनता पार्टी आयी, जनता पार्टी का शासन आया। जनता पार्टी ने प्रथम बार उस गांधी के स्वप्न को साकार करने की दिशा में चलने की कोशिश की।

अन्त्योदय योजना को चाहे आप जिनकी योजना कह लीजिये लेकिन वह एक ऐसी योजना थी जिसके माध्यम से जिसके पास कुछ नहीं था, उसको हमने कुछ देने की कोशिश की थी। इस योजना के जरिये उनको हमने कुछ देने की कोशिश की जिनको 30 सालों में कुछ नहीं दिया गया था। गांव का बेरोजगार युवक, बिना जमीन का आदमी, बिना मकान वाले आदमी, जिसके पास कोई साधन नहीं था, जिनकी कोई हैसियत नहीं थी, बिना हैसियत के प्रमाण-पत्र के हमने 5 हजार रुपये देने की बात की और कही कि आधा रुपया माफ कर देते हैं और आधा रुपया जब तुम्हारे पास हो तब वापस कर देना।

मान्यवर, इसी प्रकार से 25 लाख लोगों जिनके पास कुछ नहीं था, उनको हमने कुछ देने की बात की। मान्यवर, इसी प्रकार से खाद्यान्न योजना में गांवों को सड़कों से जोड़ने की बात हमने की थी। प्रशासन के आपरेटर्स के बारे में हम आप सभी जानते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। समाज में सभी सिद्ध फकीर नहीं हैं, तो गड़बड़ियां हुयीं, गड़बड़ियां हो सकती हैं। आज भी हो रहीं हैं, कल भी होंगी लेकिन जो हमारी नीयत थी, वह बेरोजगार लोगों को काम देने की थी। जिसके पास कुछ नहीं था, उसको कुछ देने की थी। हमारी नीयत थी कि उसके मकान के सामने सड़क भी बने और उसका भरण-पोषण हो।

मान्यवर, यह सरकार जब से आयी, जनता पार्टी की सरकार ने अन्त्योदय का जो कार्यक्रम चलाया था, खाद्यान्न योजना जो चलायी थी तो इन दोनों योजनाओं को समाप्त कर दिया गया। मैं मान्यवर, आपके माध्यम से मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं, मेरा विश्वास है कि उनके हृदय में प्रदेश को आगे बढ़ाने की कल्पना है, उनका सम्बन्ध गांव से है और उन लोगों से है जो समाज में दबे हुए और पिछड़े हुए हैं। अगर उनके मन में यह भावना है तो मैं आग्रह करूंगा कि अन्त्योदय योजना और खाद्यान्न योजना पर पुनर्विचार करें। यह ऐसी योजनायें थीं। जिन्होंने गरीब के मन में एक उम्मीद का चिराग जलाया। यह ऐसी योजनायें थीं जिन्होंने गांव के बेसहारा लोगों को सहारा दिया था। गुरबत से लोगों को बचाने का काम इस योजना के जरिए से किया गया था, यह इस आन्दोलन का सैद्धांतिक पक्ष रहा है। जो इस योजना का व्यवहारिक पक्ष था, उसके

सम्बन्ध में भी मैं दो-तीन बातें कहना चाहता हूं। सी0 डी0 की जो योजना है और इसका जो उद्देश्य है तो जैसे एक टीम होती है, और उस टीम का कैप्टन होता है और उसके अन्डर में खिलाड़ी होते हैं तो यह योजना ऐसी ही थी। बी0 डी0 ओ0 टीम लीडर होगा और बाकी लोग उसके अन्तर्गत, ए0 डी0 ओ0 पंचायत, ए0 डी0 ओ0 इंडस्ट्री आदि जो खिलाड़ी के रूप में हैं, वह बी0 डी0 ओ0 की टीम का लीडर मानने के लिए तैयार नहीं हैं। जिस उद्देश्य, जिस सिद्धान्त के लिए और जिन आकांक्षाओं को अमली जामा पहनाने के लिए सी0 डी0 की कल्पना की गयी थी, वह पूरी नहीं हुई।

आज बी0 डी0 ओ0 का नियंत्रण ए0 डी0 ओ0 कोआपरेटिव, ए0 डी0 ओ0 (एम0 आई0) पर नहीं है। बी0 डी0 ओ0 एक ऐसा कैप्टन है जिसके पीछे कोई खिलाड़ी नहीं है। मैं मंत्री जी से एक अनुरोध यह भी करना चाहता हूं कि जो एक नयी परम्परा की शुरुआत की गयी है आई0 ए0 एस0 अफसरों को लादने की 18 सी0 डी0 ओ0 रखे गए हैं, यह जो सी0 डी0 ओ0 हैं, उनको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से क्या सम्बन्ध है, इसकी जानकारी करें। इनका विकास अधिकारी से क्या सम्बन्ध है, इसकी जानकारी करें। सी0 डी0 ओ0 की यह पोस्टें किस काम के लिए हैं, यह मैं आपसे जानना चाहता हूं। मैंने स्पष्ट कहा है कि इस प्रकार से जो फालतू लोगों को रिक्रूट करने की परम्परा चली है, उसको समाप्त करने की बात कीजिए।

तीसरी बात निवेदन करना चाहता हूं कि इससे पहले मैं बधाई दे दूं, मंत्री जी को कि उन्होंने पंचायत के चुनाव का नोटीफिकेशन कर दिया है। इससे एक बार गांव के लोगों में यह जागृति आयी, उन्हें लगा कि वोट देने का उनका अधिकार, जिस पर अंकुश लगा हुआ था, पुनः उन्हें मिल गया है। सत्य बात को कहने में संकोच नहीं होना चाहिए, इसके लिए मैं मंत्री जी को बधाई देता हूं। इसके अलावा मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, जिसमें आपने तय किया है कि जिस ग्राम की आबादी 5 हजार से अधिक होगी, वहां ग्राम सभा बनायेंगे। इस सम्बन्ध में कहना चाहता हूं कि 1977 के स्पष्ट शासनादेश का अनुपालन अभी नहीं हुआ है। कभी फाइल सी0 डी0 (कम्युनिटी डेवलपमेन्ट) में जाती है, कभी पंचायती राज विभाग में जाती है। विभागों में आपस का टकराव सचिवालय में भी है। फाइल ठीक फुटबाल की तरह कभी इधर कभी उधर जाती है। पंचायती राज की जो कल्पना गांधी जी ने की थी, डा0 बलवन्त राय मेहता कमेटी के आधार पर उसका संगठन हुआ था।

सूचना दी गई है कि गत वर्ष 4 करोड़ रु0 पंचायतों को वसूल करना था भू-राजस्व का और उन्होंने 40 प्रतिशत वसूल भी किया है। मैं आपको चुनौती देने की स्थिति में नहीं हूं, लेकिन मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि अगर इसमें एक प्रतिशत भी सच्चाई हो यानी पंचायतों ने गांव में अगर भू-राजस्व की वसूली की हो तो जो भी दन्ड यह आदरणीय सदन देना चाहे, मैं लेने को तैयार हूं। कागज वसूल होता है, कागज में खर्च होता है। एक भी पैसा ग्राम पंचायतों को नहीं मिला। क्यों नहीं मिल रहा है, इस सम्बन्ध में विचार करना होगा। पंचायतें अपंग हो गयी हैं, उनके पास आय का कोई स्रोत नहीं रह गया है। इस सम्बन्ध में कड़ाई से काम लें ताकि 25 प्रतिशत जो भू-राजस्व है, वह तो मिलता ही रहे और इसके अतिरिक्त भी अगर आय के स्रोत हों, एक्साइज इत्यादि से तो अच्छा होगा। इस रूप में जब तक ग्राम पंचायतें आत्मनिर्भर नहीं होंगी, तक तक केवल

[श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--]

कल्पना मूर्त रूप में साकार नहीं हो सकती है। पंचायतों को सक्षम बनाने के लिए आय के स्रोतों को बढ़ाना पड़ेगा, 25 प्रतिशत भू-राजस्व के सम्बन्ध में देखना होगा कि इसकी वसूली होती है या नहीं।

दूसरी विडम्बना यह है कि पंचायत विभाग के लोगों का अभी प्रदर्शन हुआ, आपने आश्वासन भी दिया कि उनके स्केल वगैरह को ठीक करेंगे। मैं कहना चाहता हूं कि यह एक ऐसा विभाग है, जिसमें सभी अधिकारी ही हैं, कर्मचारी कोई नहीं है। पंचायत सेवक अब ग्राम अधिकारी होगा, ग्राम सेवक ग्राम विकास अधिकारी होगा, इसके अतिरिक्त सहायक विकास अधिकारी, खंड विकास अधिकारी जिला विकास अधिकारी, सभी अधिकारी हो गए, कोई सेवक रहा ही नहीं, शायद मंत्री जी अकेले रह जायेंगे।

(हंसी)

अंग्रेजों के समय में था कि पटवारी अधिकारी नहीं था, कानूनगो अधिकारी नहीं था, तहसीलदार अधिकारी नहीं था, सब कर्मचारी थे लेकिन आज वाह रे मंत्री जी का विभाग कि सभी अधिकारी हो गए। मैंने पूछा एक पंचायत सेवक से कि तुम तो अब अधिकारी हो गए तो उसने कहा कि हम तो रोटी मांगने गए थे। हमारा वेतन जोकि एस के0 यानी कानूनगो के बराबर था, वह अधिकारी बनने के कारण घटकर एक लिपिक से कम हो गया है। मैंने कहा कि चलो अब तुमको अधिकारी का सर्टीफिकेट दे दिया गया है और अब तुम अधिकारी हो गए हो। तो मैं कहना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी आप इस पर जरा विचार कीजिए। आप अधिकारी बनायें या न बनायें आप उनका स्केल बढ़ाने के बजाय कम मत कीजिए। इस तरह से फर्जी तरीके से समाज को भ्रमित मत कीजिए।

मान्यवर, एक सी0 डी0 का सेमिनार हुआ था, सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट के लोग वहां आये हुए थे। मैंने एक सुझाव दिया कि बजाय जहां पर 10 कर्मचारी हैं, हर गांव में एक कर्मचारी कर दीजिए। एक ऐसा कर्मचारी रखिए जोकि अपनी रिसपान्सिबिलिटीज को समझे और हर काम के लिए रिसपान्सिबिल हों। आज मान्यवर, हो क्या रहा है लेखपाल वही काम कर रहा है, ग्राम सेवक वही काम कर रहा है, कृषि विभाग का कर्मचारी वही काम कर रहा है, गन्ना विभाग का अधिकारी वही काम कर रहा है, इस तरह से विभिन्न तरीके से कर्मचारियों व अधिकारियों का जमघट लगा हुआ है उसका नतीजा यह हो रहा है कि कोई कर्मचारी काम नहीं कर रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार को इस दिशा में रहनुमाई करनी चाहिए।

सारे देश में क्षेत्र समितियों में जो स्टाफ है, उसमें कोई कोआर्डिनेशन नहीं है। कोई कोआर्डिनेटिव स्टाफ नहीं है। वहां पर समन्वयकर्ता एक अधिकारी हो, ऐसा कोई अधिकारी नहीं है। हमारे प्रदेश में इस तरह से कोआर्डिनेशन नाम की कोई चीज नहीं रह गयी है।

माननीय मंत्री जी से मैं कहना चाहता हूं कि मंत्री जी आप एक चुनौती स्वीकार कर लीजिए, आप बहुत बड़े जनतांत्रिक हैं और जनतांत्रिक प्रणाली में विश्वास रखने वाले आप हैं तो मेरी यह चुनौती अवश्य स्वीकार कर लीजिए कि प्रत्यक्ष मतदाता प्रणाली से आप चुनाव करवा लीजिए, आप डायरेक्ट चुनाव क्यों

नहीं करवाते हैं ? मान्यवर, जनता पार्टी के शासन काल में फैसला हुआ था कि सामुदायिक विकास योजना की जो अन्तरात्मा है उसको अंग्रेजों ने पीपुल्स पार्टीसिपेशन का नाम दिया था तो जब तक जनता का पार्टीसिपेशन नहीं होगा, जब तक जनता की साझेदारी नहीं होगी तब तक सफलता के सामने प्रश्न चिह्न लगा रहेगा। जनता का पार्टीसिपेशन बहुत आवश्यक है कि जनता हर मामले में शरीक हो, उसकी शिरकत हर मामले में होनी चाहिये। जब चुनाव प्रत्यक्ष मतदाता प्रणाली से होंगे जैसे कि पंचायतों में हो रहे हैं तो मैं समझूंगा कि आप लोगों के बुनियादी हकों में विश्वास रखते हैं। जो इसकी मंशा है पीपुल्स पार्टीसिपेशन की यह एक कसौटी है इसमें आपको खरा उतरना चाहिये।

जो क्षेत्र समितियों की स्थिति है, जब से यह सरकार यहां पर आयी है मैं उस ओर बैठने वाले सदस्यों से कहता हूं कि उधर का एक भी आदरणीय सदस्य यह बतायें कि कभी क्षेत्र समिति की मीटिंग हुई है ?

श्री नरेश चन्द अग्रवाल--

हुई हैं।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

नहीं हुई हैं और यदि हुई हैं तो अपवाद हुई होगी, उसे मैं नहीं कह सकता। मान्यवर, क्षेत्र समितियों की कोई मीटिंग नहीं हो रही है, अगर कहीं कोई मीटिंग हुई है तो उस मीटिंग का कोई औचित्य नहीं रहा। यह हो सकता है। हम नहीं कहना चाहते कि कांग्रेस आई की थी या किसकी थी, यह बड़ी हल्की बात हो जायेगी। लेकिन सामान्य रूप से कहीं भी जिला परिषद् की, क्षेत्र समिति की मीटिंग्स नहीं हुई और घोषणा की थी कि एक-एक लाख रुपया विधायकों के डिस्पोजल पर रख दिया है। उससे हम लोगों की हालत बड़ी खराब है। गांव के लोग कहते हैं कि अब तो आप को एक लाख रुपया मिल ही गया है, हमारे यहां की पुलियां बनवा दीजिये। लेकिन पता नहीं चला कि वह रुपया कहां चला गया। खंड विकास अधिकारी, विकास अधिकारी, उसका पालन नहीं कर रहे हैं। इसका पता लगायें। तो इस तरह से किसानों की कोई मदद नहीं हो रही है। जिला परिषदों के सम्बन्ध में एक बात कहना चाहता हूं। उनके चुनाव तो आप करायेंगे ही। लेकिन नामिनेशन की जो प्रथा है, उसको आप समाप्त करें। जो आप के आने वाले अध्यक्ष हैं, उनको जब तक यह अधिकार नहीं दिया जायेगा कि वे जनता का प्रतिनिधि होने के नाते डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की चरित्र-पंजिका में अपनी टिप्पणी लिखें, अगर ऐसा नहीं कर सकते, यह अधिकार नहीं दिया गया तो जिला परिषद् बेमतलब की चीज हो जायेगी। उसकी कोई मंशा नहीं रह जायेगी जो हम और आप चाहते हैं। जो अधिकार पहले से जिला परिषद् अधिनियम में दिये गये हैं उन्हें वापस लेना पड़ेगा, उसमें कटौती करनी पड़ेगी।

इसी प्रकार से जिला परिषदों की मीटिंगें, जितने भी विभागाध्यक्ष हैं, सिंचाई के हों, कृषि के हों, कोआपरेटिव के हों, उनके लिए यह अनिवार्यता होनी चाहिए कि निश्चित रूप से वे उसमें शिरकत करें और अगर वे ऐसा न करें तो उनके खिलाफ भी कार्यवाही होनी चाहिए। जिला परिषदों के सम्बन्ध में एक प्रकारान्तर में दृष्टांत देना चाहता हूं देवरिया जिला परिषद् का। लीज पर जमीन दी गई मोहर राम जी को टंकी बनवाने के लिए। ए0 सी0 एम0 ने झोपड़ी को उठा कर फेंकवा दिया। हरि केवल प्रसाद जी को जेल में बन्द कर दिया गया।

[श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--]

और जब यह पता चला कि उनको मारा गया तो उनकी माँ की मृत्यु हो गई। वह सदस्य भी थे। यह बड़े कलंक की बात है। इसकी आप जांच करा लें। आपका कहना है कि यह तो कन्ट्राडिक्शन हो रहा है। कटौती का प्रस्ताव तो जनतांत्रिक प्रणाली में एक औपचारिकता है। मैं जानना चाहता हूं कि कितना पैसा कितना प्रतिशत बजट एलोकेशन ग्राम विकास को दिया और कितना नगर विकास को दिया गया है। जनता शासन ने पहली बार अपने बजट का 44 प्रतिशत गांवों को दिया था। आप अपने बजट को उठा कर देख लें और नगर विकास को भी देख लें। 15·2 प्रतिशत इस प्रदेश में...

(व्यवधान)

15 प्रतिशत जनसंख्या शहरों की है और 85 प्रतिशत जनसंख्या देहात की है। दोनों के ही बजट, आप कहेंगे कि फिर शहर और देहात की लड़ाई शुरू कर दी लेकिन यह सवाल अपने आप उठ जाता है कि जब हमने प्रतिज्ञा की है कि जो देहातों में रहने वाले लोग हैं, जो गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोग हैं, जो कमजोर लोग हैं, जब हमने यह संकल्प किया है तो हमें उस दिशा में सोचना भी पड़ेगा और इसीलिये जब हम पहले वाले बजट की इस बजट से तुलना करते हैं तो पता चलता है कि हम कहां हैं और वे कहां हैं। सारा का सारा पैसा जो गरीबों के खून पसीने का कमाया हुआ सरकारी खजाने में जा रहा है वह समाज के उन बड़े-बड़े लोगों पर खर्च हो रहा है जिनके पास पहले से ही पैसा मौजूद है। इसलिये इस दिशा में मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि जहां जनता शासन के अपने बजट का अधिकतम पैसा गांवों को देने की बात थी, गांवों की किस्मत को बदलने की बात की थी, उसमें आपने जो परिवर्तन किया है, वह इस बात का सबूत है कि आप ईमानदारी से इस प्रदेश के गरीबों की किस्मत को, गांवों की किस्मत को बदलने का काम नहीं कर रहे केवल करने की बात कर रहे हैं। इसलिये मेरी मांग है कि आपको इस दिशा में भी सोचना चाहिये।

आपके विभाग से सम्बन्धित आर० ई० एस० विभाग है। आपने स्वतः स्वीकार किया है कि इस विभाग का अपना कोई लक्ष्य नहीं है। जिस विभाग का कोई परपज ही न हो, जिसका कोई लक्ष्य ही न हो, उसके काम का क्या औचित्य है? रूरल माइनर इरिगेशन के अन्तर्गत 900 ए० ई० हैं, 1200 जे० ई० हैं और तमाम इंजीनियर्स हैं, फिर यह आर० ई० एस० किस चीज की दवा है? मेरा निश्चित आरोप है कि इस मामले में चर्चा चल रही है भ्रष्टाचार की कि सिंचाई विभाग और पी० डबल्यू० डी० में। जहां एक सात और एक पांच के रेशियो में सीमेन्ट और बालू का लगता है वहां आर० ई० एस० में 1 और 16 के हिसाब से लगता है। सारा का सारा पैसा किस प्रकार से आरण ई० एस० में अपव्यय हो रहा है, इसकी कल्पना हम और आप शायद नहीं कर सकते। इसलिये मेरी मांग है कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। अगर कोई आवश्यकता है तो निश्चित रूप से आप इसको देख लें और एक मूल्यांकन समिति बैठा दीजिये जो अपनी रिपोर्ट दे।

आपने एक आडिट सेल बना दिया है, यह बहुत अच्छा किया है, लेकिन वह तो 82-83 में न मालूम कब होगा लेकिन तत्काल इस काम को करना है। इसके लिये आप चले चलिये हमारे साथ गोरखपुर या अपने जिले में ही चले चलिये, आप भी उसी निष्कर्ष पर पहुंच जायेंगे जिस निष्कर्ष

पर में पहुंचा हूं । चीफ इंजीनियर साहब बैठे हुए हैं । उनसे ज्यादा सीनियर एस0 ई0, वाराणसी हैं उनके नीचे रहेंगे । आखिर कौन सी ऐसी बात है, इसको भी जरा आप देख लें । माइनर इर्रीगेशन के अन्तर्गत जो पम्पिंग सेट्स आप किसान को देते हैं, जो ट्यूबवेल्स देते हैं, उनका टार्गेट तो पूरा करता है माइनर इरीगेशन डिपार्टमेन्ट और इसके सिवा दूसरा कोई काम नहीं करता है । माइनर इरीगेशन डिपार्टमेन्ट के अधिकारी व कर्मचारी किसानों से केवल इतना कहते हैं कि पम्पिंग सेट अमुक दुकान से न लेकर अमुक दूकान से खरीद लें । और कोई काम नही है । पम्पिंग सेट खरीदता है किसान, रहट लगाता है किसान, ट्यूबवेल लगाता है किसान और माइनर इर्रीगेशन डिपार्टमेन्ट केवल यही कहता है कि इस दूकान से न खरीद कर उस दूकान से यह सामान खरीद लो । आप अब सोच लें कि किसान इन तरह की खरीदारी में किस तरह से मारा जाता है । इसके लिये मेरी मंशा है कि आप निश्चित कर दीजिये कि कौन सा पम्पिंग सेट किस रेट पर बिकेगा या खुद अपनी एजेंसीज से उनको ये सारे सामान दिलवाइये । आखिर गांवों में आपके पास भी तो अपनी एजेंसी हैं । किसानों को सबसे ज्यादा मार आपकी सब्सिडी म पड़ती है । जितनी सब्सिडी आप दे रहे हैं, किसान को इसकी भागदौड़ में बहुत खर्च करना पड़ता है और फिर भी तीन साढ़े तीन हजार का सेट 5 हजार रुपये में खरीदने के लिये बाध्य होना पड़ता है । इसलिये आप पम्पिंग सेट खरीदने की व्यवस्था में परिवर्तन कीजिये । क्योंकि किसानों को जो सुविधा आप इन सामानों की खरीद में दे रहे हैं, वह उस तक पहुंच नहीं पा रही है । मैं आपसे फिर निवेदन करूंगा कि आई0 आर0 एस0, माइनर इर्रीगेशन दोनों विभागों को मर्ज कर दीजिए । यह सही है कुछ लोग बेरोजगार हो जायेंगे । बड़े लोग बेरोजगार होंगे छोटे जे0 ई0 के स्तर तक नहीं होंगे । दोनों विभागों को एक में मर्ज कर दीजिए ताकि यह जो ओवर स्टाफिंग है और यह जो उद्देश्यहीन विभाग काम कर रहा है, उस पर अंकुश लगे ।

मान्यवर, नौकरशाही का एक दृष्टान्त दे देता हूं । बायो गैस या गोबर गैस जिसे कहते हैं कृषि विभाग से सम्बन्धित योजना है । सारा काम 100 फीसदी आपके कर्मचारी करते हैं । नाम कृषि विभाग का है, काम यह विभाग करता है । आपने कहा इस विभाग को ट्रान्सफर कर दीजिए । माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा । ए0 पी0 सी0 ने प्रदेश के समस्त जिलाधिकारियों को जी0 ओ0 लिखा कि यह जो योजना है वह ग्राम्य विकास विभाग को सफर की जा रही है । लेकिन मेरी निश्चित जानकारी है कि आज तक ऐसा नहीं हुआ है । यह एक लाल फीताशाही का दृष्टान्त है ।

दूसरा दृष्टान्त सुन लीजिए । एक जूलौजिस्ट आपके यहां है । जो अन्डर ग्राउन्ड वाटर सर्वे ऐसा विभाग है जिसके सम्बन्ध में यहां बैठे हुये जितने लोगों को जानकारी है । एक कोई अकलियत के अधिकारी सेन्ट्रल गवर्नमेंट से आये डिपुटेशन पर । डिपुटेशन पर आये फिर वह यहां पर कनफर्म हुये । वहां उनका लियन समाप्त हो गया । केबिनट का यहां एप्रूवल हो गया । उनको वापस भेजने के लिए फिर से केबिनट में कोई पेशकश हो रही है कोई मंत्री जी इन्टरेस्टेड हैं । वहां भी न रहें, यहां पर भी न रहें, सड़क पर चले जायं । यह लाल फीताशाही है ।

मैं एक निवेदन और करना चाहता हूं । यह जो जिला परिषद् के कर्मचारी हैं आखिर इन्होंने क्या पाप किया है कि उसी कार्यालय में आपका प्लानिंग का बाबू है, वह दूसरा पे स्केल लेता है और उसी के समान जिला परिषद् का

[श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—]

कर्मचारी है, आप उसे दूसरा पे स्केल देते हैं। वह कौन सा पाप किये हैं। इसलिए मेरा अनुरोध है कि समान कार्य के लिए समान वेतन आपने स्वीकार किया है, आप एक ही कार्यालय में दो विभिन्न कमरों में बैठे बाबू काम करते हैं उनको समान वेतन देने की कृपा करें चाहे आपके पे कमीशन ने इसकी संस्तुति की हो या नहीं।

बाकी आपने यह जो कमान्ड एरियाज की बात की है। संयोगवश बदकिस्मती से मेरा इलाका भी गन्डक कमाण्ड एरिया में आता है। कमान्ड एरिया क्या बला है? कभी किसी गांव में जा कर देखिये। किसान से पूछिये कमान्ड एरिया क्या है? यह सब कागजी काम है। आप कभी चेक तो कीजिए। आप देखेंगे कि यह जो एकीकरण विकास योजना है, इसके सम्बन्ध में एक आरोप लगाता हूं। गोरखपुर कमिश्नरी को ले लीजिए। जितना कर्ज बंटा है, आप देख लीजिए, कहीं अगर 50 फीसदी सही हो तो मैं जुर्माना सहने के लिए तैयार हूं। केन्द्र सरकार से चूंकि निर्देश है कि आप अगर पचीस फीसदी खर्च नहीं करेंगे तो पैसा नहीं देंगे, तो आप कर रहे हैं। आपके जिला अधिकारी हैं, मंडल के अधिकारी हैं किसानों को मीटिंग में कह देते हैं कि 10 लाख खर्च हुआ। सबसीडी के लिए बैंक को दे देते हैं और बैंक एक आदमी को भी कर्ज नहीं देता। इसकी जांच करा लीजिए। पता चल जायगा। कहीं भी इन्टीग्रेटेड योजना में किसान को कर्ज नहीं मिल रहा है। बैंकों के अपने रिजर्वेशन हैं। बैंक कहता है कि रिजर्व बैंक कर्ज देने के लिए नहीं कह रहा है। सेन्ट्रल गवर्नमेंट जब तक आप 50 प्रतिशत खर्च नहीं करेंगे तब तक आपको पैसा नहीं देगा इस स्कीम में। आपने देखा कि जो रुपया बंटा है वह कहां है। बैंक आपको नहीं दे रहा है। रिजर्व बैंक का डन्डा आपके ऊपर पड़ा हुआ है।

आपके अधिकारी सेन्ट्रल गवर्नमेंट से पैसा लेने के लिये फर्जी बातें करते हैं। स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान आपके चल रहे हैं। इसके बारे में आप पता कर लीजिये। यह जो एकीकृत ग्राम्य विकास योजना की लिस्ट आपके यहां बन रही है। उसमें एक ब्लाक को ही ले लीजिये कि उसमें किस तरह से मनमाने ढंग से वह लिस्ट बन रही है। उसमें ऐसे लोगों का नाम है जिसके पास ट्यूबवेल है, पम्पिंग सेट है, उनके नाम इस योजना के अन्दर हैं। गलत यह है कि जिनको वह मिलना चाहिए उनका नाम काट दिया गया है और जिनको नहीं मिलना चाहिए वे अपना नाम उनमें लिखवा रहे हैं। आप इसकी स्क्रूटिनी करवा लीजिये। मेरी मांग है कि उस लिस्ट में जन-प्रतिनिधियों का भी समावेश होना चाहिए, उनके भी सुझाव और सहयोग लेना चाहिए नहीं तो जिन कर्मचारियों के जिम्मे यह स्कीम कर दी गई है वे इसका बेड़ा गर्क ही कर देंगे।

दूसरी बात यह है कि जब तक बैंक की टेक्निकलिटी है, उसे दूर नहीं किया जायेगा, तब तक यह स्कीम सफल नहीं हो सकती। किसान को पैसा नहीं मिल पा रहा है। किसान कहता है कि इससे अच्छा तो यही था कि हम कर्ज के लिये फार्म ही न भरते चाहे वह एस0 एफ0 डी0 ए0 हो या आई0 आर0 डी0 हो। इसी तरह से कमान्ड एरियाज हैं, उनमें भी डुप्लीकेट काम हो रहा है। दूसरे विभाग वाले कहते हैं कि यह काम हमारा है और आपका विभाग कहता है कि हमारा काम है, इस तरह से काम डुप्लीकेट हो रहा है और किसान को कान्फिडेंस में नहीं लिया जा रहा है। उसको इसके बारे में कुछ पता नहीं है। यदि आप इस योजना को मूल रूप देना चाहते हैं तो इसके बारे में आपको फिर से विचार करना पड़ेगा।

मैं आपको धन्यवाद भी देना चाहता हूं। हमारी सरकार नपुन्सक नहीं थी। सरकार तो एक कान्टीन्युअस प्रोसेस है। सन् 77 में आप भी लगभग डेढ़ सौ करोड़ रुपया छोड़कर आये थे। जिसे जनता सरकार ने लिया था। उसमें कोई अकर्मण्यता नहीं थी। यह तो सरकार का मामला है। कल आप भी यहां से छोड़कर जायेंगे। अमेरिका पैसा दे रहा है। मान्यवर, एक निवेदन और कर दूं। आप हमारी बेवकूफी ही मान लीजिये। हमने सड़कें बनवाईं, उन पर कच्चा ही काम किया। लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जनता शासन ने जो सड़कें बनवाईं उनमें किसी वजह से गैप रह गया, मिट्टी हट गई और वह सड़कें उद्देश्यहीन हो गईं और उनकी उपयोगिता अपने आप में समाप्त हो गई।

मान्यवर, यह राष्ट्रीय ग्रामीण योजना है, उसका उद्देश्य पूरा न हो और आपने उसे पूरा कर दिया तो आपको हम धन्यवाद देंगे। बजट का एक हिस्सा आपको उस काम को पूरा करने के लिये रखना चाहिए था। जो सड़कें कच्ची थीं जिनमें किसी वजह से गैप रह गया था, जिन सड़कों में पुलिया वगैरह रह गई थी या जो सड़कें डिसमेंटिल हो गई थी और जिनमें थोड़ा पैसा खर्च करने बाद वे ठीक हो सकती थीं तो उस काम को आपको पहले टेकअप करना चाहिए था और उनको ठीक करना चाहिए था। लेकिन यह विभाग जो कि आज बैंकरप्सी की ओर बढ़ रहा है, जिसकी पूर्ति के लिये इस विभाग की स्थापना की गई थी, उससे इसका काम तेजी से हटता जा रहा है, नौकरशाही हावी होती चली जा रही है इसलिये हमको बाध्य होकर यह कटौती का प्रस्ताव रखना पड़ा है। हम तो चाहते हैं कि इस विभाग का आधा पैसा गरीबों को दे दिया जाय जो कि अपनी झोपड़ी में चिराग तो जला सकें।

आज प्रदेश के अन्दर गरीबों का यह पैसा ऐय्याशी में खर्च हो रहा है, अफसरशाही में खर्च हो रहा है, हमारी इच्छा तो यह थी कि यह सब पैसा गरीबों को उनकी झोपड़ी बनाने के लिये दे दिया जाता, उनके बच्चों को पढ़ाई के लिये दे दिया जाता, उनके लिये रोजगार की व्यवस्था कर दी जाती, तब हम आपका समर्थन करते।

इसलिए मैं नम्रता से आपसे कहना चाहता हूं कि जो भी पैसा आप मांग रहे हैं मुझे विश्वास है इस एक-एक पैसे का उपयोग उस काम के लिये होगा जिसके लिए लिया गया है तो शायद मैं कटौती का प्रस्ताव लाने की आवश्यकता न समझता लेकिन जो कुछ देख रहा हूं, जो स्थिति है, जो आपका प्रशासनिक एपरेटस है, जो आपके सहयोगियों की मंशा है, उसको देखते हुए यह पैसा सही काम में खर्च होगा। इसमें मुझे शक है, इसलिए कटौती के प्रस्ताव की आवश्यकता पड़ी। मुझे विश्वास है कि औपचारिकता में इसे आप स्वीकार नहीं करेंगे। अगर आप सही माने में इस प्रदेश के जन-जन का कल्याण करना चाहते हैं, ग्रामीण क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं, तो इटावा में महेवा पर जो पायलेट प्रोजेक्ट का चिराग एस0 के0 डे ने 1952 में जलाया है—पूरे प्रदेश को रोशन करें। इन शब्दों के साथ में अपने कटौती के प्रस्ताव को पेश करता हूं।

श्री दामोदर शर्मा—

मान्यवर, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने मुझे ग्राम्य विकास विभाग के बजट पर बोलने का मौका दिया, मैं इसका समर्थन करता हूं। मान्यवर, ग्रामीण

[श्री दामोदर शर्मा—]

विकास का स्वप्न पूज्य बापू और पूज्य जवाहर लाल नेहरू का था, वह चाहते थे जैसा कि ओझा ने कहा कि हर झोपड़ी में दिया जले हर गरीब की आंख के आंसू दूर करेंगे ।

(व्यवधान)

श्री मुहम्मद आजम खां—

मान्यवर, आप कहां देख रहे हैं ?

श्री दामोदर शर्मा—

हर झोपड़ी में दिया जलने की बात कही थी ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

माननीय आजम खां साहब शांत रहें ।

श्री मुहम्मद आजम खां—

उस दिन जब मैं बोल रहा था तो मेरी बात नहीं सुन रहे थे और इसी तरह बोल रहे थे, मैं वही कर रहा हूं जो वह कर रहे थे ।

(व्यवधान)

श्री दामोदर शर्मा—

हमारा गांवों की ओर लगाव है और गांवों की ओर चलने का माननीय मंत्री जी ने बजट प्रस्तुत किया है ।

(व्यवधान)

(श्री मुहम्मद आजम खां के बार-बार बीच में बोलने पर)

श्री अध्यक्ष—

माननीय आजम खां साहब यह अत्यन्त अनुचित है ।

श्री दामोदर शर्मा—

हमारा उत्तर प्रदेश की सरकार ग्रामीण विकास के इस कार्यक्रम से झोपड़ियों में चिराग जलायेगी । मान्यवर, मैं इस बजट का समर्थन करते हुए माननीय मंत्री जी को सुझाव देना चाहता हूं ।

(व्यवधान)

श्री मुहम्मद आजम खां—

कुछ काम की बात करिये ।

श्री दामोदर शर्मा—

मान्यवर, इनको शासन करने का मौका मिला था, लेकिन यह शासन करने लायक नहीं थे ।

(व्यवधान)

यह कहते हैं कि हम गांवों का विकास करना चाहते हैं लेकिन उन योजनाओं के द्वारा गांवों का विकास करते-करते यह उधर चले गये और हम यहां आ गये। मगर आज भी उनके कार्य जो हैं कि प्रदेश की जनता को कैसे झुठलाया जाय, कैसे भुलावा दिया जाय, आज देश और प्रदेश की जनता उनके भुलावे में नहीं आने वाली है। आज ओझा जी जिला परिषदों को खत्म करने की बात करते हैं।

(व्यवधान)

मनोनयन की प्रथा को खत्म करने की बात करते हैं लेकिन यह प्रथा उन्होंने ही चलाई थी उन्होंने ही जिला परिषदों को खत्म कर जिला परिषदों में 10-10 आदमियों को मनोनीत कर दिया तो इससे ज्यादा शर्मनाक बात और क्या हो सकती है। आप प्रजातंत्र के दुश्मन थे, निर्वाचित जिला परिषदों को आपने भंग किया। हमारी उत्तर प्रदेश सरकार का माननीय मुख्य मन्त्री विश्वनाथ प्रताप सिंह के नेतृत्व में प्रजातंत्र में विश्वास है।

(दर्शक दीर्घा से यह सब झूठ है, की आवाज आई और सदन में चप्पल फेंकी गयी)

हमने उस प्रजातंत्र की स्थापना के लिए एक कार्यक्रम की घोषणा की है जिसको आप खतम कर रहे थे।

(व्यवधान)

आज हमारी सरकार ने देश की नेता इन्दिरा गांधी के नेतृत्व में प्रजातंत्र को मजबूत करने के लिए पंचायत चुनाव करने की घोषणा की है।

मान्यवर, ओझा जी ने कहा कि जिला परिषदों और क्षेत्री विकास समितियों में कोई कोआर्डिनेशन नहीं है। उस पर मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जिला परिषद् और क्षेत्र समिति के जो पंचायत राज डायरेक्टर को सौंपने हैं....

(व्यवधान)

आजम साहब मैं बोलता रहूंगा, आप कुछ भी और चाहे जितना बोलें। मैं रुकूंगा नहीं।

श्री अध्यक्ष--

आप बोलें। मैंने इनको कई बार रोका है, लेकिन यह बोल रहे हैं।

[समय 1 बजे अपराह्न]

श्री दामोदर शर्मा--

क्षेत्र समितियों और जिला परिषदों के, जो पंचायतराज के डायरेक्टर हैं, उनके नेतृत्व में दिया जाए, जिससे उनमें इस प्रकार का कोआर्डिनेशन हो सके कि काम बिना बाधा के शीघ्रता के चल सके। ओझा जी ने कुछ बातें अपने भाषण में कही मंत्री जी ने या उत्तर प्रदेश सरकार ने यह घोषणा की है कि कोई सेवक न रहे सब अधिकारी बन जाएं। तो मैं उनसे बताना चाहता हूं कि जिस पंचायत राज अधिकारी को आप ग्राम्य विकास अधिकारी कह रहे हैं। उत्तर प्रदेश के शासन ने ग्राम पंचायत अधिकारियों को जुलाई, 1981 से समूह (ग)

[श्री दामोदर शर्मा—]

का कर्मचारी घोषित कर दिया है, अतः अब शासन उन्हें तुरन्त समूह 'ग' का वेतन-मान भी देने की घोषणा करेगा। उनके लिए 400–615 के वेतनमान की संस्तुति की गई है, इस तरह से यह उनको मिल जाएगा। हमारी सरकार पंचायत सेवकों और ग्राम सेवकों की रोटी देने की बात कर रही है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

आप आजम साहब सुनने दें, आप न बोलें। इस तरह बड़ी बाधा पड़ रही है।

(अनेकानेक बार अध्यक्ष पीठ से रोकने के बावजूद मुहम्मद आजम खां बराबर अपने स्थान पर बैठे-बैठे जोर-जोर से बोलते रहे, माननीय सदस्य के भाषण में व्यवधान उपस्थित करते रहे, जिससे सुनने में बहुत ही बाधा पड़ी।)

श्री दामोदर शर्मा—

जो पंचायत विकास अधिकारी हैं, उसके लिए वेतन आयोग ने जो संस्तुति की है, जो जिसका वेतनमान आता है वह उसको अवश्य मिलेगा। ग्राम पंचायतों, क्षेत्रीय समितियों और जिला परिषदों में समन्वय स्थापित करने के लिए जो मैंने ओझा जी की बात सुनी कि विभाग का अध्यक्ष कोई नहीं है। वह ठीक है, इस बारे में मेरा मंत्री जी को सुझाव है कि जो डायरेक्टर पंचायत राज हैं उनको इनका कार्य सौंप देना चाहिए और उन्होंने यह कहा कि ग्रामीण स्तर पर बहुत ज्यादा कर्मचारी हैं और उन कर्मचारियों के पास कोई काम नहीं है। इस पर भी मेरा मंत्री जी को यह सुझाव है कि जो ग्राम्य विकास अधिकारी हैं, जिनके लिए वेतन आयोग ने यह तय किया है कि उनको एग्रीकल्चर विभाग में सौंप दिया जाए, तो आप उनको वैसे ही शीघ्र एग्रीकल्चर विभाग को अवश्य वापिस भेज दें। उनको आप वेतन आयोग की सिफारिश के अनुसार वापस करने का कष्ट करें और भारत सरकार ने ऐसी सूचनाएं हमारी सरकार को भेजी हैं कि जो ग्राम स्तर के कर्मचारी हैं, उनको सकून मिलेगा यदि वह अपने एग्रीकल्चर के मूल विभाग में चले जायेंगे।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

आजम साहब कृपा करके शान्त रहें, सुनने दें।

(श्री अध्यक्ष के बार-बार के निर्देश के बावजूद श्री मुहम्मद आजम खां बीच-बीच में बोलते रहे।)

श्री दामोदर शर्मा—

जो हमारे पंचायत उद्योग हैं, उनके विषय में मेरा सुझाव है कि जो हमारा पंचायतीराज वित्त निगम है, उसमें पूंजी केवल 65 लाख रुपये की लगी है जो कि बहुत ही कम है। जबकि प्रदेश के अन्य जो वित्त निगम हैं, उनमें 3–3 और साढ़े तीन-साढ़े तीन करोड़ रुपयों की पूंजी लगी हुई है।

मेरा मंत्री जी को सुझाव है कि इस निगम की पूंजी को बढ़ाया जाए और उसके जरिये पंचायत राज उद्योग हर जिले में खोले जाएं और वहां पर निगम का एक कर्मचारी रखा जाए, जो पंचायत उद्योगों पर नियन्त्रण रख सके और यदि यह निगम उस उद्योग पर कर्जा देता है और उस पर किसी अन्य का अधिकार है तो निगम का ही उस पर कन्ट्रोल रखा जाए । ऐसा मंत्री जी करने की कृपा करें ।

ग्रामीण अभिन्त्रण सेवा और ग्राउन्ड वाटर सेल की भी बात ओझा जी ने कही । हमारे क्षेत्र में भी एक गांव खखौदा में इस सेल के कर्मचारियों ने पानी के धरातल को नीचा बता दिया, जिससे वहां पर उसमें लैन्ड डेवलपमेन्ट बैंक के माध्यम से मिलने वाला लोन भी बन्द हो गया था । इस पर मैंने उनसे पुनः आग्रह किया कि इसके पानी के तल को ऊंचा किया जाए और मैं धन्यवाद देता हूं कि उस वाटर सेल ने वहां पर पानी के तल को ऊंचा कर दिया, जिससे लैन्ड डेवलपमेन्ट ने जो कर्ज देना बन्द कर दिया था, वह पुनः मिलने लगा है ।

अब मैं आर0 ई0 एस0 के बारे में कुछ कहना चाहता हूं । हमारे क्षेत्र में असौढ़ा से दादरी तक की एक सड़क आर0 ई0 एस0 वालों ने बनाई है । मैं उससे सन्तुष्ट हूं और वह अच्छी सड़क है । ओझा जी ने एक बात यह कही कि इसमें जो अभियन्त्रण अधिकारी हैं, उनको पांच साल का भी तजुर्बा नहीं है । मैं मंत्री जी से मांग कर रहा हूं कि जिसको पांच साल का अनुभव न हो उसको न बनाया जाए । इंजीनियर-इन-चीफ को एस0 ई0 की पोस्ट का कम से कम पांच साल का तजुर्बा अवश्य होना चाहिए, जो वर्तमान इंजीनियर-इन-चीफ इस समय हैं, उनको नहीं है । इसलिये उनको हटाया जाय, इसलिए इस पांच साल की हद का ध्यान रखा जाए ।

इतना ही नहीं आई0 आर0 डी0 और ट्राईसम जैसी अच्छी योजनाएं जो प्रदेश के गरीब और निर्बल वर्ग के लिए चलाई गई हैं, उसके लिए भी मैं मंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं । वह बहुत सक्षम मंत्री हैं । मेरे क्षेत्र में एक गांव भूड़बराज है, हमारे माननीय मुख्य मंत्री श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह जी अभी 28 फरवरी को वहां गये थे और एकीकृत विकास योजना के अन्तर्गत एक लाख रुपया उसको सैंक्शन किया गया है और हरिजनों को खड़ंजे का जो रुपया मिलना चाहिए था, वह उस गांव में हरिजनों को दिया गया है । इस सबके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्री और अपने ग्राम्य विकास मंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं । मुझे आशा है कि श्री बलराम सिंह जी के नेतृत्व में प्रदेश के हर गांव का पूरा विकास किया जाएगा । जिन ब्लाकों के लिए पहली योजना में 6 लाख रुपया दिया जाता था, अब 8 लाख रुपया देने की घोषणा की गई है । मैं समझता हूं कि प्रदेश का सर्वांगीण विकास करने के लिए हमारे मंत्री जी ने जो बजट रखा है, उससे निश्चय ही गांव का विकास होगा । अन्त में मैं मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करते हुए यह कहना चाहता हूं कि वह कटौती के प्रस्ताव को वापस लें और ग्राम्य विकास के बजट का सभी लोग पास करने का कष्ट करें ।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--

अध्यक्ष जी, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने मुझे श्री जनार्दन प्रसाद जी ओझा के कटौती के प्रस्ताव और मंत्री जी द्वारा रखे गये इस ग्राम्य विकास

[श्री फिरंगी प्रसाद बिशारद—]

पंचायत राज और अन्य विभागों के बजट पर बोलने का अवसर दिया। सर्वप्रथम मैं यह कहना चाहता हूं कि मंत्री जी ने जो घोषणाएं की हैं, वह कुछ बढ़कर चले, लेकिन एकीकृत विकास योजना में जो 8 लाख रुपया प्रति विकास खंड को देने जा रहे हैं, मैंने इस सम्बन्ध में आपके विभाग द्वारा छपी पुस्तिका को देखा है, उसमें अनेक मदों को भी मैंने देखा है। तो जो आपकी प्रगति समीक्षा है, पिछले वर्ष आपने जितनी अनुमानित पूंजी रखी थी, जितनी खर्च कर रहे हैं उससे लगता है कि आपने जो पिछले साल मांगा है, वह अभी आप नवम्बर तक पूरा खर्च नहीं कर पाए हैं और दो-तीन महीने में कितना कर पाएंगे, इसमें हमें बड़ी शंका लगती है। क्योंकि जो रुपया आप मांगते हैं वर्ष में 9 महीनों तक आप कुछ नहीं कर पाते हैं लेकिन 2-3 महीनों में 50 प्रतिशत या उसके आसपास आप कैसे पूरा करा सकेंगे? आपका विभाग कितना सक्षम हो गया है? जो योजनायें आती हैं वे ब्लाकों पर कागज में दिखाकर वर्ष के अन्त में समाप्त कर दी जाती हैं। उनका सही-सही आकलन हम भी नहीं समझ पाते हैं तो मेरी प्रार्थना है कि कम से कम तिमाही की प्रगति रिपोर्ट, ब्लौक के आधार पर जितने काम होते हैं, सम्बन्धित संसद सदस्यों और विधायकों को अगर दिलवा दें तो हम लोग मौके पर जाकर आपके विभाग में जो प्रगति होती है, उसको देख कर संतुष्ट हो सकें।

माननीय मंत्री जी ने अपने भाषण में कहा कि अगर कहीं पर कुओं में पानी गहराई में निकलता हो तो जितने पैसे की आवश्यकता होगी, उसका प्रबन्ध वे करेंगे लेकिन उन कुओं की चौड़ाई के बारे में नहीं बताया कि वे कितने चौड़े होंगे। पिछले वर्षों में देखा गया कि जो कुयें इन्होंने खुदवाये हैं, वे 3 फुट ही चौड़े हैं और अगर उनमें कोई जानवर गिर जाये तो उसे निकाला नहीं जा सकता है। वह वहीं पर उलझा हुआ रह जाता है।

इसी प्रकार से गांवों में जो निर्बल वर्ग के लोगों के लिए आवास व्यवस्था करने जा रहे हैं, उसके बारे में कहा कि उनके लिए गांवों के निकट जमीन उपलब्ध करायेंगे लेकिन उस जमीन को लेने में, आप अपने विभाग को दिलाने के लिए जो कार्यवाही करते हैं, वह इतनी लम्बी होती है कि उस लम्बी अवधि में आपके विभाग का बजट भी निकल जायेगा और आप उस भूमि को अधिग्रहण करने की कार्यवाही भी पूरी नहीं कर पायेंगे। भूमि को लेने में आपके विभाग को काफी समय लग जाता है।

आपके विभाग में जो ए0 डी0 ओ0 और बी0 डी0 ओज0 हैं और जो अनुसूचित जाति के हैं, पूरे प्रदेश के स्तर पर उनको बुरे ढंग से प्रताड़ित किया जा रहा है। वह भी आपने नहीं बताया कि आपके विभाग में जो कर्मचारी और अधिकारी हैं, उनके कोटे की क्या प्रगति है, हर श्रेणी में? मेरी प्रार्थना है कि कम से कम जब आप उत्तर दें तो इस विषय में सदन को संतुष्ट करने की कृपा करेंगे। मंत्री जी यह भी स्पष्ट करने की कृपा करेंगे कि उनके विभाग में हरिजनों का जो ए0 डी0 ओज0 और बी0 डी0 ओज0 के पदों पर कोटा है, उनको क्यों प्रताड़ित किया जा रहा है और उनकी चरित्र पंजिका में प्रतिकूल प्रविष्टियां किन भावनाओं से की जा रही हैं?

मान्यवर, इनके विभाग में जो लघु सिंचाई की व्यवस्था है, मैं गोरखपुर से आता हूं मेरा क्षेत्र, महाराजगंज, गंडक समादेश में आता है, वहां पर जो नालियां

बनाई गई हैं उनमें 1:16 के प्रोपोर्शन से सीमेंट लगाया गया है जिसके कारण 8-10 दिन की बरसात या 2-4 महीने के बाद अगर बरसात हुयी है तो वे सारी की सारी नालियां टूट गई हैं। मान्यवर, मैंने स्वयं 2-4 जगहों पर जाकर देखा है। वहां पर मजदूरों को जो मजदूरी दी जाती है, उसमें उनको सड़ा हुआ चावल दिया जाता है।

वहां पर मिट्टी डलवाने के नाम पर कार्य किया जा रहा है। हो यह रहा है कि जो सबल किसान हैं, उनके खेतों की मेड़ बन्दी हो रही है। नन्दीभार एक व्यक्ति है, जिसके एक खेत पर तीन तरफ से नालियां गुंडक वालों ने बना दी हैं और उसके मना करने पर उसको धमकी दी जाती थी। मान्यवर, मेरे क्षेत्र एवं ब्लाक महाराजगंज में वहां पर नर सिंह तिवारी नाम का एक बी0 डी0 ओ0 है। पहले वह परतावल में था, उसके पास एक फार्म था और वहां से करीब 10-15 किलोमीटर हटा कर महाराजगंज में उसकी नियुक्ति कर दी गई। उसके बाद जब उनके लड़के की शादी हुई तो उनको काफी जमीन शादी में मिली और उसी के 10-15 किलोमीटर के आसपास उनका फार्म है और जहां इनकी नियुक्ति है वहां से यह 10 किलोमीटर पड़ता है। इस प्रकार यह अपने फार्म की देखरेख भी करते रहते हैं।

हमारे यहां प्रावेट एजेन्सीज को खाद का कोटा दे रखा गया है और इनके द्वारा उनके फार्म पर ट्रैक्टर और ट्राली में जब भी जरूरत होती है, खाद पहुंचायी जाती है।

इसी तरह हमारे यहां पर एक मिठौरा ब्लाक है। सभी विधायकों को यह बताया गया है कि हर ब्लाक के लिए एक-एक लाख रुपया दिया गया है ताकि वहां 3 किलोमीटर सड़क बन सके और यह भी बताया गया कि उस सड़क का चयन वहां के विधायक के परामर्श से किया जायगा। मैंने इस ब्लाक के लिए जिला कमेटी के माध्यम से जिन सड़कों के लिए सुझाव भेजा, उसको नहीं माना गया। अब जब मार्च का महीना नजदीक आ गया तो मुझसे कहा जाता है कि आप इन-इन सड़कों से लिए अपनी स्वीकृति दे दीजिये, वरना रुपया लैप्स हो जायेगा। तो बिना मुझसे पूछे बी0 डी0 ओ0 ने अपनी मर्जी के मुताबिक सड़क बनवाने का काम किया। जब मैंने आपत्ति उठायी कि मुझे तो उसके बारे में कुछ नहीं बताया गया तो बी0 डी0 ओ0 साहब ने बताया कि संबंधित विधायक महोदय को सूचना दे दी गई थी। मैंने जिस सड़क का सुझाव दिया था, वह नहीं बनी, फिर मुझे विवश होकर दूसरी सड़क के लिए अपनी स्वीकृति देना पड़ी।

एक बात मैं और कहना चाहता हूं। अभी तक पंचायतों के चुनाव न होने के कारण जो प्रधान काम करते रहे उनमें से कई ऐसे हैं जिनके खिलाफ एस0 डी0 एम0 के यहां कुछ मुकदमे चल रहे हैं और अब उनके चुनाव होने वाले हैं। मैं यह चाहता हूं कि आप अपने किसी शासनादेश के जरिये ऐसा करवा दें कि उन मुकदमों का निस्तारण जल्दी हो जाय नहीं तो ऐसे प्रधान लोग भविष्य के गर्त में लटके रह जायेंगे।

(श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल का नाम पुकारे जाने पर।)

श्री शम्भूनाथ—

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। इस सदन में जिसे अभी तक कभी मौका बोलने का नहीं मिला है, उसे पहले बोलने का अवसर मिलना चाहिये। मैं चाहता हूं मुझे बोलने का अवसर दिया जाये क्योंकि मुझे अभी तक बोलने का अवसर नहीं मिला है।

श्री अध्यक्ष—

यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। आपको बोलने का अवसर दिया जायेगा जब अवसर मिलेगा। व्यवस्था का प्रश्न यह नहीं है, पहले आप यह देख लें कि व्यवस्था का प्रश्न क्या होता है, तब आपको अपने आप अवसर मिल जायेगा।

*श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल—

मान्यवर, मैं माननीय पंचायती राज एवं ग्राम्य विकास मंत्री द्वारा प्रस्तुत अनुदानों का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं और मुझे आशा है कि जिस तरह से माननीय ओझा जी ने अपना कटौती का प्रस्ताव रखा है, वे उसे वापस भी ले लेंगे। माननीय मंत्री जी ने अभी घोषणा की कि उनके पास ग्राम विकास और पंचायती राज विभाग के साथ-साथ युवा कल्याण विभाग भी आ गया है, मैं चाहूंगा मंत्री जी कुछ और विभाग ले लें ताकि उनमें तेजी से प्रगति हो सके। हमारे विपक्षी सदस्य सदैव हमारी नेता श्रीमती इन्दिरा गांधी पर तानाशाह होने का अरोप लगाते रहे हैं, आज मंत्री जी ने ग्राम प्रधानों का चुनाव कराने की घोषणा करके जो विरोध पक्ष के मुंह पर करारा तमाचा मारा है, उससे वे हमारी नेता को तानाशाह नहीं कह पायेंगे। मान्यवर, हमारी नेता इन्दिरा जी ने सदैव ग्रामीण स्तर पर रहने वाले लोगों के विकास की बात करी। आज देश की 85 प्रतिशत आबादी ग्रामीण स्तर पर रहती है। उसके लिए 20 सूत्री कार्यक्रम की घोषणा की और हमारे मंत्री जी ने उस कार्यक्रम को जिस तरह अपने विभाग के द्वारा अमल करने की चेष्टा की, वह प्रसंशनीय है। जनता पार्टी के शासन काल में राष्ट्रीय ग्रामीण योजना के तहत जिन लोगों का पैसा बाकी था, उसको देने के लिए हमारी सरकार ने घोषणा की। जहां तक निर्बल वर्ग की बात है, ग्रामीण स्तर पर निर्बल लोगों को मकान बनवा कर हमारी सरकार देगी। मैदानी क्षेत्र में 2 हजार रुपया और पहाड़ी क्षेत्र में 3 हजार रुपया देने की बात हमारी सरकार ने कही। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करूंगा कि इस बढ़ती हुई मंहगाई में दो हजार रुपये में मकान नहीं बन पायेगा।

तो मैं माननीय मंत्री जी से यह निवेदन करूंगा कि दो हजार रुपये से उसका एमाउण्ट बढ़ाकर 5 हजार रुपया कर दिया जाय और पहाड़ी क्षेत्र में 7 हजार रुपया कर दिया जाय। आज यह देखने में मान्यवर, मिला कि ग्रामों के लोग शहर की तरफ ज्यादा भाग रहे हैं। माननीय मंत्री जी ने ग्रामीण आवास परिषद् की जो घोषणा की, वह एक प्रशंसनीय काम है, क्योंकि ग्रामीण स्तर पर जब अच्छा मकान लोगों को रहने के लिए मिलेगा, तो शहरों में रहने की बात स्वतः समाप्त हो जायगी।

जहां तक पेय जल योजना की बात है, जिन गांवों में 200 से अधिक हरिजन हैं, वहां हैंड पाइप और कुओं के द्वारा उनको पानी की

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सुविधा दी जायगी। आई0 आर0 डी0 स्कीम के अन्तर्गत 30 परसेंट की जो छूट की बात थी, उसको हमारी सरकार ने 50 प्रतिशत कर दिया है। मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आई0 आर0 डी0 और अन्त्योदय की ओर दिलाना चाहता हूं। हमारे जो अनपढ़ ग्रामवासी थे, उनको जब आई0 आर0 डी0 और अन्त्योदय में पैसा मिला, तो विभाग के अधिकारी ने छूट नहीं चढ़ाया। वे लोग जान ही नहीं पाये कि उनको कितनी छूट मिलनी चाहिये थी और उनसे पूरा पैसा वसूल किया जा रहा है। इस प्रकार के घपले जहां पर हो रहे हैं, उसको ठीक किया जाय। जिन लोगो को आई0 आर0 डी0 या अन्त्योदय के ऋण मिले, उन लोगों को किताब दी जाय, जिससे वे जान सकें कि कितना रुपया मिला और कितना शासन ने छूट दी और कब वह पैसा जमा करेगा।

स्पेशल कम्पोनेंट प्लान के अन्तर्गत जो बेरोजगार ग्रामवासियों को ट्रेनिंग दी गई थी, अब उन्हें ट्रेनिंग के बाद बैंक से लोन नहीं मिलता। उनको ऋण देने के लिये बैंकों ने पैसा देना बन्द कर दिया। उदाहरण के लिए हमारे हरदोई में दो लीडिंग बैंक्स हैं, उत्तर ग्रामीण बैंक और बैंक आफ इंडिया, इन दोनों बैंकों ने एक लिखित आदेश के द्वारा कर्जा देने के लिए मना कर दिया। एक जो उत्थान की नीति थी, वह अपने आप खत्म होती जा रही है। केन्द्र से माननीय मंत्री जी इस बात का निवेदन करें कि वह बैंकों को आदेश दें कि उन ग्रामीण अंचलों के लोगों को ऋण दें। हमारे ओझा जी और दामोदर शर्मा जी ने आर0 ई0 एस0 और माइनर इरीगेशन के बारे में कहा, मेरी समझ में नहीं आता कि जिस विभाग का खुद बजट न हो, वह विभाग क्या कार्य करेगा? कहावत है कि जैसा परिवार होगा, वैसा बच्चा होगा। तो आर0 ई0 एस0 का जो इन्जीनियर-इन-चीफ एक साल ए0 सी0 रहा है, उसे इन्जीनियर-इन-चीफ बना दिया जबकि शासन की नीति है कि 5 साल से कम के अनुभव का आदमी इंजीनियर-इन-चीफ न बनाया जाय, जबकि विभाग में 5 साल से ऊपर के ए0 सी0 रैंक के लोग मौजूद हैं, उन्हें इन्जीनियर-इन-चीफ बनाना चाहिये। इस प्रकार से अगर होगा, तो विभाग का क्या कार्य होगा?

(इस समय 1 बजकर 25 मिनट पर अधिष्ठाता, श्री खान गुफरान जाहिदी पीठासीन हुए।)

मान्यवर, जिलापरिषद् की बात आई। आज जिला परिषदें बिल्कुल अपंग हो गई हैं क्योंकि हमारे उधर के माननीय सदस्य जो लोकतंत्र का नारा देते हैं, उन्होंने अपने शासनकाल में जिला परिषदों को भंग कर दिया। जिला परिषद् की कोई आमदनी है। मैं तो निवेदन करूंगा माननीय मंत्री जी से बाम्बे पैटर्न पर उत्तर प्रदेश में जिला परिषदों को बनाया जाय। जिला परिषद् के अध्यक्ष को इतना अधिकार दें कि वह तीन अक्षर लिखने वाले आई0 ए0 एस0 अधिकारी, जो अपने को एम0 एल0 ए0 से ऊपर समझता है, जिला परिषद् का अध्यक्ष आई0 ए0 एस0 अधिकारी को इन्ट्री दे तब उसको पता चले कि लोकतंत्र में कितनी ताकत है। माननीय मंत्री जी के तहत तीन विभाग हैं, पंचायत राज, ग्राम्य विकास, जिलापरिषद्। दो विभाग के कर्मचारी सरकारी कर्मचारी कहलाते हैं लेकिन जिलापरिषद् का कर्मचारी सरकारी कर्मचारी नहीं कहा जा सकता है, उनको वेतन दोनों विभागों के कर्मचारियों से भिन्न है, क्यों? समझ में नहीं आता। माननीय मंत्री जी के सामने कई बार यह चीज आई। मुझे विश्वास है कि माननीय मंत्री जी घोषणा करेंगे कि तीनों विभागों के कर्मचारियों का वेतन एक समान होगा।

[श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल--]

पिछले साल रियासत हुसैन साहब ने कहा था कि अधिकारी शब्द हटाकर सेवक लिखा जाय तो ज्यादा अच्छा होगा। लिखने से कुछ नहीं होता, रहते वह अधिकारी ही हैं। आपने पंचायत अधिकारी और ग्राम सेवक अधिकारी की घोषणा कर दिया लेकिन मैं निवेदन करूंगा कि उनको इस बात की शिक्षा दें कि अधिकारी लिखने से वह अधिकारी नहीं हो गये, उनका काम ग्रामीण स्तर पर गांवों की सेवा करना है। सरकार की नीति को छोटे लोगों तक पहुंचाने का इनका काम है। लेकिन मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि यह पंचायत अधिकारी शहरों में पड़े रहते हैं जो शासन की नई-नई नीति होती हैं वह गांवों में छोटे स्तर तक नहीं पहुंच पाती हैं। मेरा माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि वह आदेश दें कि यह लोग अपना हेडक्वार्टर ग्राम स्तर पर बनायें, शहरों में नहीं। मान्यवर, पंचायत उद्योग की बात है। यह बहुत ही अच्छा उद्योग है। जब इसको खोला गया तो यह था कि जो लाभांश होगा, वह इसमें लगाया जायेगा। मैं कहना चाहता हूं कि आज पंचायत उद्योग भ्रष्टाचार का अड्डा हो गया है।

शासन ने आदेश दिया कि बेसिक शिक्षा स्कूलों में जो टाट-पट्टी खरीदी जायेगी, उसकी सप्लाई पंचायत उद्योग के द्वारा होगी। लेकिन क्या सरकार ने यह सोचा कि इसको पंचायत उद्योग स्वयं बनाता है या मार्केट से घटिया किस्म की टाट-पट्टी खरीद कर सप्लाई करता है? श्रीमन्, आज बेसिक शिक्षा के हमारे जितने स्कूल हैं उनकी टाट-पट्टी बुरी हालत में है। क्यों, वह जो टाट-पट्टी पंचायत उद्योग सप्लाई करता है, उसको वह स्वयं नहीं बनाता है। मैं निवेदन करूंगा कि मंत्री जी आदेश दें कि पंचायत उद्योग जो चीज स्वयं बनायें उसी की सप्लाई करें। मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने एक घोषणा यह किया कि जो ग्राम सभा 50 प्रतिशत पैसा दे वहां पर 50 प्रतिशत पैसा सरकार देकर सड़क का निर्माण करायेगी। लेकिन माननीय मंत्री जी बता दें आज ग्राम सभा के पास पैसा कहां है? सरकार ने एक नीति बनाई कि 50 प्रतिशत ग्राम सभा दें और 50 प्रतिशत सरकार देगी। जो 50 प्रतिशत पैसा सरकार को देना है, वह बेकार पड़ा है, उसका कोई उपयोग नहीं हो रहा है। क्योंकि कोई भी ग्राम सभा पैसा नहीं दे पायेगी। मेरा निवेदन है कि इस आदेश को माननीय मंत्री जी वापस करके पूरा पैसा सरकार देगी, इस बात की घोषणा करें ताकि गांवों में सड़कें बन सकें।

माननीय जनार्दन प्रसाद ओझा ने कहा कि एक घोषणा की गई कि प्रत्येक ब्लाक में 1 लाख रुपया दिया जा रहा है और उस रुपये का डिस्पोजल क्षेत्रीय विधायक पर होगा। मेरे ज्ञान में आया है कि यह एक लाख से 50 हजार कर दिया गया है और वह भी भेजा गया इसलिए कि उसको खर्च करने का अधिकार क्षेत्रीय विधायक को नहीं होगा। उसको खर्च करने का अधिकार अधिकारी को ही होगा। मेरा निवेदन है मंत्री जी से कि इसको स्पष्ट रूप से घोषित करें कि जो घोषणा की थी उसको पूरा करेंगे। इन शब्दों के साथ में मैं माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं।

*श्री राम गोविन्द--

श्रीमन्, मैं आभारी हूं कि आपने मुझे ग्राम्य विकास के बजट पर बोलने का अवसर दिया। मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। श्रीमन्, शुरू

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

में ही कटौती का प्रस्ताव रखते हुए श्री ओझा ने कहा था कि जब देश आजाद हो गया तो पूज्य बापू की कल्पना थी कि देश वास्तव में तभी आजाद होगा जब गांव में रहने वाले पिछड़े, दबे और गरीब लोगों का विकास हो जायेगा। उन्होंने यह भी कहा था कि जब देश का हरिजन उत्थान की दिशा में बढ़ेगा और देश, प्रदेश की सरकार उसको बढ़ाने में सहयोग देगी तभी देश की वास्तविक आजादी कही जायेगी। और उन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आजीवन बाबू जय प्रकाश नारायण ने संघर्ष किया और अंत में सम्पूर्ण क्रांति के माध्यम से इन बातों को लाने का प्रयास किया था। लेकिन खेद है कि जिन मूल्यों और उद्देश्यों को लेकर ग्राम विकास विभाग की स्थापना हुई थी, उसकी पूर्ति आज तक नहीं हुई है। इस विभाग की स्थापना इसलिए हुई थी कि गांवों का कोई भी व्यक्ति ऐसा न हो जिसके पास खाने, रहने, कपड़े, दवाई और बच्चों को पढ़ाने की व्यवस्था न हो तो ऐसे लोगों के विकास के लिए ग्राम विकास विभाग की स्थापना की गई थी। लेकिन उस दिशा में आज तक कुछ नहीं हुआ है। जबकि ग्राम्य विकास विभाग का यही उद्देश्य था कि इन चीजों की तरफ काम करता और कई काम सरकार की तरफ से किये गये, जैसे एकीकृत योजना, जिसका उद्देश्य है ऐसे गरीब लोगों को सहायता देकर उनको भैंस, गाय, इक्के आदि खरीदें जिससे वे अपने खाने, कपड़े और मकान की व्यवस्था कर सकें। लेकिन प्रैक्टिकल में कुछ और हो रहा है।

मान्यवर, आप गांवों में देखें तो एकीकृत योजना 100 प्रतिशत में 3 प्रतिशत ही सफल हो पाई है। चूंकि जो भैंस खरीदने के लिए उपयुक्त नहीं हैं उनके दरवाजे पर भैंस हैं, जिससे भ्रष्टाचार इसमें है। मान्यवर, मैं अपने जिले की बात आपको बताना चाहता हूं कि एकीकृत योजना में हमारे विधान सभा क्षेत्र में सुअर खरीदने के लिये कुछ लोगों को सेलेक्ट किया गया और सुअर खरीदे गये। लेकिन जब उसकी इंक्वायरी हुई तो भ्रष्टाचार सामने आया कि एक भी सुअर नहीं खरीदा गया था और केवल कागज पर ही दिखा दिया गया था कि खरीदे गये हैं। मान्यवर, इसी प्रकार जब मेले लगाये जाते हैं तो वहां मवेशियों के खरीदने का काम होता है तो बैंक का मैनेजर, डाक्टर एवं ब्लाक के अधिकारी सब मिलकर लोन का कम से कम 60 प्रतिशत स्वयं खा जाते हैं और 40 प्रतिशत उस गरीब को मिलता है, इससे होता यह है कि भैंस का वास्तविक मूल्य 2 हजार रुपये होता है लेकिन उसको 5 से 7 हजार रुपये मूल्य खरीदारी का दिखाया जाता है, तो इससे किसान को कोई फायदा नहीं होने वाला है जबकि आपका उद्देश्य है कि गरीब आदमी भैंस और गाय खरीदकर, उसके दूध को बेचकर अपने परिवार के पालन का काम करेगा। वह अपने तन को ढकने का काम करेगा, अपने पेट के भोजन का काम करेगा और अगर घर में कोई बीमार हो गया तो उसको दवा देने का काम करेगा। लेकिन वह आदमी पहले ही लूटा जा रहा है और इस योजना का फायदा उसको नहीं पहुंच पा रहा है। मैं निवेदन करूंगा कि इसकी आप विशेषरूप से जांच करायें और ऐसा कोई निर्देश दें जिससे कि जिस व्यक्ति के लाभ के लिये आपने यह योजना चलायी है, उसको ही लाभ मिल सके।

मान्यवर, पंचायत उद्योग एक अहम उद्योग है और इससे गांवों की दशा में सुधार किया जा सकता है। माननीय सदस्य अभी पंचायत उद्योगों में भ्रष्टाचार की बात कह रहे थे। भ्रष्टाचार श्रीमन्, तो सदाचार हो गया है उसके विषय

[श्री राम गोविन्द—]

में मैं जाना नहीं चाहता लेकिन इतना जरूर कहना चाहूंगा कि मन्त्री जी अगर पंचायत उद्योगों को विकसित करें तो गांवों के लोगों की दशा में सुधार किया जा सकता है। आज गाव उजड़ रहे हैं और गांवों के लोग शहरों की ओर भाग रहे हैं। गांव में रहने के लिये मकान खाली पड़ जाते हैं लेकिन शहरों में रहने वाले लोगों की भीड़ जमा हो जाती है और उनको मकान नहीं मिल पाते हैं। इसका कारण यह है कि गांवों में रहने वालों को कोई सुविधा नहीं है।

गांवों में हास्पिटल नहीं हैं, आने-जाने के लिये सड़कें नहीं हैं। गांवों में पीने के लिये पानी की व्यवस्था अधिकांश गांवों में नहीं है। खाने-कमाने और उद्योग-धंधों की गांवों में कोई व्यवस्था नहीं है इसलिये लोग शहरों को भागते हैं। जब लोगों को विश्वास हो जायगा कि उनके गांव में सारी सुविधायें, जो शहरों को मिलती हैं वह गांव के लोगों को मिलेंगी तो निश्चित रूप से वहां के लोग शहर की ओर नहीं भागेंगे और वहीं रह कर काम करेंगे। जनता पार्टी की सरकार को आपने बहुत कोसा। जनता पार्टी की सरकार ने महसूस किया था कि वह जनता के माध्यम से चुनकर आये हैं और जब तक देश में गांवों की जनता खुशहाल नहीं होगी उनका विकास नहीं होगा तब तक कोई देश और प्रदेश तरक्की नहीं कर सकता है। इसीलिये हमने अपने बजट का 42 और 44 परसेंट गांवों के विकास पर खर्च करने के लिये दिया था। हमने गांवों को सड़कों से जोड़ने का काम किया है अंत्योदय कार्यक्रम में तमाम लोगों को सुविधायें दी थीं। इतना ही नहीं, जनता पार्टी के तत्कालीन उद्योग मन्त्री, जार्ज फर्नानडीज ने पूर्णतया यह प्रतिबंध लगा दिया था कि चाहे बड़े उद्योग हों या छोटे उद्योग हों, शहरों में नहीं खुलेंगे। अगर कोई उद्योगपति उद्योग लगाना चाहता है तो वह गांव में लगाये। सरकार कोई उद्योग प्रदेश में या देश में लगाना चाहती है तो वह गांव में लगाये जिससे गांव का विकास हो सके, इन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति हम कर रहे थे लेकिन किस कारण हम चले गये, यह अलग बात है।

मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आप चाहते हैं कि गांवों का विकास करें, भूखे पेट को भोजन दें, नंगे लोगों को तन ढ़कने के लिये कपड़ा दें तो निश्चित रूप से आप पंचायत उद्योगों का विकास कीजिये और गांवों की दशा को सुधारिये और गांवों के लोगों को आगे बढ़ने के लिये प्रोत्साहित कीजिये तभी आपका विभाग सफल हो सकता है। इन शब्दों के साथ माननीय ओझा जी ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है, उसका मैं समर्थन करता हूं।

*श्रीमती कुदसिया बेगम—

जनाब चेयरमैन साहब, मैं बहुत मशकूर हूं कि आपने मुझको बोलने के लिये मौका दिया। मैं ग्राम्य विकास मन्त्री जी को मुबारकबाद देना चाहती हूं कि उन्होंने आज बजट यहां पेश किया। मैं समझती हूं कि हमारे मुल्क में बहुत ही ज्यादा जरूरी और अहम विभाग जो हैं उनमें अगर सबसे ज्यादा प्रायरिटी मिल सकती है तो ग्राम्य विकास विभाग को मिलनी चाहिये क्योंकि इसी के ऊपर तमाम दारोमदार है हमारे मुल्क की तरक्की का। हमारे मुल्क के 85 फीसदी लोग गांवों में रहते हैं और शुरू से ही जबसे हिंदुस्तान की आजादी की कोशिश शुरू हुयी और जद्दो जहद शुरू हुआ उसी वक्त से हमारे लीडर्स का यह

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

विचार था, यही ख्याल था कि हम गांवों के हालात को बेहतर बना के लिये जो कुछ हो, कर सकें। इसीलिये जब आजादी मिली तो पंडित जवाहर लाल नेहरू ने अपनी पहली तकरीर जो कि उन्होंने 14 अगस्त, 1947 की रात को दी, उसमें उन्होंने कहा कि हमने आजादी की लड़ाई लड़ी, मुल्क को आजाद करने के लिये मुल्क तो आजाद हो गया है लेकिन अभी हमें आजादी पूरे तरीके से नहीं मिली है। क्योंकि वह तभी हासिल होगा जब गांवों की हालत बेहतर होगी और गांव के हमारे किसान भाई सर उठाकर चल सकेंगे। इसलिये आपसे अर्ज करना चाहती हूं कि जो भी मन्त्री इस विभाग के जिम्मेदार हों, उनके ऊपर बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी पड़ जाती है, वह इस विभाग को जिस तरीके से भी हो सके, ज्यादा से ज्यादा कामयाबी हासिल करने की कोशिश करें।

यह कहने पर मजबूर होती हूं कि मुल्क की आजादी के 35 साल बाद भी अभी तक हमारे गांवों की हालत बेहतर नहीं हुई है हालांकि कुछ बेहतर तो हुई है। करोड़ों, अरबों रुपया खर्च हो चुका है और जो भी सरकार आयी, शुरू से ही कांग्रेस सरकार रही, उसने हमेशा यह कोशिश की कि गांवों में जितना भी है, रुपया लगायें लेकिन अफसोस यह है कि वह रुपया, उस रुपये से जितने नतीजे होने चाहिये थे, वह नहीं मिले हैं। इसमें कई बातें हैं, हम सब जानते हैं, मुझे कहने की ज्यादा जरूरत नहीं है, यह सचाई है कि जो रुपया दिया जाता है, वह गांवों में नहीं पहुंचता है। हम लोग जो गांवों की बातें कर रहे हैं, उन्हीं के वोटों के ऊपर आये हैं और यह सरकार भी जो चल रही है, गांव वालों के वोटों के ऊपर ही चल रही है, उनको हम सबसे बहुत उम्मीदें हैं, वे समझते हैं हम सरकार को वोट देते हैं, कांग्रेस पार्टी ने सब कुछ किया तो हम कांग्रेस पार्टी को ही वोट देंगे।

एक दफा उन्होंने नया तजुर्बा किया, तजुर्बे के तौर पर कांग्रेस को छोड़कर अन्य लोगों को वोट दिया था, कितनी ना उम्मीदी हुई। वे जानते हैं कि कांग्रेस ही ऐसी पार्टी है जो उनका सर ऊंचा कर सकती है, गांवों को आगे बढ़ा सकती है। मैं कहना चाहती हूं कि यह जो करोड़ों, अरबों रुपया हमारा लग रहा है गांवों के ऊपर, तो शासन इस बात की कोशिश करे कि वह हमारे गरीब किसान भाइयों तक पहुंचे। आज क्या हालत है, हम गांव में जाते हैं, वहां सड़क नहीं है, कोई सफाई नहीं है, कोई ऐसा इन्तजाम दिखायी नहीं देता है जिससे कि हम खुश हो सकें कि जितना रुपया खर्च हो रहा है, वह गांवों की हालत को बेहतर बना रहा है।

(इस समय 1 बजकर 43 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पीठासीन हुए।)

जो अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से कर्जे मिलते रहे हैं गवर्नमेंट की योजनाओं के लिये किसान भाइयों को, गांव वालों को वह बहुत तकलीफदेह साबित हुए हैं। मुझे तजुर्बा है और लोग जानते हैं कि किसान अनपढ़ है, जाहिल है, उसको पढ़ना नहीं आता। हमारी सरकार के अधिकारी उसकी जहालत से इतनी बुरी तरह से फायदा उठाते हैं कि एक हिस इधर से उधर बढ़ा दिया तो 100 का 1000 हो जायगा। वे कर्जा कितना लेते हैं और उन पर क्लेम कितने का आता है, यह होता है कि अन्त में उनकी कुर्की की नोटिस आ जाती है। इन सब बातों की वजह से गांव वाले हैरान और परेशान हैं। कुर्की में उसके पास जो भी सामान है, बर्तन है, मवेशी है, घर है, वह नीलाम होकर खत्म हो जाता है। इस बात की कोशिश

[श्रीमती कुदसिया बेगम—]

करनी चाहिये कि उनको कर्जा जितना भी कम दिया जाय, जो भी दें अनुदान दें ताकि वह उसको खर्च करके फायदा उठा सके। अगर कर्ज देना ही है तो ऐसा इन्तजाम करें कि अधिकारी गलत फायदा न उठा सकें और गांव वालों को तकलीफ न हो और जिस मकसद के लिये उन्हें पैसा मिल रहा है और जो मकसद सरकार का भी है, उनको उससे सही तरीके से फायदा पहुंच सके।

जनाबेआला, मैं यह कहना चाहती हूं कि अब जो हमारे मन्त्री जी के पास इतने अहम विभाग पहुंच गये हैं पंचायती राज, ग्राम्य विकास और जिला परिषद्, जितने भी गांव के इंतजाम हैं, उनके सुपुर्द हैं, उनको इसके लिये बहुत बड़ी कोशिश करनी चाहिये।

हमारी सड़कें जो बन रही हैं ब्लाकों की, क्या उनका नतीजा होता है? आज से पहले जो सड़कें बनी थीं वह टूट-फूट कर बिल्कुल खत्म हो गयी हैं। उन पर जो रुपया खर्च हुआ था वह बिल्कुल जाया हो गया। अब उन्हें ठीक कराने के लिये नये सिरे से उन पर रुपया खर्च होगा, तो किस तरह से सरकार का रुपया जाया होता है, यह देखने की बात है। मैं समझती हूं कि इस तरफ ज्यादा से ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है कि जो सड़कें बनाई जाती हैं तो साथ ही उसके मेन्टेनेन्स का भी इन्तजाम होना चाहिये। क्योंकि जब सड़कों की मरम्मत की बात करते हैं तो ब्लाक अधिकारी या बी० डी० ओ० कहता है कि हम क्या करें, इसके लिये रुपया है ही नहीं। मैं समझती हूं कि सरकार इस बात पर गौर करें और जरूर ध्यान दें कि जब कोई सड़क की योजना बनती है और सड़क प्लान में आ जाती है तो उसके साथ ही मेन्टेनेन्स के लिये, उसकी रिपेयर के लिये भी जरूर इन्तजाम होना चाहिये।

जनाबआला, मैं एक और बात की तरफ आपका ध्यान ले जाना चाहती हूं कि सन् 1964 में जब चौधरी चरण सिंह के मुख्य मंत्रित्व का जमाना था तो उस समय महिला मंगल योजना जो थी, उसको खत्म कर दिया गया था, उस समय मैं काउन्सिल में थी। तमाम औरतों ने इस बात को लेकर धरना दिया था, बहुत कोशिश हुई लेकिन वह योजना दुबारा नहीं हुई।

मैं समझती हूं कि कांग्रेस सरकार के लिये वह योजना बहुत जरूरी है। हमारे गांव अभी भी बहुत पिछड़ हुए हैं हर दिशा में। मेरी रात दिन का वास्ता रहता है गांव में, मैं जानती हूं कि गांव की औरतें जैसी पहिले थीं वैसी की वैसी आज भी हैं। जो हमारी पापुलेशन है, हमारी जो आबादी है, उसका आधा हिस्सा औरतों का है। तो औरतों की बेहतरी के लिये, औरतों के विकास के लिये सरकार कोई कदम उठाये। क्या उनको हक नहीं है कि वह दुनिया में तरक्की ही रही है, उसको वे हासिल करें?

जनाबेआला, यह तमाम सवाल हैं जिनके लिये सरकार को गौर से सोचना चाहिये और इसके लिये कोई ऐसी योजना बनायें जिससे कि औरतों को कुछ न कुछ फायदा हो सके। वे अपने घरों के धन्धों के बाद कोई ऐसा काम उन्हें दिया जाय जिससे कि उनकी बेहतरी के लिये कुछ काम हो सके, उनकी हालत बेहतर हो सके। वह भी हमारे समाज में कुछ अहम जगह रखती हैं। जब तक औरतों की हालत बेहतर नहीं होगी तब तक कोई मुल्क तरक्की नहीं कर सकता है। जब तक मुल्क की औरतें बराबरी के दर्जे पर नहीं आती हैं, जब तक उनकी हालत बेहतर नहीं होती है, जब तक उनमें यह कूवत नहीं है कि वह मर्दों के साथ चल सकें,

तब तक मुल्क की भी हालत बेहतर नहीं हो सकती है । मैं तो बहुत स्ट्रांगली इस बात को महसूस करती हूं कि औरतों की हालत जब तक बेहतर नहीं होगी, मुल्क कभी आगे नहीं बढ़ सकता है ।

अगर एक परिवार में एक औरत तालीमयाफ्ता होगी तो वह बच्चों को अच्छी तालीम दे सकती है, उनका लालन-पालन अच्छी तरह से कर सकती है । आप 10 मर्दों को पढ़ा दीजिये उससे कोई फायदा नहीं होगा । आज लड़कियों की तालीम पीछे पड़ी हुई है । इस समय मैं तालीम के बाबत नहीं कहूंगी । तो जनाबेआला, जो स्कीम बने उसमें औरतों को जरूर थोड़ा-बहुत हिस्सा देना चाहिये ताकि वे समझें कि हम इस मुल्क के काम में हाथ बंटा सकते हैं, हमारी भी कुछ अहमियत है । मुझे याद है कि गांधी जी ने एक बार कहा था कि औरत और मर्द एक गाड़ी के दो पहिये हैं । अगर औरत आगे नहीं बढ़ेगी तो मुल्क कभी तरक्की नहीं कर सकता है ।

आज हमारे गांवों की हालत क्यों खराब है ? सिर्फ इसलिये कि वहां की औरतें बिल्कुल अपनी जिम्मेदारी नहीं महसूस करती हैं । उनको कोई अहसास दिलाने वाला नहीं है कि तुम अपनी हालत अच्छी रखो, अपने बच्चों की हालत अच्छी रखो और उनकी बेहतरी के लिये यह काम करो । जब तक वहां की औरतें अपनी जिम्मेदारी का अहसास नहीं करेंगी, तब तक मुल्क तरक्की नहीं कर पायेगा ।

जनाबेआला, यह एक बहुत अहम मसला है, इसमें बहुत किया जा सकता है । माननीय मंत्री जी ने जो बजट पेश किया है तो उन्होंने जो स्कीमें बयान की हैं वह वाकई बहुत अच्छी हैं परन्तु जो लोग इन स्कीमों को चलाने वाले हैं, उनके स्तर को ऊंचा करना चाहिये, उनके ऊपर तमगीह करनी चाहिये ताकि वह रुपया पूरा परकुलेट हो । ताकि वह रुपया जो होता है, अंग्रेजी में एक शब्द है परकुलेट करना, वह नीचे, जिसके लिए हमारा मकसद है, दैट मनी शुड परकुलेट, जिनको पहुंचाने के लिए मकसद सामने रखा गया है, पहुंचे । इन अल्फाजों के साथ में इस बजट की हिमायत करती हूं और अगले साल में हमारे गांव तरक्की कर सकें और जो हमारा ग्राम विकास है, उसको हम सही मानों में कर सकें ।

श्री मोती लाल देहलवी--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझ को बेगम साहिबा ने बोलने के लिए उत्प्रेरित कर दिया ।

(हंसी)

बेगम साहिबा ने सब औरतों और खास तौर, मुझ को पता नहीं गांव की औरतों की तरफ उनका ध्यान है या नहीं, व्यक्तिगत रूप से मैं नहीं जानता कि गांव की औरतों की जो मुख्य समस्या है, उसे वह जानती हैं या नहीं । चौधरी चरण सिंह का ध्यान उस तरफ गया है ।

श्री उपाध्यक्ष--

मुझे लगता है कि आपका ध्यान जरूर ही पहुंच गया होगा ।

(हंसी)

श्री मोती लाल देहलवी--

गांव की औरतों की मुख्य समस्या टट्टी-पाखाने की है। मैं तो बहुत ही द्रवित और दुखी हूं। यह एक दुर्भाग्य है इस देश का कि आजादी के 35 साल हो गये और इस देश की प्रधान मंत्री महिला हैं, उनके रहते आज देहात की, गांव की औरतों की जो दुर्दशा है, हालत है, वह बयान नहीं की जा सकती। बेगम साहिबा, मैं आपका ध्यान खींचना चाहूंगा। सब को मालूम है, बेगम साहिबा आप भी जानती होंगी कि गांव की औरतों को टट्टी, पाखाने की कितनी परेशानी है। 35 साल हो गये कांग्रेस की सरकार पर रहते हुए, गद्दी पर बैठे हुए, कभी ध्यान गया? मर्द तो चले जाते हैं खेत में, मैदान में लेकिन औरतें जो लाज वाली होती हैं, शर्म वाली होती हैं, मान-प्रतिष्ठा वाली होती हैं, आपने कभी देखा उनकी क्या हालत होती है? आप निकल जायें, बेगम साहिबा, अपनी मोटर से, तो आप देखतीं, कि औरतें बेचारी सड़क के किनारे टट्टी करती हैं।

श्री सुन्दर सिंह--

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है। हमारे देहलवी साहब बेगम साहिबा को एड्रेस कर रहे हैं या आपको एड्रेस कर रहे हैं?

श्री उपाध्यक्ष--

वह नाम बेगम साहिबा का ले रहे हैं और देख आपको रहे थे।

(हंसी)

श्री मोती लाल देहलवी--

तो मैं कह रहा था कि जब बेगम साहिबा अपनी मोटर से जाती होंगी तो देखती होंगी कि सड़कों के किनारे बैठी रहती हैं...

श्रीमती कुदसिया बेगम--

मैं सब औरतों को जानती हूं, सब औरतों से मिलती हूं।

श्री मोती लाल देहलवी--

सड़क के किनारे पाखाना करती हैं। उनके सामने मजबूरी है। कोई खुशी से नहीं बैठती हैं। वह उठती बैठती रहती हैं। आपने एहसास किया होगा कि कितनी परेशानी है। हमारी प्रधान मंत्री जी हैं, आप लोग जो अपना नेता कहते हैं, महिला हैं, मैं चाहूंगा कि आप लोग, माननीय ग्राम्य विकास मंत्री, जब कभी अपनी नेता जी से मिलें तो अपने मंत्री पद की बात बाद में करें कि कान्टीन्यू मंत्री पद रहेगा या नहीं, इसकी बात बाद में करें उनसे कहें, अगर सही माने में आपकी नेता हैं इन्दिरा जी, और उन्हें इस देश की औरतों से कुछ प्यार और मुहब्बत है, उनकी दीन दशा का ख्याल है तो मान्यवर, कहना तो नहीं चाहिये...।

श्री उपाध्यक्ष--

बहरहाल आप कह ही डालें।

श्री मोतीलाल देहलवी--

यदि गैरत को देखा जाय तो मान्यवर, इस तरफ उनका ध्यान जाना चाहिये। मान्यवर, मैं एक सुझाव दे रहा हूं कि गांवों में महिलाओं के लिए पहला काम आप यह करें, क्रान्तिकारी कदम होगा आपका, आपके नेता का, दोनों का यश होगा और एक ऐतिहासिक काम होगा। मान्यवर, अगर सही माने में आप गांव का विकास चाहते हैं और गांव की तरफ आपका ध्यान है, तो गांवों में औरतों के लिये पाखाने बनवायें। मान्यवर, यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि पहले ग्रामों का विनाश किया गया खुला मतदान करा कर। शुरुआत किया गया यहां से कि पहले खुला मतदान करा कर ग्राम प्रधानों का चुनाव किया गया। इसका नतीजा यह हुआ कि कोई गांव ऐसा नहीं मिलेगा जहां पार्टीबन्दी न हो। और पार्टीबन्दी ही नहीं बल्कि जहां दुश्मनी और पार्टीबन्दी की बुनियाद न पड़ गयी हो, इसकी जड़ न पड़ गयी हो। और बेगम साहिबा हर गांव के हरिजन आज फुटबाल बन कर रह गये हैं, हर गांव में हरिजनों की हालत फुटबाल सी हो गयी है। उसके बाद खुदा ने आपको बुद्धि दी, अकल दी लेकिन बुनियाद आपने विनाश की डाल दी और आज उसी विनाश की बुनियाद के ऊपर आप एक अच्छी इमारत खड़ी करना चाहते हैं जो मेरे ख्याल में सम्भव नहीं रह गया है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष--

आप किससे निवेदन करना चाहते हैं ?

श्री मोतीलाल देहलवी--

आपके माध्यम से सत्ता पक्ष के लोगों से।

बड़ा ढिंढोरा पीटा जाता है, बड़े चैलेंज के साथ आप गर्व और फक्र के साथ कहते हैं कि हम जनतांत्रिक हैं। अगर वास्तव में आप जनतांत्रिक हैं, तो फिर आपको गांवों का विकास करने के लिए चाहिये था कि आप गांव पंचायतों की राय लें। लेकिन आप गांव पंचायतों की राय नहीं लेंगे। आप अपनी योजना को ऊपर से डाल देते हैं। इससे गांवों का विकास वास्तविक रूप में नहीं हो रहा है। किस गांव की क्या समस्या है, कौन सी प्रमुख समस्या है, उसका निराकरण क्या है, इसके लिये आप ग्राम प्रधानों के सुझाव लीजिये। आपने ऊपर से इस चीज को लाद दिया और विधायक को पता तक नहीं चलता है कि आपकी कौन सी योजना चल रही है। असलियत यह है कि आज गांवों का विकास नहीं हो रहा है, वास्तव में विकास हो रहा है आपका। तो इससे एक जो उद्देश्य है, मैं आपकी नियत पर शक नहीं करता हूं, आप भी चाहते हैं कि गांव का विकास हो, हम भी चाहते हैं कि गांव का विकास हो लेकिन किस गांव की क्या समस्या है, किस गांव की क्या प्रमुख समस्या है। कभी-कभी आपके सामने विधायकों द्वारा आयी है। मई, जून के महीने में तालाब का पानी सूख जाता है तो आपको उसमें पानी डालने के लिए कोई व्यवस्था करनी पड़ती है, अचानक उसमें पैसा खर्च करना पड़ता है। आप ऐसी योजना बनाइये कि किसी तरह से हर महीने गांवों के तालाबों में पानी रहे जिससे जनवरों को परेशानी न आवे।

[श्री मोतीलाल देहलवी—]

मान्यवर, दूसरा गर्व आप करते हैं आई0 आर0 डी0 स्कीम का। मैं आपसे कहना चाहूंगा यह आपके गर्व की बात नहीं है। आपने प्रेरणा ली जनता पार्टी की सरकार से। जनता पार्टी की गवर्नमेंट ने ही यह प्रारम्भ किया था, अन्त्योदय योजना, जो बहुत ही अंतिम व्यक्ति है, जिसके पास कोई साधन नहीं है, कोई सहारा नहीं है जीविका का, उसके लिए जनता पार्टी की सरकार ने एक योजना दी थी। आपने केवल नकल की है उसकी। मान्यवर, आपको तो चाहिये यह था कि जनता पार्टी की सरकार ने जो सड़कें बनवायी थीं उनमें मिट्टी डलवाने का ही काम किये होते, उसकी देख-रेख ही कर लेते। आखिर जनता पार्टी का पैसा तो है नहीं, पैसा तो सरकार का ही है। आपने उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। बुद्धिमानी यह कहती थी मान्यवर, और यह तकाजा था विकास का कि आप कम से कम उन सड़कों की मिट्टी को बहने से बचा लेते। जिन-जिन ब्लाकों में सड़कें बनवाई गयीं थीं आप खुद देख लीजिये हर सड़क की मिट्टी बह गयी। आखिर नुकसान जनता पार्टी का नहीं हुआ। नुकसान सरकार का हुआ, सरकारी पैसे का हुआ। सरकारी पैसे का मतलब है जनता का पैसा। आपने जनता का पैसा बरबाद किया। मैं नहीं कह सकता कि वह नासमझी से बरबाद किया या इस गुस्से से आपने उस मिट्टी को बह जाने दिया कि चूंकि इसको जनता पार्टी की सरकार ने बनवाया।

मैं नहीं कह सकता। बेगम साहिबा तब आप भी इसी तरफ थीं जनता पार्टी में और मान्यवर, मुझे बेगम साहिबा का भाषण अच्छी तरह याद है। सार्वजनिक निर्माण विभाग पर बेगम साहिबा का भाषण हुआ था। बेगम साहिबा ने कहा था कि 32 साल कांग्रेस सरकार के रहने के बावजूद इतनी सड़कें नहीं बन सकीं जितनी सड़कें जनता पार्टी की सरकार ने दो साल में बनाई। बेगम साहिबा को याद होगा। नहीं हो तो मैं आपको आपका भाषण दिखा दूंगा।

श्रीमती कुदसिया बेगम—

आपकी इजाजत से यह बतलाना चाहती हूं कि मैं जनता पार्टी में कभी नहीं थी। मैं इन्डीपेन्डेन्ट थी। बैठती उधर थी मगर जनता पार्टी की मेम्बर नहीं थी।

श्री मोती लाल देहलवी—

आप गवर्नमेन्ट की सपोर्टर थीं, बेगम साहिबा, यह क्यों भूलती हैं। तो मान्यवर, मैं निवेदन करूंगा कि...

श्री उपाध्यक्ष—

लाल बत्ती की तरफ भी देखिये...

श्री मोती लाल देहलवी—

मान्यवर, बुद्धि, विवेक का तकाजा है कि विकास खंडों द्वारा जो सड़कें बनवायीं गयीं हैं, यह सरकार उनकी हिफाजत करे। और मैं पुनः निवेदन करूंगा कि गांवों में महिलाओं के लिए टट्टी, पाखाने का प्रबन्ध कर दिया जाय। आये दिन यह घटना अखबारों में आप भी पढ़ते होंगे कि अमुक महिला पाखाने के लिये गयी, उसके साथ बलात्कार कर दिया गया, अमुक लड़की पाखाने के लिये गयी उसके साथ वहीं पर बलात्कार हुआ। आपकी नेता जी भी पढ़ती होंगी। आखिर

35 वर्ष हो गये आपका गांव की औरतों की तरफ ध्यान नहीं गया। मैं आपसे अखिर में निवेदन करूंगा कि यह ऐतिहासिक कदम होगा, अच्छा होगा जवाब देने के समय यह घोषणा करें कि आप 82–83 के वर्ष में हर गांव में महिलाओं के लिए पाखाने का प्रबन्ध कर देंगे।

*श्री पंचानन राय—

माननीय उपाध्यक्ष जी, ग्राम्य विकास, पंचायती राज तथा क्षेत्रीय विकास का जो बजट माननीय मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है, उसका मैं समर्थन करता हूं और कटौती का जो प्रस्ताव विरोध पक्ष के माननीय सदस्य ने रखा है, उसका मैं विरोध करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय राय साहब, एक निवेदन करना चाहूंगा। आज चार बजे तक का ही समय इस ग्रान्ट पर है। इसलिये मैं सदन के सभी सदस्यों का इसमें सहयोग चाहूंगा कि वे 5 मिनट से ज्यादा समय न लें। सवा तीन बजे इसमें बहस बन्द हो जायेगी।

[समय 2 बजकर 5 मिनट]

श्री पंचानन राय—

मान्यवर, मैं इसके लिए माननीय मंत्री जी को भी और इस प्रदेश की सरकार को भी बधाई देना चाहता हूं कि लम्बे अर्से के बाद गांव पंचायतों के चुनाव प्रारम्भ हो रहे हैं जो कि निकट भविष्य में पूरे हो जायेंगे। हमारे जो साथी गांवों की बात ज्यादा करते हैं, उनका वास्तव में गांव के विकास में कोई रिश्ता नहीं है। हमने गांव पंचायतों और पंचायती राज की कल्पना इसलिये की थी कि गांवों का विकास, गांवों की योजनायें गांवों के स्तर से ही बनेंगी जिनमें कि गांवों के लोगों की, जन प्रतिनिधियों की और उसमें उनके सहयोग की भागीदारी होगी तभी निश्चित रूप से जो प्रदेश का पैसा है, वह गांवों के विकास के लिए लगाया जायेगा और वह कारगर तरीके से खर्च होगा।

लेकिन जो यहां पर संविद सरकार बनी और दिल्ली में इनकी हुकूमत आयी तो सबसे पहला काम इन्होंने जो किया, वह यह किया कि गांवों के पंचायती राज के स्ट्रक्चर पर चोट की। क्षेत्र समितियों और जिला परिषदों को भंग किया। मैं कहना चाहता हूं कि जब तक हम गांवों का विकास नहीं करेंगे तब तक हम इस देश को मजबूत नहीं कर सकते हैं और न उसके विकास की कल्पना को ही साकार कर सकते हैं। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने इस तरफ सोचा है क्योंकि वे भी गांवों के धरातल से आये हैं, गांवों का जनसमुदाय उनके साथ है इसलिए वे गांवों के स्ट्रक्चर को मजबूत करना चाहते हैं। मान्यवर, मैं कुछ सुझाव भी देना चाहता हूं। गांवों के विकास पर विभिन्न तरीकों से पैसा खर्च

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री पंचानन राय—]

होता है । देहलवी जी ने कहा कि कच्ची सड़कों का निर्माण हुआ, उनकी मिट्टी बह गई । मिट्टी तो पड़ी ही नहीं थी जो बह गई हो । खाद्यान्न योजना में, गांवों के विकास के लिये गांवों को सड़कों से जोड़ने के लिए जो पैसा दिया गया था, उसमें समाज के कुछ ऐसे असामाजिक तत्व आ गये थे जिन्होंने कि इस योजना के अन्तर्गत पैसा कमाया और मनमाने ढंग से खर्च किया । तो उसमें मिट्टी बहना स्वाभाविक ही था । मान्यवर, मैं अपने जिले का उदाहरण देना चाहता हूं । जितने असामाजिक तत्व थे वे सब अन्त्योदय योजना और खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत ग्रामीण....

श्री मोती लाल देहलवी—

मान्यवर, कांग्रेस के दो विधायक डकैती में पकड़े गये हैं, जिसमें से एक किसी ब्लाक के अध्यक्ष भी थे ।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय मोती लाल जी, किसी पर पत्थर फेंकना मुनासिब नहीं है ।

श्री पंचानन राय—

जितने भी ऐसे तत्व थे वे बुलेट मोटर साइकिल पर चलने लगे थे । गांवों में सड़क बनाने के काम को ही लिया जाय तो सिंचाई विभाग अलग से निर्माण कार्य कराता है, खाद्यान्न योजना में उस पर अलग से कार्य होता है, पी० डब्लू० डी० उस पर अलग से निर्माण करता है और जिला परिषद् भी निर्माण कार्य कराता है । वहां पर विभिन्न प्रकार की एजेन्सियों से गांवों की सड़कों के विकास का कार्य हो रहा है । लेकिन उनमें समन्वय नहीं है । वहां पर ब्लाक में हर डिपार्टमेंट का एक सहायक विकास अधिकारी होता है । बी० डी० ओ० का कोई अधिकार नहीं है । कोआपरेटिव का ए० डी० ओ० अलग है, माइनर इरीगेशन का अलग है, पंचायती राज का अलग है, एक दर्जन ए० डी० ओ० वहां पर हैं । उनमें समन्वय नहीं है, जिला स्तर पर समन्वय उनका होता है । मैं कहना चाहता हूं कि जहां तक सड़क बनाने का काम है, विकास का काम है, उसके लिये एक समन्वित योजना होनी चाहिये, एक एजेन्सी होनी चाहिये जो कि कोआर्डिनेट करे कि इस तरीके से गांवों के विकास कार्य को सुनियोजित किया जाय । होता क्या है कि जिला परिषद् ने एक सड़क बनाई और उसका ट्रान्सफर पी० डब्लू० डी० को किया गया तथा उसके द्वारा डाली गयी मिट्टी का भुगतान दुबारा जिला परिषदों द्वारा किया गया । तो इससे जनता के पैसे की हानि होती है । गांवों के विकास के लिए निश्चित रूप से एक कोआर्डिनेटेड स्कीम होनी चाहिये । उनका समन्वय करने के लिए कोई न कोई एजेंसी ब्लाक स्तर पर होनी चाहिये ।

एक और सुझाव माननीय मन्त्री जी को देना चाहता हूं । रोज सदन में बात उठती है शासन में जनप्रतिनिधियों का हाथ होना चाहिये । मैं कहना चाहता हूं कि ब्लाक प्रमुख को वह सारे अधिकार हों कि जितनी योजनायें गांवों के लिये बनती हैं, उसमें उसका सक्रिय हाथ हो, उसके नियन्त्रण में ब्लाक की योजनाओं का निर्माण हो, तमाम विभागों द्वारा जो विभिन्न योजनाओं में पैसा खर्च होता है, वह उसके अन्तर्गत हो ।

एक बात और कहना चाहता हूं। अन्त्योदय और खाद्य योजनाओं की यहां चर्चा की गयी, उसके बारे में मैं माननीय मन्त्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिस तरीके से यह योजना शुरू की गयी थी, जिसमें भ्रष्टाचार सुरसा की तरह मुंह बढ़ाये जा रहा था, उसको सरकार ने न रोका होता तो सारे प्रदेश का बजट जो गरीबों के उत्थान के लिए था, उनके विकास के लिये था, उनमें न लग कर बरबाद हो जाता।

(व्यवधान)

मैं टोका-टोकी नहीं करना चाहता लेकिन जनता के पैसे की जो बरबादी की गयी उसी का फैसला जनता ने दिया कि आप इधर से उधर चले गये और हमें इधर आने का मौका मिला। यदि पैसे का सदुपयोग किया होता तो आज आपकी यह स्थिति नहीं होती। 1982 तक आप यहां रह सकते थे और हमें उधर बैठना पड़ता।

(व्यवधान)

तो मैं कह रहा था कि गांव विकास की एक प्रमुख इकाई है, गांवों का विकास जरूरी है। आज हो क्या रहा है कि तमाम बड़े-बड़े शहरों में उद्योग लगते हैं उसका कारण यह होता है कि गांवों तक रास्ते नहीं हैं। तो मैं सुझाव देना चाहता हूं कि हर गांव को मुख्य सड़क से जोड़ा जाना चाहिये, हर गांव का विद्युतीकरण होना चाहिये, तभी हम गांवों का विकास कर सकते हैं। चूंकि गांव हमारी विकास की प्रमुख इकाई है इसलिए इसका समन्वित विकास किया जाना चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बजट पर अपने विचार व्यक्त करने का अवसर दिया। मैं इस बजट का समर्थन करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

*श्री सत्यपाल सिंह--

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। जिन विभागों का बजट माननीय ग्राम्य विकास मन्त्री जी ने सदन में पेश किया है, मैं समझता हूं कि उनका सम्बन्ध प्रत्यक्षरूप से ग्रामीण जीवन से जुड़ा हुआ है जो गांधी जी के स्वप्नों को पूरा कर सकते हैं। हमारे साथी अभी जो बोल रहे थे, वह सत्यता से बिलकुल परे बोल रहे थे, ग्रामीण योजना से गांवों को सम्पर्क मार्गों के जरिये से, मुख्य सड़कों से जोड़ा गया था आपने कहा कि इससे असामाजिक तत्वों को लाभ पहुंचा तो इससे ज्यादा सत्यता से परे कोई बात हो नहीं सकती है। यह सब अच्छी तरह से जानते हैं कि जनता पार्टी के जमाने में जितना काम हुआ, जितनी सड़कें बनीं उतनी 32 सालों में नहीं बन पायीं और जनता पार्टी के दो-ढाई साल के शासन में बनीं। यह सही है कि आज उन सड़कों की मिट्टी बह रही है। मैं माननीय मन्त्री जी से कहना चाहूंगा कि हमारे देहाती अंचल को सम्पर्क माध्यम से जोड़ने का काम सबसे महत्वपूर्ण है। यह आपका दायित्व हो जाता है कि आप गांवों की गन्दी गलियों की ओर भी देखें ताकि वहां का रहने वाला महसूस कर सके कि वह भी स्वतन्त्र भारत का निवासी है। जिस तरह से हजरतगंज और

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री सत्यपाल सिंह--]

बड़े-बड़े शहरों में आप घूमते हैं उन गलियों में भी लोग घूम सकें। वहां आज निकलना असम्भव हो जाता है। मैं बड़ी निष्पक्षता से कहना चाहता हूं और माननीय मन्त्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि वह कम से कम उत्तर प्रदेश के मन्त्रि मंडल में एक ऐसे मन्त्री हैं जिनके सामने विरोध पक्ष का चाहे कोई सदस्य पहुंच जाय या सत्ता पक्ष का सदस्य पहुंच जाय, उसकी बात बड़ी सौम्यता से सुनते हैं। व्यवहारिकता से बात करते हैं, उसका कार्य करने का पूरा प्रयास करते हैं। जबकि इसके अलावा हमारे मन्त्रि परिषद् के अनेक माननीय सदस्य ऐसे हैं, जिनको मैंने अपने 10 साल के विधान सभा के कार्यकाल के रूप में देखा है कि जिस दिन मन्त्री पद पर बैठ जाते हैं, वह समझते हैं कि वह उनका पुश्तैनी हक है, उनका नेचुरल पद है।

श्री श्याम लाल बाजपेयी---

तो बलराम जी आपको पसन्द आ गये।

श्री सत्यपाल सिंह---

जहां तक पसन्द की बात है, जब आप लखनऊ यूनिवर्सिटी में अध्यक्ष थे, तो उस समय आपकी अदा और कार्यकला को भी मैं पसन्द करता था और आज मन्त्री जी की पसन्द है।

श्री श्याम लाल बाजपेयी--

मैं आज भी वैसा हूं, परिवर्तन कोई नहीं है।

श्री सत्यपाल सिंह---

मान्यवर, आपने ग्राम्य विकास के अन्तर्गत, जो कमजोर वर्ग के लोग हैं, उनके हेतु कच्चे और पक्के मकान बनाने की योजना बनाई है, और उसमें 25 प्रतिशत लाभार्थी को देना पड़ेगा। मेरे जनपद शाहजहांपुर में एक विकास खंड जैतीपुर है, जिसमें दो सालों से 10 कच्चे मकान बने हुये हैं, जिनमें कोई रहने वाला नहीं है और वह दसों खंडहर के रूप में विद्यमान हैं, जो कि मोहनजोदड़ों और हड़प्पा के खंडहरों से कम नहीं हैं। यह भवन सड़क पर बने हुये हैं, जो कि आपके विभाग के लिए अत्यन्त लज्जा की बात है। या तो आपको उनको पूरी तरह से ठीक करवा दीजिये या उनको गिरवाकर पक्के बनवा दीजिये। मन्त्री जी भी यदि उस इलाके में पहुंच जायें। उस जिले की यह बदकिस्मती है कि उनके वहां पहुंचने की नौबत ही नहीं आती है।

(व्यवधान)

हमारे ले जाने की बात नहीं है, आपके जाने का वक्त है।

तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि कुछ विकास खंड तो ऐसे हैं, जिनको विकास अधिकारियों ने ऐसी दुर्दशा कर दी है कि वहां पर, उन्हें विकास खंड के स्थान पर विनाश खंड का नाम दे दिया गया है और साथ ही आपके यहां कुछ ऐसे विकास खंड अधिकारी भी हैं, जिन्होंने अपने खंड का विकास करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। ऐसे ही एक विकास खंड अधिकारी हमारे यहां मिर्जापुर के हैं, जिनके बारे में मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि शायद ही उत्तर प्रदेश में दो-एक ही उनकी समता के विकास खंड अधिकारी होंगे, जो अपने

जीवन का एक-एक क्षण जनता की सेवा में लगाते हैं। मैं चाहूंगा कि मन्त्री जी ऐसे खंड विकास अधिकारियों का पूरा ध्यान रखें और उन्हें पुरस्कृत करें, जिससे अन्य खंड विकास अधिकारी भी उससे प्रोत्साहित हों।

आपका जो ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग है, उसके द्वारा बनाये गये जितने विद्यालय हैं, उनमें 10 प्रतिशत तो मुनाफा ठेकेदार का तय होता है और 15 प्रतिशत आपके इंजीनियरिंग विभाग का तय होता है। मैं कहना चाहता हूं कि जिला शाहजहांपुर में ही नहीं, उत्तर प्रदेश के अन्दर ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग के द्वारा जितने भी विद्यालय भवन बनाए जाते हैं, उनके समर्पित करने से पहले वह या तो चटक जाते हैं या उनके लिंटर गिर जाते हैं। यह शोचनीय स्थिति हर विकास खंड में है। मैंने जिला अधिकारियों की मीटिंग में इसे कहा है। आप ऐसे दोषी इंजीनियरों पर कोई जिम्मेदारी अवश्य तय करें और उनके लिए जुर्माने की भी व्यवस्था करें। यह इस तरह से जनता के धन का खुला दुरुपयोग हो रहा है ....।

श्री बलराम सिंह यादव--

हमने फरीदपुर में ऐक्शन लिया है।

श्री सत्यपाल सिंह--

मैं तो अपने यहां की बात बता रहा हूं। जैतीपुर में जो जूनियर हाई स्कूल की बिल्डिंग बन रही थी, वह मामूली आंधी के झोंके से गिर गयी। मैंने उसको मीटिंग में रखा था। मैं सुझाव के रूप में कहना चाहता हूं कि जो इन भवनों में इंजीनियर लोग पैसा नहीं लगाते हैं, उसके लिए सख्त कार्यवाही की जाए। आपके द्वारा जो बजट पेश हुआ है, इसमें जो भी बातें रखी गई हैं, वह सही हैं, लेकिन उनका कार्यान्वयन नीचे के अधिकारी भली प्रकार नहीं कर पा रहे हैं। आपने ग्राम पंचायतों के चुनाव कराये यह सही है और इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं और यह यदि आपने नामिनेशन के बाद कराया होता तो बड़ा अच्छा होता। इसके साथ में कटौती के प्रस्ताव का पुरजोर समर्थन करता हूं और इस प्रस्तुत बजट का घोर विरोध करता हूं।

श्री शम्भूनाथ--

मैं आपका आभारी हूं कि जो मुझे आपने बोलने का अवसर दिया है। मैं चाहूंगा कि आप इस पर मुझे कम से कम 10 मिनट का समय दें। मान्यवर, मैं ग्राम्य विकास मंत्री के बजट का समर्थन करते हुए विरोध पक्ष के श्री ओझा जी के कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं। मैं आज ग्राम्य विकास मंत्री जी को बहुत-बहुत बधाई दे रहा हूं कि उन्होंने बीसों साल की मांग के बाद उत्तर प्रदेश के युवकों के कल्याण कार्यक्रम के लिए युवक कल्याण निदेशालय का विधिवत गठन कर दिया है। आपको ज्ञात है कि युवकों ने ही देश की आजादी को प्राप्त किया है और आजादी पाने के बाद 1948 में हमारे नेताओं ने प्रान्तीय रक्षक दल का संगठन प्रदेश में युवा कार्यक्रम को चलाने के लिए स्थापित किया था और उसमें दलपति, हल्का सरदार टोली नायक आदि के अवैतनिक पद हुआ करते थे।

[श्री शम्भू नाथ--]

सन् 56 में प्रत्येक गांव सभाओं में स्वर्गीय जवाहर लाल नेहरू की प्रेरणा से युवक मंगल दल का गठन करने का निर्णय लिया गया था और गांव के विकास का संकल्प लिया गया था ।

मान्यवर, मैं आज मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि उत्तर प्रदेश में युवक कार्यक्रम को चलाने के लिए जो आज बजट युवक कल्याण परिषद् के माध्यम से पेश किया गया है, उसमें केवल नाम मात्र का बजट है । इतना बड़ा निदेशालय बनाया गया है, लेकिन उसका बजट बहुत ही कम है । वह केवल 21 लाख 96 हजार रुपयों का है । मैं इसको चाहूंगा कि यदि यह एक करोड़ का हो बजट रहे तब भी कम है । मान्यवर, 1972 में माननीय कमलापति त्रिपाठी तत्कालीन मुख्य मंत्री ने युवक निदेशालय के लिए सोचा था, 73 में तत्कालीन मुख्य मंत्री, श्री नारायण दत्त तिवारी ने प्रदेश में युवक विचार गोष्ठी के समय, जो उनकी अध्यक्षता में हुई थी, निदेशालय बनाने की घोषणा की थी । सन् 76 में स्वर्गीय संजयगांधी जी, जो युवकों के मसीहा थे, नारायण दत्त तिवारी के मुख्य मंत्रित्व काल में, 50 हजार युवकों की विशाल रैली में उत्तर प्रदेश में युवक कल्याण के लिए युवक मंगल दल की बात कही गयी । जिसके अन्तर्गत हर गांव सभा में युवक मंगल दल, हर ब्लाक में क्षेत्रीय युवक मंगल दल परिषद्, जिले में जिला युवक मंगल दल परिषद् और प्रदेश में युवक मंगल दल परिषद् स्थापित किये गये हैं। प्रदेश में स्थापित युवक मंगल दल परिषद् है, जिसका मैं अध्यक्ष हूं, जो अवैतनिक पद है । यह सब स्वयंसेवी संस्थायें हैं । मैं मंत्री जी से चाहूंगा कि 28 जनवरी, 1982 को जो राज्य नियोजन मंत्री की अध्यक्षता में मीटिंग हुई, युवक कल्याण निदेशालय बना दिया गया, लेकिन उसके लिए जो 75 लाख की योजनाएं स्वीकार की गयी थी, वह योजना वित्त विभाग ने अस्वीकृत कर दी है ।

माननीय मुख्य मंत्री जी ने युवक कल्याण परिषद् का 25 अप्रैल, 1981 को गठन किया था और उसके लिए 2 करोड़ रुपये की धनराशि देने की घोषणा की थी । तब यह कहा था कि 2 करोड़ रुपये के सूद से राज्य युवक कल्याण परिषद् के कार्यक्रम चलाये जायेंगे । उस परिषद् के सभापति हमारे मुख्य मंत्री जी हैं लेकिन जो घोषणा उन्होंने की थी, वह 2 करोड़ रुपया आज सचिवालय की पत्रावलियों में घूम रहा है । लोग यह सोच रहे हैं कि इस रुपये को कैसे खाया जाये ? मैं माननीय मन्त्री जी से चाहूंगा कि वे मुख्य मन्त्री जी से कहें कि 2 करोड़ रुपया बैंक में जमा कराकर उसके सूद से राज्य युवक कल्याण परिषद् के कार्यक्रम चलायें जायें । प्रदेश में जो क्षेत्रीय युवक कल्याण अधिकारी हैं, जिला युवक कल्याण अधिकारी हैं और प्रदेशीय स्तर पर कार्यरत हैं, जिनके माध्यम से युवक कल्याण कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं, वेतन आयोग की संस्तुति के अनुसार, उनके पदों के अनुसार, उनको वेतन दिलाया जाय ।

दूसरी बात यह है कि युवक कल्याण परिषद् केवल युवकों के कल्याण के लिए नहीं है यह युवतियों के और युवक दोनों के लिए योजना कार्यक्रम चलाये जायं । हमारे माननीय मन्त्री जी वरिष्ठ मंत्री हैं और उन्हें हमारे गांव का भी ध्यान है, गांवों के युवकों को व्यावसायिक प्रशिक्षण दिलाने की व्यवस्था करें और इनको आई० आर० डी० और ट्राइसम योजनाओं के अन्तर्गत चयन किया जाय । और आज जो करोड़ों रुपया गांवों में बिना योजना के, बिना प्लान के खर्च हो रहा है, उस रुपये को निदेशालय के माध्यम से युवकों को व्यावसायिक

प्रशिक्षण देकर योजनाबद्ध तरीके से कार्यक्रम चलाया जाये ताकि उत्तर प्रदेश में जो युवक कल्याण निदेशालय स्थापित हुआ है, उसका सही स्वरूप हो सके ।

(श्री नरेन्द्र सिंह भंडारी का नाम पुकारे जाने पर)

श्री रुद्र प्रताप सिंह--

मान्यवर, मेरी प्रार्थना है कि आप मुझे भी इस बजट पर बोलने का अवसर दें ?

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

आप कृपया बैठ जायें ?

(श्री रुद्र प्रताप सिंह के बराबर बोलते रहने पर जो माइक औफ होने के कारण सुनाई नहीं दिया)

आप बिराजिये, आपको समय मिलेगा ?

श्री रुद्र प्रताप सिंह--

आप मान्यवर, अपनी व्यवस्था तो दे दीजिए ?

श्री उपाध्यक्ष--

आप बिना इजाजत के बोल रहे हैं, आप बिराजें ?

(व्यवधान)

*श्री नारेन्द्र सिंह भंडारी--

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस बजट के सम्बन्ध में बोलने का अवसर दिया ।

मान्यवर, इस देश के तमाम नेताओं ने सदैव ही एक बात कही है कि ग्राम सभायें और ग्राम पंचायतें प्रजातंत्र की रीढ़ हैं और प्रजातंत्र की बुनियाद है लेकिन मान्यवर, वास्तविकता यह है कि आज इस देश के नेता इमारत को बिना बुनियाद बनाना चाहते हैं । आज हमारी ग्राम सभायें और ग्राम पंचायतें भंग हैं, कई वर्षों से उनके चुनाव नहीं हो पाये हैं, लेकिन अब शासन का ध्यान इस ओर जा रहा है । आज तक इस देश की इमारत बिना बुनियाद पर खड़ी की जाती रही और यह एक चिन्ता का विषय है । अगर आप सही मानों में ग्राम्य विकास करना चाहते हैं तो आपको ग्राम सभाओं को उनके प्रधानों को शक्ति प्रदान करनी होगी । आज की स्थिति में लोग ग्राम प्रधान बनना पसन्द नहीं करते । यह कितनी एक विडम्बना है कि प्रजातंत्र में लोक सभा के सदस्य के लिए, विधान सभा के सदस्य के लिये, जिला परिषद् के सदस्य के लिये, ग्राम सभा और पंचायतों के सदस्यों के चुनाव के लिए एक जमानत होती है । चुनाव के बाद लोक सभा सदस्य, विधान सभा सदस्य आदि की जमानत तो वापस हो जाती है, पर ग्राम प्रधानों से जुर्माने के तौर पर 20 रुपया और ग्राम सभा के सदस्य से 8 रुपया

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री नरेन्द्र सिंह भंडारी—]

लिया जाता है उसकी जमानत वापस नहीं की जाती । ऐसा क्यों ? आज इसलिए भी कोई ग्राम प्रधान बनना नहीं पसन्द करता क्योंकि आप उसे कुछ देते नहीं हैं ।

हमारे यहां पर्वतीय क्षेत्रों में क्षेत्र समिति की बैठक में भाग लेने के लिए एक ग्राम प्रधान को 100-100 किलोमीटर तक चल कर आना पड़ता है, पर उसे कोई टी0 ए0, डी0 ए0 नहीं मिलता, अगर आपका कोई छोटा सा कर्मचारी भी आता है तो उसे वह मिल जाता है । इन ग्राम प्रधानों की पत्नियों ने तो यहां तक कह दिया है कि अगर तुम ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ोगे तो हम तुम्हें तलाक देंगे । प्रधानों के ऊपर एक और भार लदा रहता है । जब भी कोई अधिकारी अपका जाता है तो उसे उनके रहने और खाने पीने का इन्तजाम करना पड़ता है । यह उसकी जिम्मेदारी होती है कि वह उसका इन्तजाम करे । अगर आप वास्तव में ग्राम्य विकास करना चाहते हैं तो आपको इतना सशक्त तो इनको बनाना ही होगा कि जिससे वे आसानी से अपना काम कर सकें । इसके लिए यह आवश्यक है कि कुछ धनराशि आप उनको खर्च के लिए दें ।

इसके अलावा इन ग्राम समितियों के पास अधिकार भी कोई नहीं दे रखे हैं, आपने । न वे किसी पर कोई जुर्माना कर सकते हैं, न ही कोई लड़ाई आदि का मामला सुन सकते हैं, न ही कोई अपना निर्णय दे सकते हैं । सरकार का यह कहना कि हम ग्राम्य विकास कर रहे हैं यह खाली ढोंग है । क्षेत्र समितियां भी इस तरह की हैं । उनमें भी लोग जाते हैं उनको टी0 ए0, डी0 ए0 नहीं दिया जाता है ।

माननीय मंत्री जी ने कहा कि हम क्षेत्र समिति के लिये एक क्षेत्र में जीप देने जा रहे हैं । पर खर्च के लिये जो धनराशि रखी गयी है, वह इतनी कम है कि उससे साल भर का खर्च जीप का चलाया ही नहीं जा सकेगा ।

एक बात मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे पर्वतीय क्षेत्र में किसी भी क्षेत्र समिति के पास 10 किलोमीटर भी सड़क नहीं है । आप अगर जीप दे देंगे और खर्च के लिये, पेट्रोल आदि के लिये पैसा नहीं देंगे तो वे किस काम की होंगी ? और इस तरह से यह विकास की आज हम बात करते हैं । मान्यवर, अभी मंत्री जी से हमने यह पूछा था कि पर्वतीय क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए क्या वह क्षेत्र समितियों को छोटी करेंगे, यहां क्षेत्र समितियों की दूरी 100-100 किलोमीटर पर है, जहां पर लोगों को पैदल चलना पड़ता है । मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वह बड़ी गम्भीरतापूर्वक इस विषय पर विचार करें और उन ग्राम प्रधानों पर दया करें, जो वहां के ग्राम प्रधान हैं । जैसे आज कहा गया कि त्वरित योजना शुरू हुई और उसके बाद श्रम के बदले में अनाज योजना शुरू हुई और आज ग्राम्य विकास योजना है । लेकिन जितनी सड़क इन योजनाओं में बनी हैं, आज उनका कोई रख-रखाव नहीं हो रहा है । मेरा एक सुझाव है कि जो ये सड़कें बनी हुई हैं, उनका पहले रख-रखाव कर दें ।

पेयजल योजना की बात मंत्री जी ने कही कि पेय जल योजना ग्रामीण अंचलों में होगी । यह पेयजल योजना जल निगम भी करेगा, ग्राम विकास विभाग भी बनायेगा । इसलिए मेरा सुझाव है कि जहां तक पेय जल योजना की बात है, एक ही विभाग इसको देखे । जहां तक सड़कों की बात है, सड़क विभिन्न योजनाओं में बनने के बाद यह निश्चित रूप से पी0 डब्लू0 डी0 को हैंड ओवर हो जानी चाहिए और इस तरह से पेयजल की योजना को भी एक ही विभाग को हैंड ओवर हो जाना चाहिए ।

मान्यवर, निर्बल वर्ग के विकास की जो बात आपने कही, अनुदान उन लोगों को मिला है, जिनके पास खुद ही पहले से भवन है। जिन लोगों को वास्तव में अनुदान मिलना चाहिये, उन लोगों को नहीं मिल रहा है। इसलिए मेरा सुझाव है कि आप कोई इस तरह की समिति बनावें, जो सर्वे करे कि कौन लोग ऐसे हैं कि जिनके पास भवन नहीं है और मान्यवर, एक सुझाव मैं और देना चाहता हूं। आज हम ग्रामीण क्षेत्रों के विकास की बात करते हैं, शहरी क्षेत्रों में थ्री स्टार होटल और बड़े-बड़े आवास गृह बने हुए हैं और ग्रामों में इस तरह की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है। मेरा सुझाव है कि कम से कम क्षेत्र समिति के मुख्यालय पर एक पंचायत भवन बनायें, ताकि वहां से आने वाले गरीब किसान और अन्य लोग जो क्षेत्र समितियों के कार्य से आते हैं, उनको रहने की सुविधा प्रदान हो सके। इन शब्दों के साथ में कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री—

माननीय उपाध्यक्ष जी, आपने मुझे ग्राम्य विकास और पंचायती राज मंत्री जी के प्रस्तुत किये हुये बजट पर अपना विचार व्यक्त करने का अवसर दिया है, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं। यह जो ग्राम्य विकास मंत्री महोदय की तरफ से बजट प्रस्तुत है, उसमें कई योजनाएं सम्मिलित हैं, उसमें एकीकृत ग्राम्य विकास योजना, राष्ट्रीय ग्राम्य रोजगार योजना, ग्राम्य विकास कार्यक्रम, निर्बल वर्ग आवास भवन निर्माण योजना, पेयजल योजना, नलकूप आदि जो योजनाएं हैं, ये गांव में बसने वाले उन लोगों के कल्याण के लिए हैं, जो बहुत साधारण स्थिति वाले हैं, उनके कल्याण के लिए ये योजनाएं निर्धारित की गई हैं, जिनमें उनके आवास के लिए और उनके आर्थिक उत्थान के लिए, उनको पानी पीने की समस्या के समाधान के लिए और उनको रोजगार आदि दिलाने के लिए ये सब योजनाएं लागू की गई हैं। ये योजनाएं जो लागू की गई हैं, इसको हमारे विरोधी पक्ष के साथियों ने कहा कि ये कल्याणकारी नहीं हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि आप जो अन्त्योदय कार्यक्रम की दुहाई दे रहे हैं यह अन्त्योदय कार्यक्रम ज्यों ही आप सरकार में आये इसको अन्त्योदय के नाम से चलाया। इसके पहले भी कमजोर वर्ग के लोगों के लिए, निर्बल के लिए, हरिजनों के लिये, कल्याण की विभिन्न योजनायें चल रही थीं और उनके द्वारा उनका अधिक से अधिक कल्याण हुआ था लेकिन ज्यों ही आपने अन्त्योदय के नाम एक कार्यक्रम चलाया उससे निर्बल वर्ग हरिजन भूमिहीन इतना असन्तुष्ट हुआ कि लोक सभा के चुनाव के तत्काल बाद जो सरकारें हमारे कांग्रेस को चला रही थीं और बहुमत में थीं उनको अवैध तरीके से भंग कर दिया और विधान सभाओं का चुनाव कराया। इसमें दो-ढाई महीने का अन्तर था। इतने समय के अन्दर गरीब, हरिजन निर्बल वर्ग के लोगों ने आपका साथ बिल्कुल छोड़ दिया। इसका मूल कारण यह था कि उनके कल्याण की जितनी बातें कह सकते थे आप कह रहे थे लेकिन उसका लाभ उनको नहीं मिल रहा था बल्कि आपकी कार्यकर्ताओं की तरफ से, शासन की तरफ से जितना शोषण किया जा सकता था, किया गया। बहकावे और भुलावे में लोगों को रखा गया। उनको आप भुलावा और बहकावा तो देते रहे लेकिन उनको कुछ दे नहीं सके। इसके प्रसंग में मैं खुद अपने गांव की एक बात बताना चाहता हूं।

[श्री संकठा प्रसाद शास्त्री--]

हमारे गांव में 5 लोगों को चुना गया अंत्योदय कार्यक्रम के अन्तर्गत लेकिन तीन साल की सरकार चली गई, लोगों का नाम सामने नहीं आया बल्कि उनको इस योजना के बहकावे और भुलावे में रखा गया। इसी तरह से गाय, भैंस, बकरी और सुअर तथा मुर्गी पालन के लिए 50 प्रतिशत देने की बात कही गई लेकिन निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि 50 प्रतिशत आपके कार्यकर्ताओं के, आपके समर्थकों और सहयोगियों के पास चला गया। उनको तो सारा का सारा कर्ज के रूप में ही मिला। इसी के साथ में एक बात और कहना चाहता हूं कि जिसके नाम से कर्ज दिया गया उनके दरवाजे पर गाय, भैंस नहीं बंधी बल्कि दूसरे के दरवाजे पर बंधी और जब वसूली की बात आयी तो वह गरीब बेचारा छटपटाता रहा।

जहां तक हमारी सरकार का सवाल है निश्चित रूप से एक कार्यक्रम बनाकर गरीबों और निर्बल वर्ग के लोगों का कल्याण करना चाहती है। लेकिन जो बात कही गई की उनके पास पैसा नहीं पहुंच पाता है, यह बात पूरी की पूरी सही नहीं है लेकिन इससे इंकार भी नहीं किया जा सकता है कि उसमें कोई कमी नहीं है। कमी इसलिए है कि नीयत और नियम का मेल नहीं बैठ पा रहा है। नियम तो सरकार ने बना दिया कि कमजोर वर्ग, भूमिहीन निर्बल वर्ग के लोगों का अधिकतम कल्याण किया जाय लेकिन उस नियम को लागू करने वाले जो अधिकारी हैं, वह उस नियम का पालन अपनी नीयत को जोड़कर नहीं कर रहे हैं। नतीजा यह निकल रहा है कि अनुदान या छूट का पैसा जिनके पास जाना चाहिए उनके पास नहीं पहुंच रहा है। बल्कि कर्ज का ही धन उनको मिल रहा है। ऐसी स्थिति में माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इसकी छानबीन करायें और इसकी देखरेख करायें कि सरकारी कर्मचारी क्या कर रहे हैं। जिले और ब्लाक स्तर के कर्मचारियों की देखरेख करें यदि छानबीन नहीं करेंगे कि कौन सी योजना पूरी कर दी गई कौन सी नहीं पूरी की गई, जब तक इसकी छानबीन नहीं होगी तब तक यह ठीक नहीं हो सकता है।

श्रीमन्, जिलों में जब बैठकें होती हैं हम लोग जाते हैं जिलाधिकारी अध्यक्ष बनकर बैठते हैं या सी0 डी0 ओ0 बैठता है हम लोग कोई गड़बड़ी बताते हैं तो उनको सुरक्षा का काम वह करने लग जाते हैं।

मान्यवर, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय अध्यक्ष ने कहा है कि जिलों में बैठकें विधान सभा के माननीय सदस्यों की अध्यक्षता में करायें, जिससे अधिकारी नीचे के कर्मचारियों की गड़बड़ी करने पर उनकी सुरक्षा को जो बातें करते हैं उस पर रोक लगाई जा सके।

इसके साथ ही मैं बजट का समर्थन करते हुए कहना चाहता हूं कि जनता पार्टी, लोकतन्त्र की दोहाई देती रही लेकिन यह चुनाव नहीं करा सकी और हमारी सरकार ने ग्राम पंचायतों, जिला परिषदों और क्षेत्रीय समितियों के चुनाव कराने का निर्णय लिया है और घोषणा किया है कि वह लोकतंत्र की रक्षा करेगी, जिसके लिए मैं बधाई देते हुए बजट का समर्थन करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र--

उपाध्यक्ष जी, मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करते हुए कुछ सुझाव आपके माध्यम से मंत्री जी को देना चाहता हूं। मान्यवर, समाज के जिस किसी

भी सतपुरुष ने दिशा देने की बात चुनी तो भारतीय समाज में उसका केन्द्र बिन्दु यह गांव ही रहे जिनके विकास के लिये यह बजट माननीय सदन में प्रस्तुत किया गया है। मान्यवर, मन्त्री जी ने अपने भाषण में बताया कि ग्राम विकास के सारे कार्य व्यवहारिक धरातल पर क्षेत्रीय समितियों के माध्यम से किये जाते हैं, और इन क्षेत्रीय समितियों का स्थानीय स्तर पर क्षेत्रीय विकास अधिकारी उत्तरदायी आ करता है। उसके सहयोगी अधिकारी, सहायक विकास अधिकारी, उसके मित्र होते हैं जो सीधे जिला मुख्यालय पर विभिन्न विभागों के जिलाधिकारियों के प्रति उत्तरदायी होते हैं, कोई प्रशासनिक पकड़ उनके ऊपर बी० डी० ओ० की नहीं होती है। इस लिये मैं मन्त्री जी को सुझाव देना चाहता हूं कि क्षेत्रीय विकास अधिकारियों को इक्जीक्यूटिव पावर आप दें जैसा कि बिहार में है जिससे प्रशासनिक पकड़ आपकी मजबूत होगी और देहातों में कार्य करने की एक नई दिशा प्राप्त होगी।

मान्यवर, क्षेत्रीय समितियों के गांवों की संख्या पुरानी है लेकिन आबादी बढ़ी है और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, ग्राम विकास अधिकारी एवं कार्यालय में काम करने वाले लिपिकों की संख्या में कोई बढ़ोत्तरी नहीं की जाती है किन्तु फौज बढ़ाई जा रही है अधिकारियों जैसे सी० डी० ओ०, डी० पी० ओ०, बी० डी० ओ०, डी० पी० आर० ओ० की जबकि यह अधिकारी गांवों से सीधा सम्बन्ध नहीं रखते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि यह अधिकारी गांवों में नहीं जाते हैं और अब तो ग्राम विकास अधिकारी भी आपका गांवों में नहीं जाता और शहर में रहना चाहता है। इसका मुख्य कारण है कि ए० पी० सी० स्वयं मन्डलों और जिलों में नहीं जाते हैं जिससे जिले के अधिकारी अपने कनिष्ठ अधिकारी को अपने वहां बुला लेते हैं क्योंकि आपका अधिकारी आश्वस्त है कि हमारे काम को देखने के लिये कोई वरिष्ठ अधिकारी गांवों में नही आयेगा जिससे वह बैठे-बैठे पेन्शन लेते हैं। जबकि कुछ वर्षों पहले शासन का आदेश था कि जिला अधिकारी, अतिरिक्त जिला अधिकारी कुछ निश्चित गांवों में जायेंगे और वहां के विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे और देखेंगे और उनके नाम से निरीक्षण की प्रगति की कार्य सूची आप तक भेजी जाती है, जो मिथ्या होती है।

मान्यवर, मुझे साहित्य मिला है जिसके पेज 24 को देखें। पंचायत कर की वसूली नवम्बर तक 40 परसेन्ट हुयी है। पूरे वर्ष में 4 करोड़ रुपये वसूल होने की आशा है और 30 मार्च तक पूरी वसूली कर ली जायेगी। तो यह जो धनराशि वसूल की गयी है, यह गांव के विकास के लिये वसूल करनी थी लेकिन गांव तो वहीं के वहीं खड़े हैं। उनके स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। कुछ लोगों के घर बन गये हैं जो स्वयं उनके पुरुषार्थ से बने हैं, इसमें शासन का कोई पुरुषार्थ नहीं है। हम बोल रहे हैं आपको सुझाव दे रहे हैं और आप मेरी आलोचना कर रहें हैं तो यह आलोचनायें तो चलती रहेंगी लेकिन वास्तविकता से परे हट कर हम कोई विचार करेंगे तो गांव के विकास की परिकल्पना मिथ्या ही रह जायगी। जनता पार्टी ने क्या किया गांवों को सड़कों से जोड़ा या मिट्टी का ढेर किया इस चीज को आप देखें, वह काम आज भी आपको दिखायी देंगे जो जनता पार्टी ने किये हैं। वह कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको सर से उतार कर कहीं दूर, दराज में रख दिया गया है। आपसे आग्रह करूंगा कि गांवों को सड़कों से जोड़े। गांवों को जब तक सड़कों से नहीं जोड़ा जायेगा,

[श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र--]

तब तक कृषि उत्पादन गांवों से निकल कर शहरों में जा कर उचित मूल्य नहीं पायेगा तब तक गांवों के निवासी खुशहाल नहीं होंगे और तब तक निश्चित रूप से देश और प्रदेश की तरक्की और प्रगति नहीं हो सकती है ।

सत्ता के विकेन्द्रीयकरण के स्वरूप की परिकल्पना की गयी थी । उस परिकल्पना के परिप्रेक्ष्य में गांवों को पहली इकाई माना गया है । लेकिन आज गांवों के प्रधान रिसेप्शनिस्ट बन कर रह गये हैं । अधिकारों से वंचित हैं, उनके सुझावों पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता । वह केवल अधिकारियों के स्वागतार्थ ही रह गये हैं । मैं एक अनुरोध करना चाहता हूं आप उसकी जांच करवा लें । जिला पंचायत राज अधिकारी, देवरिया जो हैं, वह पहले बी0 एल0 डब्लू0 थे । वह सहायक विकास अधिकारी हुये, कार्यकारी क्षेत्र विकास अधिकारी हुये और आज पंचायत राज अधिकारी के पद पर विभूषित हैं । पिछले 16, 17 सालों से देवरिया में हैं । मूल रूप से सहायक विकास अधिकारी के पद पर एप्रूव हैं । उनसे वरिष्ठतम 6 सहायक विकास अधिकारी जिले में हैं । पिछले 15 वर्षों से वह एक ही जिले में हैं और उनकी सेवायें ली जा रही हैं । उन्होंने उद्योगों का केन्द्र अपने बंगले के इर्द-गिर्द कर रखा है । सेवरही, हाटा पडरौना में जो उद्योग चलने चाहिये उन सारे उद्योगों को अपने बंगले के इर्द-गिर्द इकठ्ठा करके अनुचित लाभ उठा रहे हैं और यह लाभ उनको जनपद देवरिया से दूर जाने नहीं दे रहा है ।

श्री श्याम लाल बाजपेयी--

चिन्ता न करें, मन्त्री जी निर्बल के बलराम हैं ।

श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र--

मैं आपसे आग्रह करूंगा कि इसकी जांच करने की कृपा करें और वास्तविकता के आधार पर उनको उचित स्थान और पद पर नियुक्त करें । इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

श्री मुईद अहमद--

मान्यवर, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने ग्राम्य विकास के बजट पर मुझको बोलने का अवसर दिया है । मैं इस बजट का समर्थन करता हूं और कटौती का प्रस्ताव जो रखा गया है, उसका विरोध करता हूं और कुछ सुझाव स्वरूप अपनी बातें रखना चाहता हूं । मान्यवर, आज जो ग्राम्य विकास का बजट रखा गया है तो जैसा कि इसका नाम है वैसा ही काम होना चाहिए । यदि इस प्रदेश के ग्रामों का विकास नहीं होगा तो देश और प्रदेश का विकास नहीं होगा ।

श्री श्याम लाल बाजपेयी--

आपके सुल्तानपुर में तो काम ही काम हो रहे हैं ।

श्री मुईद अहमद--

मान्यवर, अगर लिस्ट में इनका नाम न हो तो नाम डालकर बुलवा दें नहीं तो हमको बोलने नहीं देंगे ।

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय बाजपेयी जी तो आपकी प्रशंसा कर रहे हैं ।

श्री मुईद अहमद--

मान्यवर, मुझे दिखाई नहीं पड़ा ।

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय बाजपेयी जी अपना चश्मा इनको दे दीजिये ।

श्री श्याम लाल बाजपेयी--

मान्यवर, इनके पास दिव्य दृष्टि है । यह सुल्तानपुर से आये हैं । तो सुल्तानपुर में सरकारी काम ही काम हो रहे हैं ।

*श्री मुईद अहमद--

मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि हमारे साथी ने मुझे यह बताया कि वहां काम हो रहा है । काम जहां भी हो, अच्छा हो, चाहे बाराबंकी में हो तो भी अच्छा है, इससे निर्बल वर्ग का, किसानों का उद्धार ही होगा ।

मेरा निवेदन था कि जैसी कि विधायक की जिम्मेदारी है कि हमें क्षेत्र के ग्राम में बसने वाले लोगों के रहन-सहन को ऊंचा उठाना है, तरक्की देनी है, हर प्रकार की व्यवस्था करनी है, इसी ध्येय को रखते हुये गांव के गरीब किसानों को, मजदूरों को उठाने की नीयत से यह सरकार नई-नई योजनायें बनाती है, इनके रहते चाहे वह एकीकृत ग्राम विकास योजना हो, चाहे राष्ट्रीयकृत ग्राम विकास योजना हो, ग्रामीण निर्बल वर्ग के आवास की योजना हो, सबका ध्येय यही है कि क्षेत्र के गरीब मजदूर, हरिजन, किसान जो भूमिहीन हैं, उनका सुधार हो, तरक्की हो, उनका जीवन स्तर ऊंचा उठे । सारी योजनाओं पर पैसा दे रहे हैं, सारी योजनाओं को लागू किया । अगर काम करने वाले इसको सही तरीके से देहात तक पहुंचा दें तो जरूर गांव का सुधार होगा, जिस पर देश का विकास निर्भर करता है ।

आज इस ग्राम विकास के बजट में जिला परिषद् है, ग्राम पंचायत है-- ग्राम पंचायतों के चुनाव के लिये मैं माननीय मंत्री जी को बधाई देता हूं । जनतंत्र की रीढ़ ग्राम पंचायतें हैं, ग्राम सभायें हैं, अगर उनका जनतान्त्रिक तरीके से चुनाव नहीं होगा तो सारी बातें अधूरी रह जाती हैं । जो ग्राम विकास की पद्धति है, और ग्राम विकास का जो जनतांत्रिक तरीका है कि चुनाव करा रहे हैं, ढाई साल पहले इलेक्टेड बाडीज थीं, जिला परिषद् थी ब्लाकों का कितना विकास हो रहा था, उनको जनतन्त्र पर हमला करके भंग कर दिया गया था ।

मैं उन विरोधी दल के साथियों को याद दिलाना चाहता हूं कि आप आज बैठकर अधिकारियों पर गुस्सा उतार रहे हैं । सबका भाषण रहा है कि यह योजनायें जो लागू की जा रही हैं, यही अगर अधिकारी ठीक रूप से देहात तक पहुंचा दें तो राहत किसानों को जरूर मिलेगी । जहां पर अधिकारियों के साथ जनता के प्रतिनिधि का दायित्व था, साझेदारी था कि जिला परिषद् में बैठकर अधिकारियों के साथ योजनायें बनाते, ब्लाकों में बैठकर ग्रामीण विकास

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री मुईद अहमद—]

की योजनाओं को कार्यान्वित कराते, उनको आपने भंग कर दिया और पूरी तरह से ब्यूरोक्रेसी को दे दिया कि लो जिला परिषद् सम्भालो, न्याय पंचायतें सम्भालो। यह आपने जो किया उससे अफसरशाही बढ़ी, निरंकुशता बढ़ी और सारी योजनायें खटाई में पड़ गईं।

आज इतनी अच्छी-अच्छी योजनाएं हैं कि अगर जनता के लोगों का प्रतिनिधित्व करके उन योजनाओं को अगर लागू किया जा सके तो निश्चित ही उत्तर प्रदेश के समस्त गांवों में विकास होगा, वे आगे बढ़ेंगे और लोगों को राहत मिलेगी। एक सुझाव देना चाहता हूं, एक योजना आज हमारे यहां एन0 आर0 ई0 पी0 की है, इसके अन्तर्गत 60 प्रतिशत लेबर कम्पोनेन्ट प्लान में आता है और 40 प्रतिशत मैटीरियल कम्पोनेन्ट है। इस बंटवारे से कि इतने प्रतिशत हम मैटेरियल में खर्च करेंगे और इतने प्रतिशत लेबर में खर्च करेंगे, इससे काम रुका हुआ है और वास्तव में व्यावहारिक तरीके से देखा जाय तो कहीं पर मैटेरियल की ज्यादा आवश्यकता है तो पैसा नहीं है, लेबर के लिए पैसा है, जब मैटेरियल के लिये पैसा नहीं होगा तो लेबर लगाने की आवश्यकता क्या होगी ? तो मान्यवर, यह अवरोध जो उत्पन्न हो गया है परसेन्टेज का कि इतना परसेन्टेज आप मैटेरियल का खर्च कीजिए, और इतना परसेन्टेज आप लेबर का खर्च कीजिये, तो इससे बहुत ज्यादा असुविधा हो गई है। मैं जानना चाहता हूं कि मैंने अपने जनपद की एक पुलिया स्वीकार कराया छोटी सी पुलिया है भूमाखाई ग्राम की जो कि स्वीकार हुई। वहां मैटिरियल कम्पोनेन्ट प्लान में पैसा पड़ा हुआ है पर लेबर के लिये पैसा नहीं है, तो काम नहीं हो पा रहा है।

श्री उपाध्यक्ष—

आपका समय समाप्त हो गया।

श्री मुईद अहमद—

इन्हीं शब्दों के साथ मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो आपने जिला परिषद् की ईकाइयों को भंग किया, उससे आपने जनप्रतिनिधि का हाथ हटाया उसे उससे ब्यूरोक्रेसी बढ़ी है। यदि आप जनता को साझेदारी में लगायेंगे तो निश्चित रूप से ग्राम्य का विकास होगा। इसके साथ ही मैं मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

श्री रुद्र प्रताप सिंह—

उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे कटौती के प्रस्ताव पर समर्थन में बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। सवाल यह है कि समय ऐसा आता है मनुष्य के जीवन में जिसे अंग्रेजी में मूड कहते हैं, तो बोलने के लिए मूड होना चाहिये। किन्तु—

श्री उपाध्यक्ष—

आप पंचात राज पर ही बोलिए। आपकी तकलीफ को हम चम्बर में दूर कर देंगे।

श्री रुद्र प्रताप सिंह—

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि मुझे बड़ी तकलीफ...

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, आपके चेम्बर में क्या कोई दवाखाना खुला है ?

(हंसी)

श्री रुद्र प्रताप सिंह--

कहना यह है कि अपने हिन्दुस्तान में कहावत है कि अपना हिन्दुस्तान कहां, को बसा, हमारे गांवों में ।

श्री श्याम लाल बाजपेयी--

मान्यवर, चैम्बर में तो होली का व्यायाम हो जायेगा ।

[समय 3 बजकर 5 मिनट]

श्री रुद्र प्रताप सिंह--

जब से हमारा हिन्दुस्तान आजाद हुआ तब से आज तक यह लाइनें उपयुक्त नहीं लग रही हैं । इसलिये कोई भी ऐसा काम हुआ हो तो मैं जानना चाहता हूं मंत्री जी से कि अपने शासन काल में, तीन वर्ष के बीच के अवरोध को छोड़ कर, गांव के हित के लिए आपने कौन से काम किये हैं । शहरों को छोड़कर गांवों के लिए आप बता दीजिए कि उससे वहां की आर्थिक स्थिति ठीक हुई है । मैं इस सम्बन्ध में दो बातें पूछना चाहता हूं कि आपकी जो प्रदेश की आबादी है उसमें 50 फीसदी जन संख्या औरतों की है । शहरों की बात मैं नहीं कर रहा हूं, शहरों के लिए आपने जो किया, वह किया । परन्तु गांवों की औरतों के लिए आपने क्या किया है क्योंकि गांव की औरतों के उत्थान में आपका विश्वास नहीं है । जबकि हमारे बापू यानी गांधी जी बराबर कहते थे कि देहातों में औरतें निरीह हैं परन्तु आपको उनके लिये कोई विश्वास नहीं है और न आपने उनके लिए कुछ किया ही है ।

मान्यवर, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि यह सरकार जो किसानों के हम-दर्दी का दम भरती है, महिलाओं के कल्याण की बात करती है, उसने किसानों और महिलाओं के लिए क्या किया है ? मुझे तकलीफ इस बात से बहुत ज्यादा है जैसा कि अभी माननीय सदस्य, श्री पंचानन राय जी ने कहा कि किसानों के लिए क्या नहीं किया गया, सड़कें बनी हैं । जब वे हमारे साथ थे उस समय वे कहा करते थे कि किसानों के लिये सरकार ने कुछ नहीं किया परन्तु आज उन्होंने कहा कि सड़कें इसीलिये बनाई गईं कि स्मगलिंग हो सके, गुण्डे बढ़ गये और बदमाश पैदा हो गये । आप ही मुझे बताइये कि आपने अपने शासनकाल में कितनी लम्बी सड़कें बनाई हैं ? चूंकि समय बहुत कम है, बहुत लम्बी बातें कहनी हैं इसलिए मैं अब नई बात पर आता हूं ।

अन्त्योदय स्कीम में गरीबों को हमने कुछ दिया लेकिन आज की स्थिति क्या है ? बी० डी० ओ० और पशु चिकित्सक, आपके जनपद बस्ती में एक मेला लगवाते हैं । देहात से किसान वहां तीन-तीन सौ रुपये व्यय करता है तब बैल, गाय, भैंस उस को मिलती है । यह जो स्पेशल कम्पोनेन्ट स्कीम है, उस को...

श्री उपाध्यक्ष--

वह मेला गोरखपुर शहर में लगता है ?

श्री रुद्र प्रताप सिंह—

कप्तानगंज में लगता है ।

एक सदस्य—

सिसवा में लगता है ।

श्री उपाध्यक्ष—

सिसवा में बैलों का बाजार कभी लगा करता था ।

(हंसी)

श्री रुद्र प्रताप सिंह—

हमारे यहां माधवापुर के पास से लेकर सरौरा तक एक बांध है । 27 प्रतिशत कटौती करके वहां के अधिकारी ने कहा कि पेमेन्ट हो गया । आधा किया गया और आधा रख लिया । मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं कि हमारे देवरिया जिले में आप जानकारी करा लें 30 प्रतिशत लोगों को मजदूरी नहीं मिली है, सरकारी खजाने में पड़ी है और उसको दिलाने की व्यवस्था करें । ऐसी व्यवस्था करें कि मजदूरों को मजदूरी मिल जाये ऐसा न हो कि बीच वाले लोग उसको ले लें ।

सबसे बड़ी समस्या युवक मंगल दल की है । मैं शपथ पूर्वक कहना चाहता हूं कि और आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं कि आपने कहा कि इन को हम खेल का सामान देते हैं लेकिन हमारे इलाके में, किसी गांव में 50 प्रतिशत गांवों में समान नहीं है । जिलाधीश को, एस0 डी0 एम0 को चिट्ठी लिखा कि मैदान बालकों को दे दिया जाय ताकि उनके उत्थान को कोई योजना बने लेकिन ऐसा नहीं हुआ । एक आर0 ई0 एस0 डिपार्टमेन्ट है । इसका काम हमारे देखने में तो ठीक है और भयभीत भी रहते हैं लेकिन इनके पास पैसा नहीं होता है । पुल बनवाना है, स्कूल, सड़कें बनवानी हैं, उनके पास फन्ड ही नहीं । तीन महीने से देवरिया में कोई इंजीनियर नहीं है । जब कोई इंजीनियर ही नहीं है तो विकास क्या होगा ?

भू-गर्भ जल सर्वेक्षण विभाग है । वहां के अधिकारी पदावनति किये जा रहे हैं । दिल्ली से जिनकी सेवायें हैं, दिल्ली से भेजे जा रहे हैं, इससे हमारे प्रदेश के अधिकारी और कर्मचारी एफेक्टेड होंगे । परिणाम यह होगा जो प्रदेशीय सेवा में लोग हैं वे आगे नहीं जा सकते इसलिए मैं इसका विरोध करता हूं । इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

*श्री सुन्दर सिंह—

आपने मुझे जो बजट के समर्थन में और कटौती के प्रस्ताव के विरोध में बोलने का अवसर दिया, मैं उसके लिए आपका आभारी हूं । मुझे याद आता है वह अपना देश जो बसा हमारे गांवों में । सभी लोग गांवों के विकास के बारे में कहते हैं लेकिन जब हम वास्तव में देखते हैं तो शहरों के अन्दर, नगरों में, बड़े-बड़े नगरों तक वह रुपया सीमित रह जाता है और जो बजट हम प्रस्तुत करते हैं गांवों के उत्थान के लिए, उनका बहुत सा हिस्सा उस तक नहीं पहुंच पाता है । हमारे महान नेता, पंडित जवाहर लाल नेहरू ने राष्ट्रीय निर्माण के लिए पंचवर्षीय योजना का विचार किया था और उस पंचवर्षीय योजना के माध्यम से देश के विकास के कार्यक्रम आरम्भ हुए । मान्यवर, यह कहना सही नहीं होगा कि

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

इस बीच कोई कार्य विकास सम्बन्धी नहीं हुआ है। आज देश बहुत सी चीजों के मामले में आत्म निर्भर हो गया है। जिस राष्ट्र के अन्दर एक सूई तक का निर्माण नहीं होता था आज आधुनिक टेक्निकल और विज्ञान के क्षेत्र में काफी प्रगति हुई है। आज जिन चीजों का निर्माण हमारे देश में हो रहा है उसके लिए हमारे माननीय नेताओं पर देश को गर्व है। जिस योजना के निर्माताओं ने

(व्यवधान)

मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि गांवों के विकास के लिए जो एजेंसी कायम हैं वे कौन सा ग्रामीण विकास का कार्य कर रही हैं ? जो लोग शहरों में पैदा हुए हैं, एयरकंडीशन मकानों में रहते हैं, जो गांवों की धूल व धरती को जानते तक नहीं, जो गांव की दूरी तक पहुंच नहीं पाते, ऐसे लोगों के जिम्मे गांव विकास की योजनायें सौंप दी जाती हैं।

श्री उपाध्यक्ष--

आप भी उस पीढ़ी को छोड़ते जा रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री सुन्दर सिंह--

मान्यवर, जो हमारे तमाम बड़े-बड़े अधिकारी हैं, जिनका जन्म गांवों में हुआ है जिनका गांवों से लगाव है और जिनको गांवों का अनुभव है ऐसे लोगों के जिम्मे गांव विकास का काम दिया जाय।

मेरा दूसरा सुझाव यह है कि ग्रामीण विकास के समस्त काम करने के लिए ग्रामीण जनता के उत्थान के लिए गांवों की आर्थिक संरचना के लिए ऐसी इनका स्ट्रक्चर बनावें जिससे गांवों का औद्योगिक विकास हो सके। उसका आधार यह होना चाहिये कि गांव के निर्धन लोग, एक सीमा से नीचे रहने वाले गरीब लोग, जिनको आजादी का कोई लाभ नहीं मिला, उनकी एक सीमा रेखा बना दें कि इस सीमा के अन्दर रहने वालों के लिए इतने समय के अन्दर, यह-यह कार्य पूरा कर दिया जाय, तभी आपका सपना साकार हो सकेगा। हमारे माननीय मंत्री जो एक प्रगतिशील मंत्री हैं, गांव के लोगों की भलाई के लिये अपने कल्पनाशील मस्तिष्क से जो यह संतुलित बजट पेश कर एक उदाहरण पेश किया है उससे गांवों का विकास अवश्य ही होगा। मान्यवर, गांवों के अन्दर एक योजना चलाई गई है जिसके लिए एक माननीय सदस्य ने कहा कि जनता पार्टी के शासन काल में यह योजना बनी थी। उस योजना से कितना अहित हुआ है और कितना जनता का हित हुआ है, इसमें मैं नहीं जाना चाहता। लेकिन हमें यह सोचना है कि जो योजना लागू की गई है, अगर सड़क पानी से बह नहीं गई है, दरिया ने उसे बहा नहीं दिया है तो उनकी संरचना की जाय, उनको फिर से बनाया जाय। इससे गांव के दूर दराज इंटीरियर तक लोग नहीं पहुंच पाते हैं, इन सड़कों के बन जाने पर दूर दराज तक गांवों में पहुंच पायेंगे।

गांवों के विकास के लिये इस डिपार्टमेंट को मजबूत किया जाय और इस डिपार्टमेंट को इस तरह से बनाया जाय कि जो जिम्मेदार हो, उसके ऊपर इस काम को सौंपा जाय तभी गांव के विकास का काम अच्छी तरह से हो सकता है। आज हम लोग जिला विकास ग्रामीण योजना की मीटिंग करते हैं। वहां मालूम

[श्री सुन्दर सिंह—]

होता है कि उस योजना के अन्तर्गत जो स्कूल बना वह बनने के एक दो माह के अन्दर ही गिर गया। इसका कारण यह है कि उनके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं डाली गई है। इसलिए ग्रामों को मजबूत किया जाय और हर पंचायत के अन्दर एक बड़ा उद्योग लगाया जाय। जिला स्तर पर योजना बने, प्रदेश स्तर पर योजना बने लेकिन गांव के विकास के लिये पंचायत उद्योग का विकास किया जाय और हर न्याय पंचायत के अन्तर्गत एक उद्योग की स्थापना की जाय। अगर एक उद्योग की स्थापना हर न्याय पंचायत में कर दी जाय तो उससे ग्रामों का विकास हो सकता है माननीय मंत्री जी का ग्रामीण विकास सम्बन्धी बजट बहुत ही सराहनीय है। इन शब्दों के साथ में इस बजट का समर्थन करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का घोर विरोध करता हूं।

*श्री केदार नाथ सिंह—

मान्यवर, समय में कटौती किये जाने के नाते केवल दो योजनाओं के सम्बन्ध में चर्चा करना चाहूंगा और उस पर सुझाव देना चाहूंगा। अनुरोध है कि माननीय मंत्री जी उस पर जरा ध्यान दें।

एकीकृत ग्राम विकास योजना पूरे प्रदेश में लागू की गई। इस योजना के अन्तर्गत सीमान्त और लघु कृषकों को छूट देने का प्राविधान है। जो सूची बनाई जाती थी, उसके अंदर किसान आते थे जिन्हें विकास के लिये एकीकृत ग्राम विकास योजना के अन्तर्गत छूट दी जाती थी। लेकिन अब पता नहीं कैसे आप के विभाग ने यह कर दिया है कि अगर हजार परिवार एक ग्राम्य विकास अधिकारी के क्षेत्र में है तो उनमें से केवल 35 को चयनित किया जायगा। इसके माने यह है कि वे चाहे अपना विकास करना चाहें या न करना चाहें लेकिन आप पहले ही चयन कर ले रहे हैं और जबरन लगता है उनका विकास करायेंगे। 35 चयनित कर लिये इस पर भी कि वे महसूस न करें कि पम्पिंग सेट लेना है या नहीं लेना है, उनका विकास कराना है या नहीं कराना है। आप क्या जबरन करेंगे? इसी तरह से मेरा यह दावा है कि सन् 1980-81 में इस योजना के अन्तर्गत जिन ब्लाकों को लिया गया था उन पर जितना व्यय हुआ इस मद में उससे भारी गिरावट इस वर्ष में आने वाली है।

मान्यवर, मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि ऐसा आप ने क्यों किया? लगता है कि आप किसानों को देने में कतरा रहे हैं क्योंकि जैसे विधान सभा के सदस्य हैं 425 सबको चिकित्सा आदि की सुविधा प्राप्त है। मान लीजिये आप कह दें कि 35 को ही चिकित्सा सुविधा दी जायेगी या दवा के लिये चयनित किया जायगा तो क्या आप उन 35 को जबरन बीमार बनायेंगे। मैं सुझाव देना चाहता हूं कि आप भले ही कह दें कि ग्राम विकास अधिकारी के अन्तर्गत केवल 35 लोगों को ही लिया जाय, बजट की कमी हो तो कह दें कि केवल 35 लोगों को ही हम अनुदान दे पायेंगे लेकिन यह कहना कि फलां 35 लोगों को ही हम देंगे ऐसा न होकर कोई भी 35 लोगों को दिया जाना चाहिये। इस तरह यदि ग्राम्य विकास अधिकारी के क्षेत्र के एक हजार परिवार के 35 लोगों का आप विकास करना चाहेंगे तो वे 35 आदमी निकल कर मैदान में खड़े हो जायेंगे और आपसे सहयोग प्राप्त करेंगे और अपना विकास कर लेंगे....

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री उपाध्यक्ष—

या पात्रता हटा ली जाय. . . .

श्री केदार नाथ सिंह—

पात्रता रहे। यह सुझाव आप को दे रहा हूं। इससे आपकी मर्यादा बढ़ेगी, आप की सरकार की मर्यादा बढ़ेगी।

मैं आपके माध्यम से मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी इस तरफ ध्यान दें। जरा ध्यान दें माननीय मंत्री जी। दूसरी चीज आपने क्षेत्रीय विकास के लिए तमाम परियोजनाओं का गठन किया। उन परियोजनाओं पर करोड़ों रुपया आपने लगाया है। बड़ी अच्छी बात है। आपकी भावना बड़ी अच्छी है। लेकिन उसका उपयोग हो पा रहा है कि नहीं। प्रशासक आपने नियुक्त किये हैं। प्रशासक, मान्यवर, कोई भी विधान सभा के सदस्य नहीं हैं और न तो कोई लोकतांत्रिक ढंग से चुनाव हुआ? प्रतिनिधि उस कमेटी में हैं। प्रशासक लोगों की लिस्ट भेज देते हैं उसमें जो आदमी होते हैं उनके कृपा के होते हैं। अनाप-शनाप खर्च होता है। इस तरह से कमेटी का गठन कर दिया गया है (लाल बत्ती होने पर)। मान्यवर, एक मिनट का समय और दे दें। यह हम लोगों के गांवों के विकास की बात है। मेरा सुझाव है कि गाँव की परियोजनाओं में माननीय सदस्यों का जो क्षेत्र पड़ता हो, उन कमेटियों में उनको रख दिया जाय। ऐसा होता है कि प्रशासन के आगे उनकी आवाज नहीं निकलती है। वे खरीदे हुये लोग रहते हैं और कमेटी में अनाप-सनाप ढंग से जो चाहते हैं पास कर लेते हैं।

मैं मंत्री जी को अपने यहां के एक ऐसे अधिकारी का उदाहरण देना चाहता हूं, वह वहां पर भैंस की तरह पल रहा है और लाखों रुपये इस तरह से खा रहा है। इसकी जांच कर ली जाय तो सब का पता चल जायेगा। उस अधिकारी ने जिसने कि अनियमित तरीके से 94-94 कर्मचारियों को एक-एक से दस-दस हजार रुपये लेकर उनको भरती किया है, हरिजनों का कोटा पूरा नहीं किया, प्रोन्नति रोकी रखी गई। इसी तरह के अनेकों भयंकर मामले हैं। 15 लाख रुपय का दुरुपयोग उस प्रशासक ने किया है। मैं गन्डक परियोजना की बात बता रहा हूं।

श्री बलराम सिंह यादव—

वे कौन अधिकारी हैं?

श्री केदार नाथ सिंह—

मैं चन्द्र भूषणधर द्विवेदी जी वहां के प्रशासक हैं, उनकी बात बता रहा हूं। मान्यवर, मेरा दावा है कि लाखों रुपये उसने खा लिये हैं और वहां का सारा विकास का काम उन्होंने अवरुद्ध कर दिया है,। 15 लाख रुपया एक मुश्त में खा लिया है। उसने कूलर खरीद लिया है, ट्रैक्टर खरीद लिया है, गोदरेज की आलमारी खरीद ली है और अनाप-सनाप खरीद करके सब रुपया खा लिया है। मेरा मंत्री जी से अनुरोध है कि इस चन्द्र भूषण धर द्विवेदी नामक भैंसे को अपने यहां बुलाकर खूंटे में बांध दीजिये।

श्री अनवार खां—

मोहतरम, आपने मुझे जो माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट के समर्थन में बोलने का मौका दिया है, उसके लिये मैं आपका शुक्र-गुजार हूं और तथ्यहीन कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं, साथ ही माननीय मंत्री जी के बजट का समर्थन करता हूं । मैं कुछ सुझाव भी माननीय मंत्री जी के सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं । मान्यवर, आज देहात में सबसे बड़ी समस्या पेय जल की है । मेरे क्षेत्र, अतरौली को गवर्नमेन्ट के सेन्ट्रल सर्वे कमेटी ने डार्क एरिया घोषित किया है । वहां पर आज से एक महीने के बाद पानी सूखना शुरू हो जायेगा और लोग परेशान हो जायेंगे । मेरा माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि वे इस तरफ एक विशेष अभियान चलावें और वहां पानी की व्यवस्था करावें । उसके अतिरिक्त वहां पर गांवों में खड़ंजा, नालियां और रोशनी का कोई प्रबन्ध नहीं है । मेरा क्षेत्र पिछड़ा हुआ क्षेत्र है । यहां पर आज तक कोई काम नहीं हुआ है । वहां पर कोई सम्पर्क मार्ग की व्यवस्था भी यहीं की गई है, जिससे एक गांव को दूसरे गांव से जोड़ा जा सके । मैं नहीं समझता कि मुझसे पूर्व के जो विधायक वहां के थे, उन्होंने क्या किया....

एक सदस्य—

मंत्री थे ।

श्री अनवार खां—

यदि वे मंत्री थे तो वे मदहोश थे, उनको होश नहीं था । मैं तो कहना चाहता हूं कि—

बे अमल चश्मे तर से क्या होगा
सिर्फ दर्द जिगर से क्या होगा,
दिल की हालत अगर नहीं बदली
अहतियाते नजर से क्या होगा ।

एक तरफ और मैं मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं । आज जो जिला परिषद् हैसियत का टैक्स लगता है, उसमें बड़ा घपला है । जो लोग टैक्स के काबिल नहीं हैं, उनको कार्यालय में बुलाया जाता है और तीन-तीन चार-चार तारीखें डाली जाती हैं । इससे लोग परेशान हैं और किसानों को सताया जा रहा है । दूसरी बात यह है कि जो वाकई में टैक्स लगाने के काबिल हैं, उनका असेसमेन्ट नहीं होता है । माननीय मंत्री जी इस ओर ध्यान दें । लोगों को खूनी पंजे से दबाया जा रहा है । इसके अतिरिक्त यह जो अंत्योदय योजना चल रही है गांवों में गाय, बैल और भैंस दिलाने के लिये बैंकों से रुपया दिलाने के लिये, लेकिन बैंकों से किसान को रुपया मिलने में बड़ी परेशानी हो रही है । धक्के खा-खा कर वह चला आता है, उसकी कोई सुनवाई नहीं है । मैं माननीय मंत्री जी से दरख्वास्त करूंगा कि इसकी तरफ गौर फरमायें और जो शरायत हैं, उनको ढीला करके लोगों को रुपया दिलाया जाय ।

मेरा एक और सुझाव है, जिला परिषदों के जो अस्पताल हैं, वह बड़ी जीर्णशीर्ण अवस्था में चल रहे हैं। मैं चाहूंगा कि हमारे अतरौला, जिला अलीगढ़ में जो मेरा क्षेत्र है, उसमें जिला परिषद् का कोई अस्पताल नहीं है। तो मेरे यहां एक या दो न्याय पंचायतों में अस्पताल की सुविधा करा दी जाय।

एक सबसे बड़ा मामला हमारे यहां नीम नदी बहती है, वह बहुत उथली हो गई है अगर उसका खदान नहीं किया गया तो इस बरसात में सैकड़ों बीघा जमीन, जिसमें फसल होती है, नष्ट हो जायेगी। इसलिये मेरा सुझाव है कि इस तरफ ध्यान दिया जाय। मेरे क्षेत्र में संपर्क मार्गों की तरफ विशेष ध्यान दिया जाय और जो खाद्यान्न योजनाओं में सड़कें बनी हैं, वह अधूरी पड़ी हैं, उनको पूरा किया जाय।

एक बात और कहना चाहता हूं हमारे यहां राम गंगा प्रोजेक्ट में कैनाल से नालियां बनाई जा रही हैं। इसके सम्बन्ध में हमारे यहां के बी० एस० ए० ने एक रिपोर्ट की है कि वहां पर एक इंस्पेक्टर है, जिसका नाम अमर सिंह है जो कि नालियां बना रहा है मैंने भी मौके पर जाकर देखा न वह सीमेन्ट लगा रहा है न ठीक से ईंट लगा रहा है, खेत की कच्ची फसल को काट रहा है अगर किसान कुछ कहता है तो वह अधिकारी गालियां देता है तो यह एक भ्रष्ट अधिकारी है जो किसानों का शोषण कर रहा है, उसकी रिपोर्ट बी० एस० ए० ने भी डिप्टी कलेक्टर को लिख कर भेजी है, लेकिन उस पर कोई असर नहीं होता है और उस रिपोर्ट पर भी कोई अमल नहीं हुआ है। चूंकि समय कम है मैं एक शेर पढ़कर समाप्त करता हूं--

कोई अगर न आये तो महफिल तड़प उठे,
एक दिल पर चोट आये तो हर दिल तड़प उठे,
मिल जुल कर जिन्दगी का तसब्बुर लिए हुए,
हम यों कदम उठायें कि मंजिल तड़प उठे।

मैं इन शब्दों के साथ माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

श्री हुकम सिंह--

एक और हो जाय।

श्री उपाध्यक्ष--

मंजिल तड़प गयी है, तो एक और सुना ही दीजिए।

श्री अनवार खां--

जो बीती है दिल पर सुनानी नहीं है,
यह मेरा अपना गम है कहानी नहीं है।

श्री गौरी शंकर एडवोकेट--

(श्री जनार्दन प्रसाद ओझा का नाम पुकारे जाने पर) मान्यवर, इतनी उठक-बैठक लगाने के बाद भी समय नहीं मिला।

श्री बिहारी लाल—

मान्यवर, कुमायूं के किसी विधायक को इस बजट पर बोलने का मौका नहीं मिला। यह दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि कुमायूं के विधायकों को बोलने का मौका नहीं मिलता है।

श्री उपाध्यक्ष—

श्री शिव नारायण सिंह जी को कल मैंने बुलवाया, क्या वह कुमायूं के नहीं हैं ?

श्री जसवन्त सिंह विष्ट—

उपाध्यक्ष जी पर्वतीय क्षेत्र का मैं एक मात्र सदस्य हूं। मैं पर्वतीय राज्य की बात कर रहा हूं और इस बात को मानता हूं कि जब तक हम इस प्रदेश के साथ जुड़े रहेंगे पहाड़ों का विकास नहीं हो सकता। इस बात को आप भी जानते हैं, इसलिए हमें मौका मिलना चाहिये।

*श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

मान्यवर, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि जिस नीयत से, जिस भावना से मैंने कटौती प्रस्ताव रखा ग्राम विकास के बजट के सम्बन्ध में, उसका उधर के बैठे हुये और इधर के बैठे हुये माननीय सदस्यों ने समर्थन किया। कुछ लोगों ने दबी जबान से किया, कुछ ने खुल कर किया। मुझे विश्वास है कि माननीय मंत्री जी, जो हर दिल अजीज मंत्री कहे जाते हैं, वे भी प्रकारान्तर में मेरे कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने में तो उनकी मजबूरी है, मेरी भावनाओं का आदर करके तथ्यों के आधार पर अपने विभाग को, जिनका नेतृत्व उनके कंधों पर है एक नया स्वरूप देने की कृपा करेंगे।

मैं कोई राजनैतिक भाषण तो नहीं दूंगा, लेकिन कुछ मित्रों ने कुछ कुरेदने का काम किया है, जिसमें उन्होंने जनता पार्टी के शासन, जनता पार्टी का राज और अन्त्योदय की बातों को उठाया। मैं माननीय सदस्यों को याद दिलाना चाहता हूं कि जनता पार्टी जब शासन में आयी तो हम लोगों का, जो समाजवादी आन्दोलन में विश्वास रखते हैं, एक नारा था कि मतदान की आयु 18 साल कर दी जाय। जब प्रदेश में और देश में इलेक्शन हुआ था तो यह हमारे मैनीफेस्टो में भी था और मतदाताओं की आयु सीमा कम करने में कुछ समय लगा था, जिसके कारण चुनाव नहीं हो पाये थे।

जिला परिषदों और क्षेत्र समितियों को निलम्बित करने का सवाल था, उसमें साफ लिखा हुआ है कि ग्राम सभाओं का कार्य क्षेत्र अलग, लेकिन क्षेत्र समितियों और जिला परिषदों का अलग, यह शासन की विवशता थी। मनोनयन के सम्बन्ध में भी यहां पर इशारा किया गया। मैं मानता हूं कि जिला परिषदों में मनोनयन किया गया, लेकिन निर्वाचित क्षेत्र के विधायक को चाहे वह जनता पार्टी का रहा हो, कम्युनिस्ट पार्टी का हो, उनको बुलाकर उनकी लिस्ट के अनुसार सारे जिला परिषदों का मनोनयन किया गया। यह हमारी राजनीतिक सूझबूझ का एक अच्छा सबूत है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मेरा ख्याल है कि सभी आदरणीय सदस्यों ने इस बात पर बहुत जोर दिया कि पंचायतों के अधिकारों को बढ़ाया जाय, उनको सक्षम बनाया जाय आर्थिक दृष्टि से और अन्य दृष्टि से भी । होता यह है कि जो भी अधिकारी वहां पर जाता है, वे उनका स्वागत करते हैं क्योंकि उनके हाथ में कोई पावर नहीं होती है । चौकीदार की बात को तो दरोगा मान लेता है लेकिन अगर हमारा ग्राम प्रधान उनके पास जाता है और अगर वह गांव के बारे में कोई राय देता है तो उसे नहीं माना जाता है । हमारे जो प्रधान हैं, उनका सस्पेन्शन एस0 डी0 ओ0 करता है । मेरी मांग है कि यह अधिकार पंचायत विभाग के किसी अधिकारी को होना चाहिए ।

मान्यवर, मेरे क्षेत्र में टेढ़वा गांव में एक प्रधान ने बंजर की 100 एकड़ जमीन हड़प ली है । माननीय मंत्री जी ने भी कहा है कि जो पट्टे हुए वे फर्जी हुए थे, उनके निरस्तीकरण करने की कार्यवाही की जा रही है लेकिन वह 4–5 साल से चल रही है । उसको एस0 डी0 एम0 ने बहाल कर दिया । अगर निलंबन के अधिकार पंचायत विभाग के अधिकारी को देकर एस0 डी0 एम0 से वह पावर ले ली जाय तो इससे जो पंचायत के सदस्य हैं, उनका मनोबल बढ़ेगा और विभागीय जो गड़बड़ी होती है, उसको रोका जा सकेगा ।

पंचायतों के नियमों को परिपालन करने के लिए और इफेक्टिव कन्ट्रोल के लिए और महात्मा गांधी के स्वप्न को साकार करने के लिए जनता पार्टी के शासन काल में श्री अशोक मेहता की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी । मान्यवर, अशोक मेहता एक अनडिस्प्यूटेड लीडर भारत में रहे हैं, वे प्रजा सोशलिस्ट पार्टी में रहे लेकिन उनको प्लानिंग कमीशन में डिप्टी चेयरमैन बनाया गया, यह उनकी इन्टेग्रेटी का प्रमाण है । उन्होंने पूरे प्रदेशों की पंचायतों की कार्य प्रणाली, परेशानियों और विवशताओं का अध्ययन करके एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी । मेरी माननीय मंत्री जी से प्रार्थना है कि वे इसको भी देख लें और अगर उसको लागू कराने के लिए कोई कारगर कार्यवाही कर सकें तो पंचायतों का बहुत बड़ा कल्याण होगा और प्रदेश को भी एक नयी दिशा मिलेगी । यहां पर कहा गया कि चुनाव का नोटीफिकेशन हो गया है दो–दो सौ मतदाताओं के नाम वोटरलिस्ट से निकाल दिया गया । मुरादाबाद जिले का एक मामला है । मुरादाबाद में एक पदिया ब्लाक, नगला भगतपुर है जहां लोग 4–4 बार वोट डाल चुके हैं, पर इस बार वोटर लिस्ट से उन लोगों के नाम लेखपाल और प्रधान ने मिलकर कटवा दिए हैं । 19 तारीख नामिनेशन की लास्ट डेट है, कैसे उसको ठीक किया जा सकेगा। माननीय मंत्री जी इसे दिखवा लें और इसके लिए कोई कार्यवाही करने की कृपा करें ।

यह सरकार हरिजन की हिमायती है और यह समझती है कि वे हमारे वोट बैंक हैं । जो भी काम सरकार करती है उसमें हरिजनों का नाम पहले लेती है । पर जिस तरह से लोक सभा चुनाव में, विधान सभा के चुनाव में, इन हरिजनों के लिए आरक्षण है, उसी प्रकार से ग्राम सभाओं में, क्षेत्र समितियों में, उनके प्रधानों के लिए कोई आरक्षण हरिजनों के लिए नहीं है । इससे यह स्पष्ट है कि यह सरकार वाणी से तो हरिजन भक्त है पर कर्म में हरिजन भक्त नहीं है । मेरा निवेदन है कि इन प्रधानों के चुनाव में भी, क्षेत्र समिति और ग्राम सभाओं में भी, हरिजनों का आरक्षण होना चाहिए । इस मामले में भी आपकी नीति स्पष्ट होनी चाहिए ।

[श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--]

एक बात की ओर और मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं। इस पंचायती राज विभाग पर आपने 5 करोड़ रुपया खर्च के लिये मांगा है पर इसमें से एक करोड़ रुपया तो उन योजनाओं के लिये है जो आपके इस विभाग के पास है तथा 4 करोड़ रुपया आप इन योजनाओं को लागू करने वाले प्रशासनिक ढांचे पर खर्च करेंगे, यह एक विडम्बना की बात है, इसे आप देखने की कृपा करें

नवयुवकों को रोजगार देने के लिये आपकी एक ट्राइसेम योजना है जिसके लिये मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। पर इसमें एक चीज की ओर मैं विशेष रूप से ध्यान दिलाना चाहता हूं। जिन लोगों का प्रशिक्षण होगा उनको बैंक से लोन मिलेगा। पर यह लोन उनको इसलिये नहीं मिल पायेगा क्योंकि बैंक वाले उनसे पहले हैसियत का सार्टिफिकेट मांगते हैं। पहले जो अन्त्योदय योजना बनी थी उसमें और इसमें यही फर्क है कि उसमें जिन लोगों को पैसा दिया उनसे हैसियत का सार्टिफिकेट नहीं मांगा गया, इस योजना में उनसे हैसियत का सार्टीफिकेट मांगा जाता है। आई0 आर0 डी0 योजना में भी हैसियत का प्रमाण-पत्र देना पड़ रहा है। इसलिए इस योजना की सफलता में यह चीज बाधक हो रही है, इसे भी आप कृपया देख लें।

इसके अलावा, जनता पार्टी के शासन में अन्त्योदय योजना के अन्तर्गत जो पैसा दिया गया था वह सारा पैसा जिला परिषदों को दे दिया गया था और उनको अधिकार दिया गया था उसके खर्च करने का। उसको बैंक से देने का अधिकार नहीं था। जब से बैंक से देने की बात शुरू हुई, यह योजना खटाई में पड़ गई। उनके अपने कायदे कानून होते हैं और वे हमारी संस्तुति को बिलकुल नहीं मानते हैं। हमको याद है जनता पार्टी के शासन में एक बात आई थी, कैबिनेट ने तय किया था कि जिनके मकान बाढ़ में गिर गए हैं, उनको 4 परसेन्ट ब्याज पर बैंक लोन देगा। इसमें प्रश्न भी हुआ था कि क्या सरकार बतायेगी कि बैंक ने कोई इस सम्बन्ध में लोन दिया ? तो उसमें उत्तर आया था कि कोई लोन नहीं दिया गया।

मान्यवर, जो युवकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है, यह बहुत अच्छा हुआ है, लेकिन उस प्रशिक्षण से उपयोगिता क्या है जब कि उससे उसको एक पैसा भी नहीं मिल रहा है ? दूसरी बात मैं इस संदर्भ में यह कहना चाहता हूं कि जो आई0 आर0 डी0 से जो पैसा छोटे उद्योगों को मिल रहा है, उससे कितने छोटे उद्योग लगाए गए ? जो छोटे उद्योग हैं, वह बड़े उद्योगों को कम्पटीट नहीं कर सकते हैं। जनता पार्टी के शासन ने यह निर्णय किया था कि यह जो आइटम्स हैं, यह केवल स्माल स्केल इंडस्ट्रीज के लोग ही लगायेंगे। लेकिन फिर भी जो काम इन्होंने शुरू किया, इनको कच्चा माल नहीं मिलता, कच्चा माल अगर किसी तरह से मिल भी जाय, तो पक्के माल का मारकेट भी नहीं है। तो जो आई0 आर0 डी0 स्कीम में जो सामान बनेगा, उसकी गारंटी सरकार को लेनी पड़ेगी। अगर यह गारंटी सरकार नहीं ले सकती है तो इसका कोई इफेक्ट समाज पर नहीं पड़ेगा।

इसी संदर्भ में एक और निवेदन करना चाहता हूं। एक छोटे से भ्रष्टाचार का उदाहरण आपको दे दूं। इस पत्रिका को मैंने पढ़ा है, जो आपने टिप्पणी दिया है, पेज 25 में विभागीय कार्यक्रमों की गतिविधियां, पंचायती राज दर्शन, हिन्दी मासिक पत्रिका का प्रकाशन यह हो रहा है आपके हिसाब से 75 हजार, मैं नहीं समझता कि किसी भी ग्राम सभा में यह पत्रिका गई। क्या यह 75 हजार छपती है या नहीं छपती है ? अगर नहीं छपती है, तो इसके लिए धन जो जा रहा है, वह कहां जा रहा है, ? और फिर एक प्रेस भी आपका तालकटोरा में है,

उसका उपयोग आप कर सकते हैं। ये जो चीजें हैं, इनकी ओर आपका ध्यान में आकर्षित करना चाहता हूं।

इसी तरह से मैं एक निवेदन और करना चाहता हूं अपने स्वार्थ के लिए। यह जो ब्लाक को गाड़ियां होती हैं, कुछ ऐसा निर्देश दे दिया जाय, बेशक कंस्टीट्यून्सी एलाउन्स 500 रुपया कम हो जाय, लेकिन ब्लाक को गाड़ियों पर उतना ही नियंत्रण हो, जितना नियंत्रण वहां के लोगों का है। तो इस तरह का निर्देश जिलाधीश को देना चाहिए। इससे यह होगा कि जो जनप्रतिनिधि हैं, वह जो ग्राम्य विकास के कार्यक्रम हैं, उसमें वह आसानी से कार्य कर सकेंगे और उनको अपना अंजाम देने में सुविधा होगी। मान्यवर, इन शब्दों के साथ मैं फिर आदरणीय सदन के सभी सदस्यों का आभारी हूं, चाहे वह इधर बैठे हों, चाहे उधर बैठे हों, जिन्होंने मेरे कटौती के प्रस्ताव का समर्थन किया। जो भी यह पैसा, भारी धनराशि, जो प्रदेश के करोड़ों गरीबों की है, उनके खून-पसीने की कमाई का जो पैसा है, अगर आप यह कर सकते हैं कि उनका एक-एक पैसा उनके लिए लगेगा तो मेरे जैसा आदमी कटौती का प्रस्ताव लाने की चेष्टा न करता।

ग्रामीण क्षेत्रों में जो समितियां बनायें, यदि उसमें क्षेत्रीय विधायकों को मेम्बर नहीं बनाया जायगा, तो फिर उसका मूल थीम जो है, कम्युनिटी डेवलपमेंट का वह कहां पूरा हो रहा है ?

अन्त में आखिरी बात जो सबसे जरूरी है कहता हूं मान्यवर, बी0डी0ओ0 को सक्षम अधिकारी बनाया जाय। जब तक टीम लीडर की हैसियत से काम करने का अधिकार नहीं दिया जायेगा तब तक सारी योजनायें फेल रहेंगी। ब्लाक का सारा स्टाफ चाहे वह एग्रीकल्चर का हो, चाहे ग्रामीण अभियन्त्रण का हो, सबके ऊपर बी0 डी0 ओ0 का कन्ट्रोल होना चाहिये और उन सबको बी0 डी0 ओ0 के साथ कोआर्डीनेशन के साथ उनके नियंत्रण में काम करना चाहिये। अन्त में मैं अपनी बात समाप्त करते हुये निवेदन करूंगा और मुझे विश्वास है कि मैंने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है, उसको यह सदन स्वीकार करेगा और जनतंत्रीय इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ने का काम करेगा।

श्री बलराम सिंह यादव--

मान्यवर, मैं सम्पूर्ण उन माननीय सदस्यों को, जिन्होंने आज इस लम्बी बहस में भाग लिया है और सुना और खासकर उनको जो शान्तिपूर्वक बैठे हैं और उन्होंने गम्भीरता से मनन व अध्ययन किया है और सारी बातें सुनी हैं, उन सभी माननीय सदस्यों को, दोनों पक्ष के सदस्यों को धन्यवाद देना चाहता हूं।

मान्यवर, इस लम्बी बहस के दौरान में यह समझता हूं बहुत ही उपयोगी सुझाव दोनों तरफ के माननीय सदस्यों ने पेश किये हैं। मैं उन सुझावों का स्वागत करता हूं और मेरा प्रयास यह होगा कि जो सुझाव अच्छे हैं उन पर निश्चित ही मैं विचार करूंगा। मान्यवर, कुछ माननीय सदस्यों ने आलोचना भी की है। माननीय सदस्यों का यह मौलिक अधिकार है और वह आलोचना सही

[श्री बलराम सिंह यादव--]

भी हो सकती है, कुछ ऐसा है कि सही तथ्य उनके पास नहीं हैं। आलोचना गलत भी हो सकती है लेकिन मैं यह समझता हूं कि आलोचना के जरिये से, सुझाव के जरिये से आपने जो बातें रखी हैं, मैं उन सभी का स्वागत करता हूं। मान्यवर, कुछ बिन्दु माननीय सदस्यों ने उठाये हैं मैं यह समझता हूं कि उनको एक-एक करके बता दिया जाय।

सबसे पहले मैं सम्पूर्ण सदस्यों का, जिन्होंने पंचायतों के चुनाव, क्षेत्र समितियों के चुनाव और जिला परिषदों के चुनाव सरकार द्वारा कराये जाने के निर्णय का स्वागत किया है, उन्हें धन्यवाद देता हूं। मान्यवर, 1977-78 में चुनी हुयी क्षेत्र समितियां, जिला परिषदों को भंग कर दिया गया और लोकतंत्र के ऊपर एक करारा प्रहार किया गया। हमारी सरकार ने पंचायतों से लेकर जिला परिषदों के चुनाव कराने का फैसला किया है और चुनाव प्रक्रिया पंचायतों की शुरू हो गई है। इस वर्ष के अन्त तक जिला परिषदों का गठन विधिवत् कर दिया जायेगा। माननीय ओझा ने काफी जोर देकर कहा कि खंड विकास अधिकारी को सक्षम बनाया जाय। उनको और अधिकार दिया जाय और जो अन्य दूसरे विभाग के अधिकारी हैं उन पर भी उनका नियंत्रण रखा जाय और उनको अधिकार दिया जाय। इस सम्बन्ध में सरकार विचार कर रही है उनका सुझाव अच्छा है मैं इस पर निश्चित रूप से विचार करूंगा। मान्यवर, जिलों में विकास अधिकरण समिति का अध्यक्ष जिलाधिकारी होता है और माननीय सदस्य उस अधिकरण के सदस्य होते हैं।

माननीय लोक सभा और राज्य सभा के सदस्य उसके सदस्य होते हैं लेकिन मान्यवर, भारत सरकार का जो जी0 ओ0 है उसके अनुसार जिला में ग्राम विकास अधिकरण की स्थापना की गयी है और उसका अध्यक्ष जिलाधिकारी होता है। मान्यवर, जो माननीय सदस्यों ने सुझाव दिया है मैं उस पर विचार करूंगा और इस पर परीक्षण कराऊंगा और जो भारत सरकार से हमारी इस सिलसिले में बात होने वाली है, उसमें मैं आपकी भावनाओं को रखूंगा और उनको पूरा कराने का प्रयास करूंगा।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं कि अभी मन्त्री जी ने कहा कि ग्राम विकास अधिकरण का अध्यक्ष गैर सरकारी व्यक्ति को बनाने का प्रयास करेंगे। तो मैं मन्त्री जी को याद दिलाना चाहता हूं कि आदरणीय सदन का मत हो गया है और सरकार की तरफ से निर्देश जारी होगा कि सरकारी व्यक्ति अध्यक्ष नहीं होंगे। तो इसमें विचार करने की क्या बात है? आप यह कहें कि केन्द्रीय सरकार से बात करके परिवर्तन ही करायेंगे।

श्री बलराम सिंह यादव--

मान्यवर, हम केन्द्रीय सरकार से बात करेंगे और आपकी भावनाओं को वहां रखेंगे। जहां तक केन्द्रीय सरकार को इस सिलसिले में निर्देशित करने की बात है तो वह मैं नहीं कर सकता हूं लेकिन आपकी भावनाओं को रखूंगा।

मान्यवर, प्रदेश के लगभग 12 बड़े जिलों में सी0 डी0 ओज0 की नियुक्तियां की गयी हैं जिसके बारे में माननीय सदस्यों ने कहा कि उनकी

नियुक्तियां अनुचित और अनुपयोगी हैं। इस सिलसिले में मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह सी0 डी0 ओज0 सिर्फ 12 बड़े जनपदों में नियुक्त किये गये हैं, जो मुख्य दो काम देखते हैं। एक तो जिला परिषद् के मुख्य अधिकारी के रूप में और दूसरे जिले के ग्राम विकास अधिकरण में परियोजना निदेशक के रूप में। जो रिपोर्ट आयी है उसमें जहां सी0 डी0 ओज0 नियुक्त हैं, वहां महत्वपूर्ण योजनाओं में अन्य जिलों की अपेक्षा प्रगति अच्छी रही है। चूंकि वरिष्ठ अधिकारी होने से बैंकों के कोआर्डिनेशन की समस्या सफलता से सुलझाई जा रही है।

मान्यवर, माननीय ओझा जी ने सुझाव दिया है कि ग्राम्य विकास और समन्वय निदेशालय की स्थापना प्रदेश में शीघ्रातिशीघ्र कर दी जाय। आपने यह भी कहा है कि ग्राम्य विकास अधिकारी और खंड विकास अधिकारी, उनकी कुछ मांगे हैं उनपर भी शीघ्रातिशीघ्र निर्णय लिया जाय। मान्यवर, इस सिलसिले में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह सम्पूर्ण मामला मंत्रिमंडल में निर्णयार्थ लिया जा रहा है। मंत्रिमंडल के लिये टिप्पणी बन चुकी है। हमें आशा है कि शीघ्र ही उचित निर्णय इन तीनों मामलों पर ले लिया जायगा।

मान्यवर, जिला परिषदों और पंचायतों को सशक्त बनाने हेतु और अधिकार देने हेतु कई माननीय सदस्यों ने अपने सुझाव दिये हैं। मैं भी उनके सुझाव से व्यक्तिगत रूप से सहमत हूं और मैं समझता हूं कि जिला परिषदों को और पंचायतों को विकास का एक सशक्त माध्यम बनाया जाय। मान्यवर, यह सुझाव भी बहुत अच्छा है और इस पर भी सरकार सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी।

बायोगैस का काम ग्राम्य विकास विभाग को देने के सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में भी मंत्रि परिषद् के लिये टिप्पणी बन चुकी है और शीघ्र ही यह मामला भी मंत्रिमंडल के निर्णयार्थ जाने वाला है। जो कच्ची सड़कें खाद्यान्न योजना एन0 आर0 ई0 पी0 में हमारे प्रदेश में बनायी गयी हैं, उनके पक्का करने के बारे में बहुत से माननीय सदस्यों ने अपने सुझाव दिये हैं। मैं जो उन्होंने मांग की है उससे व्यक्तिगत रूप से सहमत हूं इसलिये कि जो हजारों किलोमीटर कच्ची सड़कें बनी हैं अगर उनको पक्का नहीं किया गया तो सारा का सारा हमारा धन बेकार हो जायगा जो उन पर लगा है। भारत सरकार की भी ऐसी नीति है और उनका निर्देश है और हमारी प्रदेश की सरकार ने भी यह फैसला किया है कि जो कच्चे मार्ग हैं, उनको स्थायी परिसंपत्ति बना दिया जाय।

माननीय सदस्यों ने विभाग में भ्रष्टाचार की बात भी कही। यह भी कहा कि विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों पर शासन की पकड़ ढीली है और अफसरशाही हावी है। इस सम्बन्ध में मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि वर्ष 1980-81 में खन्ड विकास अधिकारियों, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा के अधिकारियों, लघु सिंचाई विभाग के अधिकारियों के खिलाफ, जो सूचना उपलब्ध है, उसके अनुसार जो एक्शन लिए गए हैं, उनके बारे में निवेदन करना चाहता हूं। खन्ड विकास अधिकारी 8 निलम्बित किए गए, 14 के खिलाफ विभागीय कार्यवाही चल

[श्री बलराम सिंह यादव—]

रही है, सहायक विकास अधिकारी में 4 का प्रत्यावर्तन कर दिया गया है और 12 के खिलाफ विशेष प्रतिकूल प्रविष्टि दी गई है। ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा में 2 अधिशासी अभियन्ता निलम्बित किए गए हैं और 19 अवर अभियन्ता निल—

[समय 4 बजे अपराह्न]

म्बित किए गए हैं, अधिशासी अभियन्ताओं को चेतावनी दी गई है, 6 सहायक अभियन्ता और 2 अवर अभियन्ताओं को प्रतिकूल प्रविष्टि दी गई है। 3 अधिशासी अभियन्ता और 2 अवर अभियन्ताओं को विशेष प्रतिकूल प्रविष्टि दी गई है और 2 अधिशासी अभियन्ता अपने मूल विभाग को प्रत्यावर्तित कर दिए गए हैं। लघु सिंचाई विभाग में 3 अभियन्ता निलम्बित किए गए, 2 सहायक अभियन्ता निलम्बित किए गए एक सहायक अभियन्ता को प्रतिकूल प्रविष्टि दी गई। जो शासन के पास शिकायतें आती हैं, उस पर निश्चित रूप से शासन की तरफ से प्रभावी कदम उठाया जाता है। कई मामलों में हमारे विरोध पक्ष के मा0 सदस्यों ने शिकायतें लिखकर दी हैं, उस पर भी मैंने प्रभावी कार्यवाही की है और उस पर भी कई कर्मचारियों और अधिकारियों के खिलाफ एक्शन्स लिए गए हैं।

(इस समय 4 बजकर 1 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

मा0 सदस्यों ने यह कहा है कि आई0 आर0 डी0 की जो उन्नति है, वह धीमी है। मैं उनकी राय से सहमत हूं मगर हम सब जानते हैं कि हमारे प्रदेश में ग्राम विकास अधिकारियों और खन्ड विकास अधिकारियों की लगातार "वर्क टू रूल" उनका चला और कोई काम उन लोगों ने आई0 आर0 डी0 का नहीं किया। हमारी बात हुई उन अधिकारियों से और हमारी बातचीत के बाद अभी एक महीना हुआ होगा, उन्होंने अपनी स्ट्राइक खत्म कर दी है और इस आश्वासन के साथ खत्म की है कि हमारा जो लक्ष्य है, उसे 31 मार्च तक पूरा कर देंगे। हमें उम्मीद है और पूरा भरोसा है उन अधिकारियों पर जिन्होंने कि आश्वासन भी दिया है कि 31 मार्च तक आई0 आर0 डी0 का लक्ष्य वे पूरा कर देंगे।

श्री केदार नाथ सिंह—

एक चीज पूछना चाहता हूं अभी इस पर चर्चा हुई, कहा यह गया कि पहले ही 25 परिवारों को, यह 35 परिवारों को चयनित कर रहे हैं और उनको ऋण दिया जायगा। मैंने यह सुझाव दिया था कि आप 25 व्यक्तियों को चयनित तो कर दें नाम न दें, उन क्षेत्रों में जो कोई 25 परिवार चाहे ले सकते हैं।

एक सदस्य—

इस विषय में आप चेम्बर में आकर बात कर लें, मन्त्री जी को अपना भाषण देने दें।

श्री बलराम सिंह यादव—

आज मा0 सदस्यों ने यह कहा है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों का कोटा विभाग में प्रोन्नति में, और सेवाओं में पूरा होना चाहिए

इस सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहूंगा कि अभी लगभग एक माह पहले ही प्रथम श्रेणी के लिए विभागीय अधिकारियों की प्रोन्नति हुई थी, उसमें अधिकारियों का कोटा पूरा नहीं था, अतः सम्पूर्ण अधिकारी अनुसूचित जाति के ही प्रोन्नत किए गए हैं और आदेश भी दे दिए गए हैं कि प्रोमोशन का कोटा चाहे भर्ती का कोटा हो, उसको निश्चित रूप से विभाग के अन्दर पूरा किया जाय ।

मान्यवर, महिलाओं के शौचालय की बात बड़े जोरदार शब्दों में मोती लाल देहलवी ने कही थी । तो मैं इस सम्बन्ध में निवेदन कर देना चाहता हूं कि 1982–83 में 3, 360 महिला शौचालय पी0 आर0 ए0 टाईप के बनाने की योजना है और इसके लिए 2.26 लाख रुपये की धनराशि का बजट में प्राविधान भी किया गया है ।

एक सदस्य ने पंचायतराज, देवरिया के लिए कुछ बातें कहीं, तो उस सम्बन्ध में मैं उन्हें भी जानकारी देना चाहता हूं कि पंचायतराज, देवरिया के लिए जो बात उठाई गई थी तो उन्हें भी वहां से किसी भी स्थानीय व्यवस्था में नियुक्त किए जाने के निर्देश पहिले ही भेज दिए गए हैं ।

मान्यवर, चन्द्रभूषण गर्ग, गन्डक अधिकारी के विषय में जो यहां पर बात की गई है तो मैं इस सम्बन्ध में उन माननीय सदस्य से चाहूंगा कि वह इनके सम्बन्ध में लिख करके उनकी शिकायतें दे दें, मैं शीघ्रातिशीघ्र उस पर कार्यवाही करा लूंगा । मान्यवर, एक बात और श्री ओझा जी ने कही कि वोटर लिस्ट के बारे में कहीं–कहीं पर शिकायतें बता रहे हैं कि कुछ वोटरों के नाम लिस्ट में नहीं हैं, उन्हें काट दिया गया है । मान्यवर, मैं यह बता दूं कि चुनाव की एक प्रक्रिया होती है, वोटर लिस्ट छपती है, सार्वजनिक दृष्टि के लिए वह होती है पूरी लिस्ट । तो मान्यवर, उस समय तो हम जागरूक नहीं हैं तो इस समय इसकी शिकायत करना मुनासिब नहीं मालूम पड़ता है ।

श्री रियासत हुसैन––

वोटर लिस्ट दिखाई कहां गई ?

श्री बलराम सिंह यादव––

अगर जैसा कि आप कह रहे हैं उसका प्रकाशन नहीं हुआ था मैं समझता हूं कि आपको मेरे पास उस समय शिकायत करनी चाहिए थी कि फलां ब्लाक में वोटर लिस्टों का प्रकाशन नहीं हुआ है, तो उसे हम उस समय देख लेते ।

श्री रियासत हुसैन––

आपके इलेक्शन आफिस से खबर होती है कि इस ब्लाक में लिस्टें रख दी गई हैं, परन्तु लिस्टें न ब्लाक में और न तहसीलों में दिखाई गयीं । जो लोग मजबूत थे और डंडे के बल पर जोर दिखा सकते थे, उनको भले ही दिखा दी गई हों परन्तु साधारण रूप से वह नहीं दिखाई गई विशेष रूप से मुरादाबाद में आप इसकी जांच करवा लें कि पदिया नगला गांव, अगरपुर ब्लाक, तहसील मुरादाबाद में वोटर लिस्टें नहीं दिखाई गयीं ।

श्री बलराम सिंह यादव--

मान्यवर, इन्हीं शब्दों के साथ में पुनः सभी माननीय सदस्यों का चाहे वह पक्ष के हों या चाहे विपक्ष के हों सभी का बड़ा अनुग्रहीत हूं। अन्त में मैं माननीय ओझा जी से यह निवेदन करूंगा कि वे कृपा करके इस प्रस्ताव को वापस ले लें। इन शब्दों के साथ में पुनः आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री अध्यक्ष --

माननीय ओझा जी, आप अपना प्रस्ताव वापस ले रहे हैं ?

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

जी नहीं।

श्री माता प्रसाद पान्डेय--

मान्यवर, मेरे क्षेत्र के किसानों का साढ़े सात लाख रुपया बकाया है, उसे ये दिलाते नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष --

आप बैठिये।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--

मान्यवर, पंचायतों के चुनाव होने जा रहे हैं. .

श्री अध्यक्ष--

आप बैठ जाइये।

श्री हरदेव--

(व्यवधान के मध्य)

बाराबंकी का मामला है यह। हरिजन जीवित है और मृत दिखलाया गया है।

श्री अध्यक्ष --

आप बैठ जायें। कृपया शान्त रहें।

श्री अध्यक्ष --

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 18-ग्राम्य विकास विभाग के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1983 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 18-ग्राम्य विकास विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,27,51,66,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 30-पंचायती राज विभाग के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1983 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 30-पंचायती राज विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 9,55,66,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 80--क्षेत्रीय विकास विभाग के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1983 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 80--क्षेत्रीय विकास विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 26,18,49,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1982 को न्याय मंत्री द्वारा प्रस्तुत किये जाने पर आपत्ति

(पंचायती राज मंत्री को पुकारे जाने पर।)

न्याय मंत्री (श्री जगदीश प्रसाद)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1982 पर विचार किया जाय।

श्रीमन्....

श्री रियासत हुसैन--

श्रीमन्, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। राज्यसभा के अन्दर चेयरमैन की व्यवस्था हो चुकी है कि जब सम्बन्धित मंत्री सदन में उपस्थित हों तो उसमें दूसरे मंत्री कैसे यह बिल प्रस्तुत कर रहे हैं? यह मेरी समझ में नहीं आता है।

श्री हुकम सिंह—

मान्यवर, इसी सम्बन्ध में है। जो यह बिल पेश किया गया है, उसमें उद्देश्य और कारण देखें, उसके नीचे बलराम सिंह यादव, पंचायती राज एवं ग्राम्य विकास मंत्री, दस्तखत भी इनके हैं और संयोग से वह बैठे हुए हैं और शायद थक गये होंगे इसलिए और इसके साथ ही साथ अगर विभाग बदल गया हो तो उसकी भी जानकारी करा दें। इसको देखते हुए मैंने समझा इसीलिए यह चीज कही है, अगर नहीं समझा होता तो न कहता।

श्री अध्यक्ष—

माननीय रियासत हुसैन और माननीय हुकम सिंह ने एक प्रश्न यहां उठाया है। माननीय रियासत हुसैन ने अपने व्यवस्था के प्रश्न के विषय में यह भी कहा कि राज्य सभा में ऐसा निर्णय हुआ है कि कोई मंत्री अगर सदन में उपस्थित हो तो उस मंत्री के रहते हुये किसी दूसरे मंत्री द्वारा किसी विषय का प्रस्तुतीकरण नहीं होना चाहिए। ऐसा वहां क्या निर्णय हुआ है, देखकर ही कहा जा सकता है कि किस परिस्थिति में क्या निर्णय हुआ है, लेकिन यहां की जो प्रक्रिया रही है उसमें सदा यह रहा है कि कोई भी मंत्री किसी को अधिकृत कर सकता है, लेकिन आपकी बात से सहमत होने में मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है कि जब मंत्री जी उपस्थित हैं तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है कि कहूं कि मंत्री जी उसे न पढ़ें, क्यों कोई दूसरा पढ़। रह गई बात यह कि जानते हुए भी कि मंत्री जी थक गए होंगे, आपने व्यवस्था का सवाल उठा दिया।

(व्यवधान)

श्री राम कुंवर सिंह—

मान्यवर, मेरा खयाल है कि संयुक्त जिम्मेदारी के आधार पर एक मंत्री का वक्तव्य कोई दूसरा भी दे सकता है।

श्री अध्यक्ष—

सामूहिक जिम्मेदारी का जहां तक प्रश्न है, कोई भी दे सकता है, लेकिन इस पीठ को सूचना होनी चाहिए कि फलां मंत्री का वक्तव्य फलां मंत्री देगा। मंत्री जी मौजूद हैं तो स्वाभाविक है कि वे देंगे।

उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1982†

ग्राम्य विकास मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव)—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1982 पर विचार किया जाय।

मान्यवर, सन् 1977 में एक संशोधन हुआ था जिसमें जिलाधिकारियों को अधिकार जो आज हैं, दिया गया था और वह अधिकार मान्यवर, अब समाप्त हो रहा है। इसलिए जिलाधिकारियों को पुनः अधिकार देने के लिए

†दिनांक 6 मार्च 1982 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

यह संशोधन लाया गया है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं, पंचायतों के चुनाव की प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी गई है ताकि इस वर्ष के अन्त तक जिला परिषदों का गठन कर दिया जाय इसलिए अल्पकाल के लिए यह अधिकार दिया जा रहा है।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1982 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय, जो एक माह के अन्दर अपना प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करे।

मान्यवर, अभी जो हमारे सामने एक संशोधन विधेयक विचाराधीन है, उस पर कुछ बोलने के पहले, अभी जो एक व्यवस्था का प्रश्न उठाया गया था, उस सम्बन्ध में मुझे एक कहानी याद आती है जिसे मैं संक्षेप में कह देना चाहता हूं। मान्यवर, एक परिवार में नयी-नयी शादी होकर एक बहू आयी। दो चार दिन तक बोली नहीं, बिलकुल चुप रही, रोती रही, उसके सास श्वसुर बहू से उसके रोने का कारण पूछते रहे, सबने सद्भावना के साथ उसे समझाने की कोशिश की। जब वह रोती ही रही तो सास को बहुत दुख हुआ और उससे कहा कि तू रोने का कारण क्यों नहीं बतलाती है, तू बोलती क्यों नहीं। तब उसने कहा कि मुझे बार-बार याद आती है कि कहीं मेरी मां मर गयी, मेरे पिता मर गये, मेरे पति मर गये तब फिर मेरा क्या होगा इसलिए रो रही हूं तो उन्होंने कहा बहू नहीं बोलती तो अच्छा था चुप ही रहती। ऐसा कुछ बोला जो न बोलती तो अच्छा था। अब मैं इस विधेयक पर आता हूं।

श्री खान गुफरान जाहिदी--

आप बीती है या जग बीती ....

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

आपको पता लगेगा, पड़ोस के आदमी हैं।

श्री हुकम सिंह--

आप भी बोलें....

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

तीसरे निकले। मान्यवर, क्षमा करेंगे। एक और कह दूं जाहिदी जी के लिए। मान्यवर, एक सेठ जी थे। उनके दो लड़के थे। एक दिन सेठ जी चुपचाप बैठे थे। अपने ऊपर कह रहा हूं। एक लड़का उनके पास आया और बोला पिता जी सीरियस क्यों बैठे हैं। क्या मामला है। सेठ जी ने कहा, हमारा दोस्त मर गया है, मातमपुरसी में जाना है लेकिन आज मैं बीमार हूं। लड़के ने कहा हम चले जाते हैं लेकिन आप यह बतायें कि वहां हमें क्या करना होगा। सेठ जी ने कहा, जो कुछ लोग कहेंगे तुम भी कह देना। जो व्यक्ति मरा था वह जरा दादा किस्म का था। इसलिए लोग कह रहे थे कि अच्छा हुआ मर गया। लड़के ने भी कहा कि ताऊ जी बड़ा अच्छा हुआ मर गये।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--]

सेठ जी को बड़ा दुःख हुआ। दसवीं होने के बाद शिकायत की कि आपका लड़का बड़ा बदतमीज है ऐसी बात कह रहा था। फिर सेठ जी को दुःख हुआ। तब दूसरा लड़का आया उनके पास। उसने कहा आप क्यों दुखी बैठे हैं। उन्होंने कहा तुम्हारे भाई ने बदतमीजी से बोल कर हमारे लिए शर्म की बात पैदा कर दी है। लड़के ने कहा मैं माफी मांग आता हूं। वह माफी मांगने पहुंचा। वहां पहुंच कर उस ने कहा, ताऊ जी, माफ करें, भाई साहब ने आपसे बदतमीजी की, बड़ी गलत बात कही, अगला लड़का मरेगा तो मैं आऊंगा। आज यही बात हो रही है।

अब मैं इस पर आता हूं। हमारे माननीय मंत्री ने बहुत ही संक्षेप में एक बात कही कि उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) थोड़े समय के लिए है। मान्यवर, सदन में बैठे-बैठे इस तरह की अल्पकालिक व्यवस्था में हम कई बार देख चुके हैं। अभी माननीय मंत्री जी ने अपने भाषण में एक बात कही कि हमने जिला परिषद् के चुनाव कराने का निर्णय लिया है जिन्हें जनता पार्टी ने भंग कर दिया था, प्रजातंत्र पर प्रहार किया था। मैं इस प्रश्न पर नहीं जाना चाहता कि जनता पार्टी ने प्रहार किया था या नगर महापालिकायें, कोआपरेटिव सोसइटीज कितनी भंग की। मंडियों का क्या हुआ? आज जो हमारे सामने बात है...

श्री खान गुफरान जाहिदी--

लेकिन खुली बात तो कहिये...

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

खुली हुई बात तो यह है अगर मैं यह कह दूंगा कि यह विधेयक फिर आपकी नीयत पर शंका करता है। ग्राम सभाओं के चुनाव करायेंगे, क्षेत्र समितियों के चुनाव, जिला परिषदों के चुनाव करायेंगे, इस पर शंका होती है। इस के उद्देश्य और कारण को देखें। एक वर्ष के लिए कार्यकाल बढ़ाया गया है। आज ही समाचार-पत्रों में मैंने पढ़ा शायद वहां पर भी आपने अपने भाषण में घोषणा की होगी कि ग्राम सभाओं के चुनाव होने जा रहे हैं। 1 जुलाई से लागू होंगे। एक महीने क्षेत्र समिति और उसके बाद 40 दिन जिला परिषद्, दो-तीन महीने में जुलाई, अगस्त, सितम्बर में कार्यक्रम पूरा हो सकता था। लेकिन इसमें आप समय ले रहे हैं, 31 मार्च तक। एक साल का समय ले रहे हैं, अनावश्यक यह बात हमारे समझ में नहीं आती है। चुनाव के लिए आप पर प्रतिपक्ष का दबाव पड़ा, जनता का दबाव पड़ा कि पूरे उत्तर प्रदेश में चुनाव कराने पड़ेंगे। पहले 6 चक्र में वायदा किया, फिर पांच चक्र में ले आये। खैर आपने जनहित में फैसला किया कि चुनाव करा देंगे। नोटिफिकेशन हो गया। आज जो विधेयक प्रस्तुत किया है इसमें सितम्बर तक समय लिया जाता तो बात हमारे समझ में आती। मैं कम से कम इसे प्रवर समिति में भेजने का प्रस्ताव नहीं करता। लेकिन एक वर्ष का समय लेना मन में शंका पैदा करता है। इससे पहले भी वायदे हो चुके हैं। इसलिए मैंने जो यह प्रवर समिति में भेजने का प्रस्ताव किया है, यह केवल इसलिए किया है कि समिति में इस पर एक महीने के अन्दर विचार हो सके, एक महीने में विचार करना होगा कि अगर कि उसमें तीन महीने का या चार महीने का या एक वर्ष का समय लगेगा। यह कोई पोलिटिकल बात नहीं है। चाहे इधर के बैठने वाले हों या उधर के बैठने वाले हों, सब जानते हैं कि जिला परिषदों पर सरकारी कब्जा है। इससे वहां पर कोई कार्य नहीं हो पा रहा है।

मैं सीतापुर की एक सड़क का आपको उदाहरण देना चाहता हूं। मैं वहां शहर से निर्वाचित हुआ हूं। वहां एक जिला परिषद् की सड़क है, टूटी-फूटी है। हमने उसकी मरम्मत के लिये आवाज उठायी। हमने उनको लिखित चिट्ठी भी दी और हमसे कहा गया कि शीघ्र ही उस पर काम शुरू हो जायेगा। हम रोज उस सड़क से निकलते हैं लेकिन फिर देखते हैं कि सड़क वैसी की वैसी ही पड़ी हुई है। आखिर क्यों नहीं बन रही है? जब हमने यह पूछा तो कहा जाता है कि बन जायेगी। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि एक रात और एक दिन में वहां पर पता नहीं क्या परिवर्तन हुआ लेकिन आज तक उस सड़क पर मिट्टी तक नहीं पड़ी है। मेरी जानकारी है कि इस सड़क को बनाने में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार किया गया है और इस सड़क को बनाया हुआ दिखा दिया गया है और पेमेंट भी हो गया है। मार्च का महीना बीत रहा है, कोई बड़ी सड़क नहीं है। बहाना बनाया जाता है कि तारकोल नहीं है। मार्च बीत रहा है, कब बनेगा, पता नहीं।

इसी तरह से जिला परिषद् की डिस्पेंसरीज हैं। कहा गया कि उनका प्रान्तीयकरण हो रहा है। जिला परिषद् के पास कोई फन्ड इसके लिये नहीं है। उन डिस्पेंसरीज में कोई डाक्टर नहीं है। जो डाक्टर रिटायर हो जाता है उसकी नियुक्ति नहीं की जाती है। मनमाने ढंग से टैक्स वसूल किये जा रहे हैं। ऐसी स्थिति पैदा हो गई है कि वहां के कर्मचारी मात्र तनख्वाह लेने के उनके पास और कोई कार्य नहीं रह गया है। भ्रष्टाचार इतनी सीमा तक पहुंच गया है जिसकी कोई कल्पना तक नहीं की जा सकती है। यदि कोई जनता का प्रतिनिधि वहां होता तो वह उनके दुख दर्द को समझता, काम ठीक से होता और सबसे बड़ी बात तो यह है कि संविधान के अनुसार जो मान्यता और जनतांत्रिक शासन व्यवस्था हमने बनायी हुई है और जो कि जनतन्त्र की सबसे पहली इकाई है उन पर सरकारी कब्जा रहे, यह बात ठीक नहीं है। इसलिये मान्यवर, मैं इस विधेयक को प्रवर समिति में भेजने के अपने प्रस्ताव पर बल देता हूं और सदन से अनुरोध करता हूं कि मेरे प्रस्ताव को वह स्वीकार करे।

श्री सुन्दर सिंह--

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय गुप्ता जी ने जो बातें सदन के सामने रखीं हैं, उससे लगता है कि उन्हें इस अल्पकालिक व्यवस्था में विरोध नहीं करना है बल्कि वे इससे भी अत्यन्त अल्पकालिक व्यवस्था चाहते हैं। उन्होंने शासन के प्रति शंका व्यक्त करते हुये कहा कि जब चुनाव हो रहे हैं तो ऐसी व्यवस्था क्यों की जा रही है? किन्तु मान्यवर, चुनाव की एक प्रक्रिया होती है। चुनाव की प्रकिया शुरू हो गई है और फिर बरसात का मौसम आ जायेगा। तीन महीने में यह कार्य नहीं हो सकता है इसलिये ऐसी व्यवस्था करनी पड़ रही है। मेरे लायक दोस्त विरोध पक्ष के सदस्य जानते हैं कि लोकतन्त्र की संसदीय तन्त्र की दुहाई दी जाती है। उन्होंने उस पर कुठाराघात किया है और आते-आते इन संस्थाओं को भंग कर दिया। मान्यवर, ये लोग कौन सी व्यवस्था चाहते हैं जिससे कि कार्य संचालन ठीक तरह से हो सके। इसलिये मान्यवर, जो यह संशोधन विधेयक आया है, अल्पकालिक व्यवस्था है, यह समीचीन है और सार्थक भी है।

श्री हुकम सिंह--

माननीय अध्यक्ष जी, अभी-अभी माननीय मंत्री जी ने आश्वासन दिया कि पंचायतों के चुनाव सम्पन्न हो जाने के बाद क्षेत्र समितियों और जिला परिषदों के चुनाव करा दिये जायेंगे। बार-बार उस पक्ष से यह दोष दिया जाता है कि

[श्री हुकम सिंह--]

यह भंग किसने किया, क्या आवश्यकता थी । मान्यवर, डेढ़ महीने दो साल से आप सरकार में बैठे हैं आपने कितनी ही बार यह आश्वासन दिया कि हम चुनाव करा देंगे और रोज यहां पर समय बढ़ाने के लिये विधेयक ले आते हैं । कितनी लाइन आपने लगा दी है कभी नामिनेशन के नाम पर और कभी यह कह कर कि हम तुम्हें जिला परिषद् का अध्यक्ष बना देंगे ।

मान्यवर, जिला परिषदों की जो हालत आज जिलाधिकारियों की अध्यक्षता में हो गयी है वह देखने लायक है । चाहे कितनी ही निकृष्ट जनप्रतिनिधि क्यों न हो वह कहीं अच्छा काम करता है आज के इन जिलाधिकारियों से तो इसमें कोई संदेह नहीं है। आज कोई भी जिला परिषद् अपने संसाधनों से विकास का काम तो दूर रहा अपना खर्च भी नहीं चला पा रही है । तमाम जिला परिषदें सरकारी अनुदान पर निर्भर हो गयी हैं । इसलिए मैं आग्रह करता हूं कि एक साल का जो समय आप ले रहे हैं आप अपनी नीयत को साफ करें और आपकी तरफ से एक संशोधन आ जाय कि 31 मार्च के बदले 31 दिसम्बर रख लें तो हमें विश्वास हो जायेगा कि आप चुनाव कराने जा रहे हैं । आज जितने भी जिला परिषदों के संसाधन हैं जैसे गाड़ियां हैं, वह जिलाधिकारी अपने काम में ला रहे हैं, उन गाड़ियों से जिला परिषदों का काम नहीं हो रहा है, जिलाधिकारियों के चपरासी और उनका परिवार घूम रहा है, उन संसाधनों का इस्तेमाल कर रहा है । मैं अपनी बात कहते हुए पुनः अपेक्षा करता हूं कि यदि आपकी नीयत साफ है तो बजाय 31 मार्च के 31 दिसम्बर का संशोधन ले आइये तो हम सर्वसम्मति से इस विधेयक को पास करा देंगे ।

श्री प्रभू नारायण सिंह--

माननीय अध्यक्ष जी, यह जो उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक लाया गया है माननीय मंत्री जी द्वारा मैं इसका समर्थन करता हूं । जैसा माननीय गुप्ता जी कुछ किस्सा कह रहे थे तो श्रीमन्, चोर की दाढ़ी में तिनका वाली बात याद आ रही है । उनको हर बात में शंका होती है किसी काम को करने के लिए एक आदमी अधिकतम समय लेता है और कम से कम समय में काम को निपटाया जा सके । यह हमारा दृढ़ विश्वास है कि शासन चुनाव करा रहा है, हमने सारी प्रक्रिया अपना ली है, आप जानते हैं कि गांव सभाओं के चुनावों का नोटिफिकेशन हो चुका है उसके बाद ब्लाक और फिर जिला परिषदों के चुनावों की प्रक्रिया है । लेकिन आदमी समय लेता है कि इस समय के अन्दर चुनाव होकर जिला परिषदों का गठन हो जाय । मैं समझता था कि आप इसका सहर्ष अनुमोदन करेंगे क्योंकि आपने तारीफ की है। इस मामले में अपने बजट भाषण में कहा कि बड़ी प्रसन्नता की बात है कि गांव सभाओं का चुनाव होने जा रहा है । गांव सभा प्रमुख इकाई है लोकल बाडीज की, उसके बाद ब्लाक और फिर जिला परिषदों का चुनाव निश्चित है । केवल एक शब्द 31 मार्च, 82 के स्थान पर 31 मार्च, 83 करने की बात है । तो आपको विश्वास होना चाहिये कि चुनाव होंगे हम जनतन्त्र के रक्षक हैं और उसमें पूरा विश्वास रखते हैं ।

*श्री रियासत हुसैन--

श्रीमन्, मुझे बड़ी तकलीफ हो रही है माननीय मंत्री जी को देखकर, उनकी हालत बड़ी काबिले रहम है । एक तरफ तो प्रदेश भर में सिलसिला चला दिया

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नामजदगी का और दूसरी तरफ दिल्ली सरकार ने हुकुम दे दिया नहीं नामिनेशन नहीं होगा । तो यह मजबूर हो गये इलेक्शन के लिए । तो दो दुविधाओं के बीच में वह फंसे हैं । श्रीमन्, इमरजेंसी भी थोड़े समय के लिए लगी थी लेकिन उसने पूरे देश में इनक्लाब ला दिया । थोड़े से समय में क्या से क्या हो सकता है । आपने कहा कि साहब बरसात में चुनाव नहीं हो सकते, आपको जिस बरसात की फिक्र है प्रमुख के चुनाव के बाद जिला परिषद् के मेम्बरी की और उसमें बरसात आ जायेगी । तो मैं यकीन दिलाता हूं कि जो आपके ब्लाक सेंटर हैं, वह सड़कों पर हैं आपको एक पैसा भी खर्च करने की जरूरत नहीं है, चाहे बरसात हो या महा बरसात हो या जलजला हो सारे वोटर प्रमुख के चुनाव के बाद जिला परिषदों के मेम्बरी के लिए ब्लाक हेडक्वार्टर पर अपने आप आ जायेंगे आपको कोई परेशानी नहीं होगी न आप समय से परेशान हों न खर्चे से परेशान हों । सब हो जायेगा बिना किसी परेशानी के और अगर आपको यकीन नहीं है तो गुप्ता जी ने जो 31 दिसम्बर, 1982 की बात कही है, इस बिल में, उनको कर दें तो यह प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास हो जायेगा और हमारे न्याय मंत्री जी, जो बड़े आतुर हैं, उन्हीं के जरिए से यह एमेंडमेंट रखवा दें कि 31 मार्च, 1983 के स्थान पर 31 दिसम्बर, 1982 तो इससे हमारे माननीय मंत्री जी का दिल भी भर जायेगा कि उनको भी हिस्सा मिल गया और एक इतिहास हो जायेगा कि इस प्रदेश के इस माननीय सदन के सदस्यों ने माननीय ग्राम विकास मंत्री के प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित कर दिया । इससे आपकी भी हैसियत बढ़ जायेगी और मंत्री जी की भी जिनका सर्वसम्मति से एक बिल पास हो जायेगा । इस सदन की भी अहमियत बढ़ जायेगी ।

यहां पर नगर विकास मंत्री ने कह दिया कि स्थानीय निकायों के चुनाव जून तक हो जायेंगे । आज कल हर देहात के अन्दर ट्रान्जिस्टर हैं और 7.20 और 8.20 पर जो खबरें सुनी जाती हैं, उनसे एक कन्फ्यूजन हो गया है कि अब पंचायतों के चुनाव अगली जून तक होंगे । मैंने कहा कि ग्राम सभाओं के चुनाव अगली जून तक नहीं होंगे, वे इसी समय होंगे तो इसलिए जो जरा सी देर में कन्फ्यूजन हो जाता है । तो आप वर्ष 1983 लगने ही न दीजिये, वर्ष 1982 तक ही सब कुछ करा दीजिए । वैसे तो हालत यह हो गयी है कि जब आपने नौमिनेट करने की बात कही तो सारे कांग्रेसी हो गये । कहा गया कि ये बड़े पक्के कांग्रेसी हैं, ये महा कांग्रेसी सब खसरा खतौनी आपने तैयार करा ली कि कौन कब जेल गया, 1977 में गया और वे सब आंकड़े आपने तैयार करा लिए । 20 सूत्री कार्यक्रम में विश्वास करने वालों का चार्ट आपने तैयार करा लिया । जो नामिनेशन आपने ओवर नाईट कर दिया और जितने भी प्रधान थे, वे सब कांग्रेसी हो गये । लेकिन जब आपने कहा कि चुनाव होंगे तो पता चला कि सारे प्रधानों का बंटा धार हो गया । वे तो यह सोच रहे थे कि हम तो 5 साल के लिए हो गये । हर गांव में 8-8, 10-10 उम्मीदवार खड़े हो गये ।

प्रजातंत्र का नक्शा सामने आया है । आपके सामने भी कठिनाइयां हैं और हमारे सामने भी लेकिन प्रजातंत्र में वोट देने और हर चीज के अधिकार हैं । आप ग्राम सभाओं के चुनाव करायें लेकिन एक बात को अवश्य ध्यान में रखें, जिसकी मैंने एक मिसाल दी थी, पदिया नगला गांव की । उस गांव में हरिजनों के नाम ही काट दिए गये । पूरी लिस्ट से 150 वोटर्स ही गायब कर दिए । आपकी जिम्मेदारी है कि प्रजातंत्र में जो गांव का आदमी अपना

[श्री रियासत हुसैन--]

मत प्रकट करना चाहता है, किसी को भी चुनना चाहता है उसमें सरकारी हस्तक्षेप न हो। आजादी के साथ चुनाव हों, यह भी आपकी जिम्मेदारी है। मान्यवर, मेरे पास सूचनायें आनी शुरू हो गयी हैं कि जो पुलिस टाउटस हैं और दलाल हैं, और प्रधान भी हैं, उनके द्वारा समर्थन प्राप्त करना शुरू हो गया है, पुलिस की शक्ति का इस्तेमाल होना शुरू हो गया है। यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप जिला प्रशासन को ऐसे आदेश दें कि कहीं पर भी ऐसी शिकायत सुनने को न मिले और यदि इस प्रकार की शिकायत सुनने में आयी तो वहां के एस0 पी0 और जिलाधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी। अगर आप ऐसा करेंगे तभी निष्पक्ष चुनाव हो पायेंगे। हम जानते हैं मंत्री जी, आपकी कुछ मजबूरियां हैं, पर अगर आप इस 31 दिसम्बर, 1982 वाली बात को मान लेते हैं तो एक इतिहास कायम हो जायेगा, आपका नाम होगा। मैं आशा करता हूं कि आप इतनी सी बात को जान लेंगे।

*श्री खान गुफरान जाहिदी--

अध्यक्ष महोदय, हमारे विरोध पक्ष के साथियों को दो चीजों से बड़ी परेशानी होती है--एक है अंदेशा और दूसरी चीज है कन्फ्यूजन। इनको हर चीज में यही दो चीजें दिखायी देती हैं। मुझे एक कहानी याद आ रही है। एक व्यक्ति की घरवाली बीमार थी, वह कोमा में पड़ गयी। लोगों ने समझा कि वह मर गयी। उसको अर्थी में ले जाने लगे। जो लोग कन्धा दे रहे थे उनमें से एक का पैर एक बड़ गड्ढे में पड़ गया और वह अर्थी गिर गयी और वह किसी खम्भे से जा टकरायी। उस औरत ने आंख खोल दी। वह जब घर आयी तो उसने अपने पति से कहा कि मैं तो बेहोश थी, मरी कहां थी। कुछ दिन बाद ऐसा हुआ कि वह सचमुच में मर गयी। उसको जब लोग कन्धे पर अर्थी में लिये जा रहे थे तो बजाये यह कहने के कि राम राम सत्य है, या कुछ और कहते, वे यह कहते जा रहे थे कि गड्ढा बचा के चलो, खम्भा बचा के चलो। इसी तरह से आज विरोध पक्ष वालों को हर बात में अंदेशा और कन्फ्यूजन नजर आ रहा है और वे हर वक्त उसी बात को दोहराते हैं। इलेक्शन हम करा रहे हैं। केवल 90 दिन की बात से इनको अंदेशा लग रहा है। 31 दिसम्बर, 1982 तक के लिये तो आप राजी हैं, 90 दिन का यदि और समय मांगा जा रहा है तो उसमें आपको अंदेशा पैदा हो गया है। इसमें ऐसी कौन सी आपत्तिजनक बात है। इसी कन्फ्यूजन के कारण ही आप विरोध पक्ष वाले बिखरे हुये बैठे हैं, एक नहीं हो पा रहे हैं। शासन ने इलेक्शन कराने का फैसला किया है, इलेक्शन हो रहे हैं, ऐहतियात के तौर पर 31 मार्च, 1983 तक का समय मांगा जा रहा है। इसमें कोई हर्ज नहीं है। रियासत भाई ने जो बात कहीं है, उस पर मंत्री जी गौर कर लेंगे। इलेक्शन 31 दिसम्बर तक हो जायेंगे और उसके बाद वह समय अपने आप समाप्त हो जायेगा। इन शब्दों के साथ मैं प्रवर समिति में भेजे जाने के प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

*श्री राम गोविन्द--

श्रीमन्, जो इस विधेयक के द्वारा जिलाधिकारी में सारे अधिकार निहित कर दिये जा रहे हैं और इसलिए जिला परिषद् का काम भंग हो गया है। काम कोई नहीं हो रहा है। आप भी जानते हैं और कांग्रेस पक्ष के माननीय आजमगढ़ के विधायक, राम कुंवर सिंह भी बैठे हुए हैं, जो जिला परिषद् के

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

भूतपूर्व चेयरमैन रह चुके हैं। लेकिन वह जानते हैं कि जनता के प्रतिनिधि के रूप में जो अध्यक्ष चुना जाता है, वह जनता के हितों की रक्षा करने की दिशा में काम करता है। परन्तु ये जिलाधिकारी जिनके जिम्मे बहुत सारे काम हैं, प्रशासन चलाना, राजस्व की वसूली करना, इस में वह लगे रहते हैं, उनको जिला परिषद् के कामों के करने की फुरसत नहीं मिलती। इसलिए इसका तत्काल चुनाव होना चाहिए।

श्रीमन्, जब जुलाई में ग्राम सभाओं के चुनाव समाप्त हो रहे हैं, तो जिला परिषद् के चुनाव कराने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। ये ग्राम सभाओं का चुनाव इसलिए करा रहे हैं कि जनता की निगाह में ये जनतंत्र के रक्षक के रूप में जाने जायं। यह सरकार जनतांत्रिक प्रणाली में विश्वास करती है, परन्तु इनकी मंशा उल्टी है। ये इसके आधार पर विधान परिषदों का चुनाव करा कर उसमें अपना बहुमत सिद्ध कराना चाहते हैं। तो उसके माध्यम से देश में राष्ट्रपति प्रणाली लागू करने की बात इनकी पार्टी के अन्दर जो चल रही है, उसको सफल बनाने के लिए ये ग्राम सभाओं का चुनाव करा रहे हैं। ये जिला परिषद् का चुनाव कतई नहीं करना चाहते हैं। ये ग्राम सभाओं का चुनाव करा कर विधान परिषद् में अपना बहुमत लाना चाहते हैं और देश में राष्ट्रपति प्रणाली लागू करना चाहते हैं।

श्री त्रिवेनी—

जिला परिषद् किसने भंग किया है? आप यह जरा बता दीजिए कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का अधिकार किसने दिया है, यह बता दीजिए?

श्री हुकम सिंह—

यह तो महारानी दोहरे बतायेंगी।

श्री राम गोविन्द—

मैं पुनः उस बात पर जोर देता हूं कि इस विधेयक के द्वारा पूरे प्रदेश की जनता के मन में यह संशय बना हुआ कि इसके बाद जिला परिषद् के चुनाव होगा या नहीं होगा या इसके द्वारा राष्ट्रपति प्रणाली लागू होने से सहायता मिलेगी। इसलिए 31 दिसम्बर तक का यह समय मांगे और ग्राम सभाओं के चुनाव के बाद ये जिला परिषद् का चुनाव करायें अन्यथा हम लोगों को तो शंका बनी ही है। श्रीमन्, इसलिए मैं इसको प्रवर समिति के सुपुर्द करने की अपनी मांग पर बल देता हूं।

*श्री लाल प्रताप सिंह—

मान्यवर, मुझे माननीय गुप्ता जी की बातों से एक किस्सा याद आता है। माननीय गुप्ता जी की तरह एक डिप्टी साहब थे और बहुत सख्त थे, किसी किस्म की रू-रियायत किसी के साथ नहीं करते थे और बहुत सख्त माने भी जाते थे। एक दिन वह एक स्कूल में गये, उन्होंने कहा कि आज मैं लड़कों की परीक्षा लूंगा, अगर मेरे सवाल का कोई जवाब नहीं दे सकेगा, तो मैं इस स्कूल को खत्म कर दूंगा, सारे मास्टरों को निकाल दूंगा और स्कूल तो खत्म ही हो जायगा, स्कूल तोड़ दूंगा। तो सभी मास्टर साहबान बहुत ही घबड़ाये। वह बहुत ही खुश थे

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्रीलाल प्रताप सिंह--]

डिप्टी साहेब। उन्होंने लड़कों को बैठाल दिया और सवाल पूछा। उन्होंने सवाल पूछा कि अगर एक घंटे में, प्रति घंटे में 200 मील की रफ्तार से फी घंटे में कलकत्ते से बम्बई जाता है, तो उसी के हिसाब से मेरी उम्र बताओ ? बड़ा अजीब सवाल था और वह मास्टर साहबान भी घबड़ाये कि आखिर इसका क्या जवाब दिया जाय, यह पढ़ाया भी नहीं गया। एक लड़का उसमें से उठकर खड़ा हुआ तो डिप्टी साहब ने कहा बताओ बेटे, तो उस लड़के ने कहा कि आपकी उम्र 44 साल। उन्होंने कहा कि वाकई बेटे मेरी उम्र 44 साल है। उन्होंने कहा कि किस फार्मूले से तुम जान गये ? लड़के ने कहा कि डिप्टी साहब इसलिए मैं जान गया, मेरा एक भाई है, वह आधा पागल है, उसकी उम्र 44 साल है, उसी से मैंने जान लिया कि आपकी उम्र क्या है। तो उसी तरह का सवाल इनका है, मान्यवर।

श्री हुकम सिंह--

इनकी उम्र भी 44 साल है, मान्यवर।

श्री रियासत हुसैन--

सभी इसी तरह के इकट्ठे हो गये हैं क्या ?

श्री लाल प्रताप सिंह--

तो मान्यवर, उसी तरह का सवाल डिप्टी साहब ने जैसा किया, उसी तरह का सवाल गुप्ता जी ने किया। मैं विधेयक का समर्थन करता हूं।

यह वास्तव में एक इनेबलिंग विधेयक है। इसके बीच में भी चुनाव हो सकते हैं। माननीय मंत्री जी ने आश्वासन दिया और हम सब जानते हैं कि चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है। चुनाव लाजिमी है 3 महीने के अन्दर जिला परिषदों के चुनाव हो जायेंगे और इनका विधिवत गठन हो जायेगा। मैं एक निवेदन करना चाहता हूं। मैं पुरानी बात दोहराना नहीं चाहता हूं। अंग्रेजी कहावत है--इफ वी इन्टर इन टू दि पास्ट क्वायरलस वी विल लूज दि फियूचर।

मैं कहना चाहता हूं कि दो बार जिला परिषदें और क्षेत्र समितियां भंग हुईं। यह प्रक्रिया किसने कायम किया और कब शुरू हुई। यह सभी जानते हैं कि निकायों का राजनीतिक सेटअप में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। हो सकता है विपक्ष के आ जायं। रूलिंग पार्टी के आ जायं लेकिन ऐसी परम्परा कायम करनी चाहिये कि सहयोग हो यहां से लेकर नीचे तक कोई ऐसी चीज न हो, या तो यह सिस्टम ही बदल जाय कोई दूसरा सिस्टम हो जाय, उस तरीके से किया जाय। एक पुरानी प्रथा चलाई गई उसी का नतीजा है कि देरी हुई वरना जिला परिषदें कब की काम करती होतीं।

एक निवेदन मैं यह करना चाहता हूं कि जिला परिषदों को सुदृढ़ बनाया जाय, शक्तिशाली बनाया जाय। उनके फंक्शन को बेहतर बनाया जाय। जितने भी आफिसेज हैं वह सब इससे सम्बद्ध कर दिये जायं। पुलिस विभाग, युवक संगठन सबको इससे सम्बद्ध कर दिया जाय। मैं तो चाहूंगा कि इसमें युवकों का भी नामिनेशन हुआ करे। मैं निवेदन करूंगा माननीय मंत्री जी से इस सम्बन्ध में एक कम्प्रेहेन्सिव बिल लाने की जरूरत है। जिससे जिला परिषदें बेहतर हो सकें।

एक बात मैं यह कहना चाहता हूं जो रियासत साहब ने पुलिस की बात कही। मैं यकीन दिलाना चाहता हूं कि किसी भी चुनाव को पुलिस प्रभावित नहीं

कर सकती है । निकायों के चुनाव को पुलिस या लेखपाल प्रभावित करेगा, यह बिल्कुल ही नामुमकिन बात है । आज तक जितने चुनाव हुये हैं, पुलिस किसी को प्रभावित नहीं किया । जो व्यवस्था निकायों की है, वह कायम रहनी चाहिये । इस तरह की बात कह कर अधिकारियों और कर्मचारियों को डिमोरलाइज करना है । मैं गांव का रहने वाला हूं । मैं जानता हूं । कोई भी पुलिस अधिकारी चुनाव को प्रभावित नहीं कर सकता है । सेकरेट बैलेट है और हम सब अपने अधिकार को जानते हैं और उसका सही तरह से प्रयोग करते हैं । मैं उम्मीद करता हूं कि निकायों का चुनाव शीघ्र होगा और यह अपना काम शुरू कर देगीं । अन्त में मैं फिर माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वह एक कम्प्रेहेन्सिव बिल लायें इसकी बेहतरी के लिये ।

श्री जटाशंकर सिंह--

मान्यवर, माननीय गुफरान जाहिदी ने जिन तर्कों को देकर विश्वास दिलाया है कि चुनाव कराने की यह बात साफ है क्योंकि चुनाव प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी गई है । मान्यवर, इनका यही उदाहरण शंका का कारण बनता है । आपने कहा कि ग्राम सभाओं का चुनाव करायेंगे और उसके बाद बैठकर अपनी कैबिनट में यह तय कर लिया कि चुनाव की आवश्यकता नहीं है, मनोनयन से रिक्त पूर्ति कर लिया जायेगा और मनोनयन की प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी । ऊपर से दबाव आया कि चुनाव करवाइये और विवशता में मंत्री जी यह ग्राम प्रधानों के चुनाव करा रहे हैं ।

तो वह तर्क जैसे कि ये मनोनयन चाहते थे लेकिन विवशता में चुनाव करा रहे हैं लेकिन पुनः कहीं लम्बी लटकन के चक्कर में कोई विवशता न खड़ी हो जाय और अपने वायदे से मुकर जायं और फिर मनोनयन घूमने लगे, यह शंका उपस्थित है । मान्यवर, साथ ही साथ में यह कहूंगा कि जिन लोगों ने जिला परिषदों को भंग किया था, उनकी भी नीयत चुनाव न कराने की नहीं थी, वह अपने अनुसार चुनाव कराना चाहते थे लेकिन करा नहीं सके। उसके बाद आप कहते हैं कि उन्होंने भंग किया किन्तु मान्यवर, इनको भी बैठे हुये डेढ़ साल का समय निकल गया और फिर भी चुनाव नहीं करा सके । इसलिये लम्बी लटकनों से आशंका रहेगी । इसलिए जो माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त ने प्रस्ताव किया है उसे 31 दिसम्बर तक कर दें और संशोधन ले आयें उसको हम मान लेंगे । लेकिन मंत्री जी आप की नीयत नहीं है । आप जो करना चाहते हैं वही स्पष्ट कह दें जिससे आशंका समाप्त हो ।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, प्रवर समिति में भेजने के प्रस्ताव पर जिन माननीय सदस्यों ने विचार प्रकट किये हैं, मैं उनके प्रति बड़ा आभारी हूं । मान्यवर, इस चर्चा में कहानी का दौर चल गया । इसलिये मुझे भी एक छोटी कहानी याद आती है । मान्यवर, जब इधर से अच्छी बात कही जाती है तो उधर के माननीय सदस्य बहाना ले लेते हैं कि आपकी सरकार ने ऐसा किया था । अभी बहराइच के माननीय सदस्य बोल रहे थे तो उन्होंने कहा कि जनता पार्टी की सरकार के समय में जिला परिषदों को भंग किया गया और वह चुनाव नहीं कराना चाहते थे, तो मैं पूछना चाहता हूं कि हम पाप कर रहे हैं, उस समय जनता पार्टी के काम अच्छे या बुरे थे, उनकी बहस में मैं नहीं जाना चाहता हूं लेकिन उनका बहाना लेकर आप कब तक अपराध करते रहेंगे ? इसलिये कहानी की बात कह रहा था कि एक सज्जन थे जो शाकाहारी थे, मांस उनके यहां नहीं बनता था । उनकी एक थाली दूसरे सज्जन मांग कर

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

[श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--]

ले गए और जाकर उन्होंने उसमें मांस खा लिया। इसकी जब सूचना पहले वाले सज्जन को मिला तो वह नाराज हुए और कहा कि हमारा धर्म भ्रष्ट कर दिया मांस खाकर और कहा कि इसका बदला लेंगे और तुम्हारी थाली में हम मैला खा लेंगे। इसलिए कहना चाहता हूं कि मांस खाकर अपराध किया तो आप ऐसा अपराध न करें कि वैसा गन्दा काम करने को आप तैयार हो जायं।

मान्यवर, इन शब्दों के साथ मैं कहना चाहता हूं कि आप बहाना किसी चीज का न लें, आप पर जिम्मेदारी है और प्रदेश की जनता आपसे यह उम्मीद करती है कि समय पर आप चुनाव करायेंगे। इसलिए एक साल का जो समय लिया जा रहा है, उसके सम्बन्ध में हम लोगों ने जो बात कही है और श्री हुकम सिंह ने जो सुझाव दिया कि 31 दिसम्बर की बात को आप मान लें तो प्रवर समिति को भेजने का प्रस्ताव हम वापस ले लेंगे। इस सम्बन्ध में हमने बैठे-बैठे ग्राम्य विकास मंत्री से कहा था कि इस सदन में इतिहास बन जाय इसके लिए आप 31 दिसम्बर की बात को मान लें क्योंकि यदि किन्हीं मुद्दों पर जिसमें संसदीय पद्धति का इन्वाल्वमेन्ट हो और जनता की बात का इन्वाल्वमेन्ट हो, उसमें हम आप एक रास्ते पर चल सकते हैं। मान्यवर, हमारे भाई, श्री रियासत हुसैन ने कहा था कि इस चुनाव में जोर जबरदस्ती का आलम हो रहा है और आज एक सूचना दी थी कि समाचार-पत्रों में प्रकाशित है।

बाराबंकी जिले में और माननीय श्यामलाल जी के जिले में कुछ जबरदस्त लोग बहुंच गए हरिजन बस्ती में और हमला कर दिया, लोगों को मारा पीटा और प्रताड़ित किया। उनका बहाना एक था कि आप चुनाव में हमारे पक्ष में वोट करें। जो हमारे हरिजन निर्बल वर्ग के लोग हैं, वह आजादी के साथ निष्पक्ष भाव से अपने मन के अनुसार बिना किसी जोर दबाव के मतदान में भाग ले सकेंगे तभी सही मानों में जनतन्त्र उभरेगा। इसके लिए सुझाव पुलिस का दिया गया है। यह बात सही है लेकिन आपको जिम्मेदारी किसी को सौंपनी होगी। अभी छविराम मारा गया। जो समाचार-पत्रों से जानकारी मिली है, उसके अनुसार एस0 पी0 को जिम्मेदारी दी गयी थी कि अगर इस तारीख तक यह चीज नहीं होगी तो तुम्हारा ट्रांसफर कर दिया जायगा। तो जब जिम्मेदारी दी गई तब काम हो गया। तो आपको भी किसी को इसकी जिम्मेदारी देनी होगी वरना जबरदस्त लोग जनता में, शासन में और ब्यूरोक्रेसी में हैं, उनके निहित स्वार्थों के कारण वह स्वार्थीतत्वों के साथ मिल कर जनता सर्वहारा वर्ग का शोषण करेंगे।

मेरे सीतापुर का मामला है। वहां पुलिस के ऊपर एक बदमाश फायर कर दिया। ड्राइवर घायल हो गया। एक दरोगा थे जो 5 हजार रुपया बदमाश से लिया करते थे। डी0 वाई0 एस0 पी0 से उन्होंने कहा कि बदमाश नहीं मिलेगा, वहां न जाइए। लेकिन डी0 वाई0 एस0 पी0 गए और छर्रा खा गये। तो जिम्मेदारी आप किसी को दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि समाज के कमजोर और निर्बल वर्ग का जबरदस्त और निहित स्वार्थों वाले लोग शोषण न कर सकें, अपने दबाव का उपयोग मत को प्रभावित करने में न कर सकें तो इसकी जिम्मेदारी आप किसी को दीजिए और उसे जिम्मेदार बनाइये। 31 दिसम्बर तक की बात हमारी तरफ से की गयी है, वह आप स्वीकार करें। मैं मंत्री जी की भावना को जानता हूं, वह बड़े सुलझे स्वभाव से अग्रणी मंत्री हैं। हम विरोध पक्ष की ओर से जिम्मेदारी का सुझाव आता है तो उसे स्वीकार करें। इन शब्दों के साथ में अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री बलराम सिंह यादव--

मान्यवर, हमारे माननीय गुप्ता जी ने और माननीय रियासत हुसैन जी ने और माननीय हुकम सिंह जी, इसमें कोई सन्देह नहीं है कि वह वाक चातुर्य तो उन लोगों के अन्दर है ही। तिल को ताड़ बना देने में वह बड़े माहिर हैं और बाल के खाल निकालने में बड़े माहिर हैं। मैं समझता हूं कि इससे कम नान कन्ट्रोवर्शियल कोई विधेयक नहीं हो सकता था। लेकिन मान्यवर, इस जरा सी बात को आपने इतना बढ़ा-चढ़ाकर प्रस्तुत किया, मैं समझता हूं कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी।

श्री जटाशंकर सिंह--

मान्यवर, सुझाव छोटा है।

श्री बलराम सिंह यादव--

एक दूसरा मर्ज आप लोगों के अन्दर शंका का है। सारे मर्जों का इलाज है लेकिन शंका के मर्ज का कोई इलाज नहीं है। सभी जानते हैं कि पंचायतों के चुनाव करने का पक्का फैसला सरकार ने लिया है और चुनाव की प्रक्रिया भी शुरू हो गयी है। जहां तक पंचायतों के चुनाव समाप्त करने का कार्यक्रम है, जुलाई, अगस्त, सितम्बर में चूंकि बारिश होती है, इस वजह से चुनाव सम्भव नहीं हो सकते हैं। इस वजह से बरसात के बाद क्षेत्र समितियों और जिला परिषदों के चुनाव करने का फैसला सरकार ने लिया है। चूंकि बारिश में चुनाव न कराने का फैसला हमने लिया है लिहाजा माननीय रियासत हुसैन जी कहते हैं कि बरसात में चुनाव हो सकते थे। अगर हम बरसात में चुनाव कराने का निर्णय लेते तो वह कहते कि बरसात में चुनाव नहीं कराना चाहिए था।

श्री रियासत हुसैन--

इसका तो आपने पहले इलाज कर दिया। डाइरेक्ट इलेक्शन से इन डाइरेक्ट इलेक्शन कर दिया।

श्री बलराम सिंह यादव--

आप कहेंगे बारिश में चुनाव करा रहे हैं, ये सत्ता पक्ष के लोग हैं, इनके पास साधन हैं सारी बातें हैं, हम लोगों से पास साधन नहीं हैं, तो ये उसका नाजायज फायदा उठायेंगे, ये सिर्फ शंकायें हैं, इनका कोई इलाज नहीं है। जहां तक निष्पक्ष चुनाव कराने की बात है, मैं माननीय सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि चुनाव निष्पक्ष करायेंगे। इसकी सरकार को पूरी जिम्मेदारी है और यह सरकार दृढ़ संकल्प है कि उत्तर प्रदेश के अन्दर जो गांव पंचायतों के चुनाव होने जा रहे हैं, वे एकदम निष्पक्ष हों। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि बहुत विचार विमर्श करने के बाद इसी दृष्टिकोण से प्रदेश में हमने 5 चक्रों में चुनाव कराने का फैसला किया है ताकि दो-दो, तीन-तीन विकास खंड लिए जायं और उनमें कोई गड़बड़ी न हो सके और शान्ति व्यवस्था की स्थिति ठीक रहे। जो निर्बल वर्ग के लोग हैं, उनको वोट डालने से कोई रोके नहीं और उनको अपने मतदान का पूरा अधिकार मिले। इसी दृष्टिकोण से 5 चक्रों में चुनाव कराने का आग्रह किया है। जहां तब दिसम्बर तक के लिए समय लेने की बात जो माननीय सदस्यों ने कही है, इसमें शंका की कोई बात नहीं है, सिर्फ एहतियातन यह समय लिया जा रहा है। अगर हम 6 महीने का भी समय लें और हमारी नीयत खराब है तो आप जानते हैं कि हमारी शक्ति क्या है, जो पीछे बैठी हुई है। अगर

[श्री बलराम सिंह यादव--]

विधान सभा सत्र में होगी, तब भी हम एसेसमेन्ट कर सकते हैं और दुबारा समय बढ़ा सकते हैं और अगर विधान सभा सत्र में नहीं है तो आर्डीनेन्स लाकर भी समय ले सकते हैं और यह कहना कि सरकार की नीयत खराब है, तो इस सम्बन्ध में मैं बता देना चाहता हूं कि सरकार चुनाव जरूर करायेगी। मैं निवेदन करूंगा कि आप अपने दिमाग से शंका का भूत निकाल दें और इस विधेयक को आज पास करें।

श्री अध्यक्ष--

माननीय राजेन्द्र कुमार जी। क्या आप अपना प्रस्ताव वापस ले रहे हैं ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

जी नहीं, मान्यवर।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1982 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो एक माह के अन्दर अपना प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1982 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड 2, खंड 1, प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1982

उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, 1977 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के तैंतीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :--

संक्षिप्त नाम

1--यह अधिनियम उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) अधिनियम, 1982 कहा जायगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 15 सन 1977, की धारा 2 का संशोधन

2--उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, 1977 की धारा 2 में, उपधारा (1) में, शब्द और अंक "31 मार्च, 1982" के स्थान पर शब्द और अंक "31 मार्च, 1983" रख दिए जायेंगे।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खंड 2, खंड 1, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री बलराम सिंह यादव--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1982 पारित किया जाय ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1982 पारित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

[समय 5 बजकर 10 मिनट]

श्री अध्यक्ष--

नियम 51 में 10 सूचनायें प्राप्त हुई हैं । इसमें एक सूचना श्री राम आसरे वर्मा और श्री खैरुल बशर द्वारा दी गयी है जो कि जनपद आजमगढ़ के मऊनाथ भंजन में पुलिस द्वारा लाठी चार्ज किये जाने से उत्पन्न परिस्थिति के सम्बन्ध में है, वक्तव्य के लिये यह स्वीकार की गयी है, शेष सूचनायें अस्वीकृत हुई हैं ।

मंत्री जी, इसमें वक्तव्य कब होगा ?

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री राम रतन सिंह)--

मान्यवर, 20 मार्च को इसमें वक्तव्य करा दिया जाय ।

श्री अध्यक्ष--

वक्तव्य के लिये 20 तारीख स्वीकार की गयी है ।

ग्राम सराऊं थाना भमौरा, जनपद बरेली में हरिजन युवती, श्रीमती जयमन्ती के साथ सवर्णों एवं ग्राम बिहारीपुर में थाना अध्यक्ष, भमौरा, श्री जयपाल सिंह द्वारा बलात्कार के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य

गृह मंत्री (श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी)--

प्राप्त सूचना के अनुसार श्री चेतराम बोध पुत्र भुजा, निवासी ग्राम सराऊं, थाना भमौरा, जनपद बरेली ने एक शिकायती-पत्र दिनांक 6-8-81 जिलाधिकारी बरेली को दिया था जिसमें अन्य बातों के अलावा यह आरोप लगाया था कि दिनांक 27 मई, 1981 को शाम 7 बजे हरद्वारी लाल, श्री निवास शर्मा, गुड्डू, अशर्फी लाल, विष्णु शर्मा, राम निवास शर्मा, पहलवान, श्यामा चरन तथा भगवत शरण उसकी पुत्री श्रीमती जयमन्ती को पकड़ ले गये और उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया

[श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--]

तथा यह लोग प्रार्थी को घेरकर बैठ गये और थाने पर रिपोर्ट लिखाने नहीं जाने दिया और जबरदस्ती उसकी लड़की को उसकी ससुराल वालों को सौंप दिया। इस शिकायत-पत्र की जांच कराये जाने पर कथित बलात्कार की घटना प्रथम दृष्ट्या सही प्रतीत हुई अतः इस सम्बन्ध में प्रार्थी के शिकायती-पत्र के आधार पर थाना कोतवाली, बरेली पर मुकदमा अपराध संख्या 25, धारा 147/452/342/376, भा0 द0 वि0 के अन्तर्गत कथित अभियुक्तों के विरुद्ध दिनांक 4-2-82 को पंजीकृत होकर स्थानीय पुलिस द्वारा विवेचना प्रारम्भ कर दी गई।

जिलाधिकारी बरेली को एक और शिकायती-पत्र श्रीमती जयमन्ती के ससुर श्री हीरालाल, निवासी ग्राम बिहारी पुर, थाना अलीगंज, बरेली से भी प्राप्त हुआ था जिसमें दिनांक 16-1-82 को थानाध्यक्ष, भमौरा, श्री जयपाल सिंह द्वारा उसकी पुत्रबधू के साथ उसके घर में घुसकर बलात्कार किये जाने के आरोप लगाये गये थे। उक्त शिकायती-पत्र के आधार पर थाना कोतवाली, बरेली में दिनांक 4-2-82 को मुकदमा अपराध सं0 14, धारा 376/452 भा0 द0 वि0 श्री जयपाल सिंह, थानाध्यक्ष, भमौरा के विरुद्ध पंजीकृत होकर स्थानीय पुलिस द्वारा विवेचना प्रारम्भ कर दी गई।

मामले की गम्भीरता को देखते हुए उपर्युक्त दोनों अपराधों की विवेचना अब अपराध अनुसंधान विभाग को सौंप दी गई है।

श्री रियासत हुसैन--

श्रीमन्, इस वक्तव्य को आप देखें कि इसमें कुछ हिसाब-किताब जोड़ नहीं खा रहा है। 27 मई को पहिली घटना का होना बताया गया है जिसके लिये शिकायती पत्र 6-8-81 को जिलाधिकारी, बरेली को दिया गया। इसकी जांच के बाद जब देखा कि इनक्वायरी में साबित हो गया है तो 4-2-82 को मुकदमा नम्बर 25 रजिस्टर हो गया और फिर 4-2-82 को ही मुकदमा नम्बर 14 दूसरी घटना के बारे में उसी लड़की के मालिकान ने अंकित कराई है। तो इस तरह से दो एफ0 आई0 आर0 लाज हुई। पहली घटना की धारा 25 में और दूसरी घटना को जो दरोगा जी के खिलाफ है 4-2-82 को अपराध संख्या 14 में अंकित हुई है। यह स्टेटमेन्ट की बात कुछ समझ में नहीं आ रही है।

अनेक सदस्य--

साफ-साफ तो लिखा हुआ है, उसे देखिये।

श्री रियासत हुसैन--

कोई करेक्शन तो दिया नहीं है गृह मंत्री जी ने। जो दिया है वह हमारे सामने है और उसी को पढ़ कर हम कह रहे हैं। गृह मंत्री जी इसका क्लीयरीफिकेशन हो जाय तो फिर पूछें।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

मान्यवर, यह घटना जो सामूहिक बलात्कार की कथित घटना कही जाती है 27 मई, 1981 को सराऊं विलेज में हुई। लेकिन इसकी जो रिपोर्ट लिखाई गई वह 6-8-81 को थाने में नहीं बल्कि जिलाधिकारी, बरेली को प्रार्थना-पत्र दिया गया। तो जिलाधिकारी बरेली ने परगनाधिकारी को जांच सौंपी 6-8-81 को और जांच रिपोर्ट जो आयी यह जिलाधिकारी ने एस0 एस0 पी0 को कहा

कि यह केस है इसकी एफ0 आई0 आर0 लाज होनी चाहिए और इसलिए वह 4-2-82 को लाज हुई है। दूसरी दरख्वास्त जिलाधिकारी को दी गई जयमन्ती के ससुर ने दी कि एस0 ओ0, भमौरा ने मेरी बहू के साथ बलात्कार किया। वह भी उसी दिन आयी और उसी दिन तुरन्त दर्ज हो गई।

श्री रियासत हुसैन--

पहला मुकदमा कौन सा है। पहले जो दिया हुआ है वह या बाद वाला। दोनों रिपोर्ट कोतवाली में लिखायी गयी और पहला केस 25 का है और दूसरा 14। तो गिनती आगे बढ़नी चाहिए न कि पीछे।

श्री अध्यक्ष--

जिसका पहले हुआ वह पहले का है और जिसका बाद में आया वह बाद में हुआ।

श्री हुकम सिंह--

इसमें कुछ विसंगति सी लगती है। अगर मुकदमा एक ही दिन कायम हुआ है 4-2-82 को तो दोनों की अपराध संख्या 14/25 होती। किसी थाने में एक ही दिन इतनी संख्या में केस रजिस्टर हो जाना उचित प्रतीत नहीं होता। इसमें कुछ न कुछ गलती जरूर हुई है।

श्री रियासत हुसैन--

16-1-82 की घटना कायम की गई तो यह किस समय कायम की गयी और दूसरी जो कायम की गई है वह किस समय कायम की गई ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

यह 4-2-82 को जो एस0 ओ0 के विरुद्ध मुकदमा कायम हुआ है, वह जिलाधिकारी ने एस0 एस0 पी0 को प्रार्थना पत्र दिया एस0 ओ0 के खिलाफ। तब एफ0 आई0 आर0 लाज करायी गई।

श्री रियासत हुसैन--

टाइम होगा एफ0 आई0 आर0 में 376 का केस है।

श्री हुकम सिंह--

मेरा सवाल शायद साफ नहीं हुआ। 16-1-82 की घटना 4-2-82 को कायम हुई और अपराध संख्या 14 डाली गई। यह मुकदमा किस समय कायम किया गया और जो 27 मई, 1981 की घटना है, यह भी उसी दिन कायम की गई। तो इसकी इंदराज होगी रोजनामचे में कि किस समय कायम किया गया।

श्री अध्यक्ष--

समय तो होगा लेकिन जब किसी अपराध संख्या का नम्बर दिया गया 14 और एक का 25 तो वह दोनों कागज चाहे जब दिये गये हों, चाहे जैसे आये हों। यह जरूर है कि सारे कागज 14 के पहले और 25 के बाद लिखे गये होंगे।

श्री हुकम सिंह--

यह सम्भव नहीं है । किसी भी थाने में इतने मुकदमें दर्ज नहीं हो सकते कि 14 और 25 का फर्क हो जाये । इसलिए मैं कह रहा हूं कि इसमें कुछ न कुछ गलती जरूर है ।

गृह राज्य मंत्री (श्री राजेन्द्र त्रिपाठी)--

मान्यवर, माननीय सदस्य ने यह जानना चाहा है कि दोनों अपराधों का समय क्या है एफ0 आई0 आर0 दर्ज कराने का । माननीय सदस्य देखेंगे कि दोनों अपराधों का समय एफ0 आई0 आर0 दर्ज कराने का एक ही है । अपराध संख्या 14, 20 बजकर 15 मिनट । इसी क्रम में लिखा है, 4-2-82 । दूसरे अपराध में भी समय 20 बजकर 15 मिनट ही दर्ज है । इस सम्बन्ध में आप देख रहे हैं कि 11 का अन्तर कैसे आ रहा है तो उसी समय में जो छोटी-मोटी घटनायें वहीं पर हुई थीं, वे उसमें रखी गयीं । दोनों का समय करीब-करीब 20 बज कर 15 मिनट ही है ।

श्री रियासत हुसैन--

11 क्राइम्स बीच में हो गये ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

दर्ज करने के समय में अन्तर आना सम्भव है । एफ0 आई0 आर0 उपलब्ध है, उसमें यही अंकित है । इस सम्बन्ध में और जानकारी कर रहे हैं ।

श्री केदार नाथ सिंह--

मान्यवर, नियम 51 के अन्तर्गत मैंने सूचना दी है । एक मिनट में स्थिति साफ कर देता हूं, इससे मामला स्पष्ट हो जायेगा ।

श्री अध्यक्ष--

आप प्रश्न कीजिये ।

श्री केदार नाथ सिंह--

जब तक स्थिति नहीं समझेंगे तब तक न प्रश्न को समझ सकेंगे और न उसका उत्तर दे पायेंगे । पहले कई महीने तक दरोगा ने इस केस को दबाये रखा । जब ऊपर के अधिकारी ने जांच की और बरेली जाकर एस0 एस0 पी0 को दरखास्त दी गयी तब दबाव में आकर पहली रिपोर्ट दर्ज की गयी । इसके पहले भी एक रिपोर्ट दर्ज है जिसको छिपाया जा रहा है । तो यह चीज है मान्यवर, कि इस केस को पहले पैसा खाकर दबाने की चेष्टा की गयी । दफा 151, 160 और 116 के अन्तर्गत रिपोर्ट दर्ज हुई । इसके बाद फिर दरखास्त पड़ी । वही दरोगा फिर जांच करने गया और जांच करने के बाद फिर खुद बलात्कार कर दिया 11 बजे रात को । अब सोचिये कितना गम्भीर मामला है । उसके बलात्कार करने की जानकारी जब हम लोगों को हुई तो हमारी पार्टी के एडवोकेट, श्री उदयवीर सिंह ने इस मामले को उठाया और जब बरेली में काफी हंगामा खड़ा हुआ तो बरेली के जिलाधिकारी ने निर्देशित किया और यह मुकादमा

तथा पुराना मुकदमा दोनों एक ही रोज दाखिल हुआ। मेरा कहना यह है कि ऐसा जघन्य अपराध करने पर भी उस दरोगा को वहां से हटाया क्यों नहीं गया ? उसे बरखास्त क्यों नहीं किया गया ? जो मैंने नोटिस दी थी, उस नोटिस के आधार पर माननीय मंत्री जी ने जो वक्तव्य दिया है, वह उसको कवर नहीं करता। मान्यवर, आज भी वह डरा धमका रहा है। 10-2-82 को श्री उदयवीर सिंह का अपहरण भी इसी केस को दबाने के लिये कर लिया गया था। इस तरह के संगीन मामले में भी उसको निलम्बित क्यों नहीं किया ? एक हरिजन महिला के साथ शासन के उच्च अधिकारी द्वारा दो-दो बार बलात्कार हो, इससे बढ़ कर शर्म की बात शासन के लिये और क्या हो सकती है।

(व्यवधान)

उसे क्यों नहीं निलम्बित किया गया है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

मान्यवर, इसकी विवेचना हो रही है। उसी समय इसकी विवेचना प्रारम्भ हो गयी थी। एस0 एस0 पी0 ने इन्सपेक्टर कोतवाली से 4-2-82 को ही इसकी विवेचना शुरू करवा दी थी लेकिन इस प्रश्न की गम्भीर समस्या को ध्यान में रखते हुए 12 तारीख को यह मामला सी0 आई0 डी0 को हम लोगों ने सौंप दिया है और उसके द्वारा विवेचना हो रही है। जो भी अपराधी उसमें सामने आयेगा, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही अवश्य की जायेगी।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, आपकी अनुमति से मैं दो पंक्ति कहने के बाद सवाल करूंगा। यह मामला गम्भीर है। मेरे पास दो पत्र हैं जो हरिजनों ने डी0 एम0 को लिखे हैं। मैं समझता हूं किसी के पास पत्थर का हृदय भी होगा तो वह भी पिघल जायगा पत्रों को पढ़ कर। माननीय गृह मंत्री जी के पास पत्र नहीं है तो मुझ से कापी ले लेंगी। वह महिला हैं। मैं जानता हूं जरूर तथ्य छिपाये गये हैं वरना खुले आम इतना जघन्य अपराध कैसे हो सकता है या यूं कहूं कि हमारे समाज के अन्दर जो कलंक व्याप्त है, उसका यह परिणाम है। उस हरिजन लड़की के साथ सामूहिक रूप से बलात्कार किया गया। आपको ताज्जुब होगा कि चेत राम को 15 दिन कैद में रखा गया। यह सब पत्र में लिखा है। अन्यायी, अत्ततायी, वे भ्रष्ट लोग पुलिस से मिले हुये हैं। इसलिए पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की। आपको जानकर ताज्जुब होगा।

दूसरे पत्र में लिखा है। अपराधी दरोगा चेतराम के वहां पहुंचता है। चेत राम आंखों में आंसू भर कर कहता है कि लड़की यहां नहीं है। दरोगा उसे गाली देता है। चेत राम अपनी गर्दन आगे कर देता है कि गर्दन काट दीजिए अगर झूठ बोल रहा हूं। लड़की घर में नहीं है। दरोगा पशु हो गया था। दरोगा चेत राम को ले जाता है लड़की के मायके और वहां जो लड़की के साथ घटती है उसको मैं पढ़ नहीं सकता हूं। मैं माननीय मंत्री जी को कागजात दे दूंगा। एक जघन्य अपराध किया गया। मंत्री जी ने अपने वक्तव्य में स्वीकार किया है कि बलात्कार करना सिद्ध पाया गया। तो मैं जानना चाहता हूं, कठोर शब्दों के साथ जानना चाहूंगा कि दोनों पत्रों को पढ़ने

[श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--]

के बाद सरकार ने उस दरोगा के खिलाफ और उन आततायियों के खिलाफ जो मनुष्य रूप में पशु बन कर हरिजनों के साथ अत्याचार कर रहे हैं क्या कार्यवाही की और दरोगा को अब तक निलम्बित न करने का क्या कारण है ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

मान्यवर, माननीय सदस्य ने जो पत्र की बात कही है, वह पूरे पत्र और विवरण उपलब्ध हैं और उन्हीं पत्रों की जांच से यह स्थिति आई। जांच में प्रथम दृष्टि में दो तरह की चीजें टिप्पणी में आईं। दो अधिकारियों की अलग-अलग आख्यायें थीं। इसलिए उन आख्याओं में भेद होने के कारण इस पूरे प्रकरण पर सी० आई० डी० की जांच कराने के आर्डर किये गये और साथ ही साथ यह निश्चय किया गया है कि अगर सी० आई० डी० के लोग अपने प्रिलिमिनरी रिपोर्ट में....।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

6 महीने हो गये।

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

यथाशीघ्र, तात्कालिक रूप से वह कार्यवाही की जायगी जिसके लिए सी० आई० डी० कहेगी।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

6 महीने हो गये हैं...।

(शोर)

श्री हुकम सिंह--

इससे गम्भीर मामला कुछ हो नहीं सकता...।

श्री केदार नाथ सिंह--

सूचना मिली है कि...।

श्री मोती लाल देहलवी--

मान्यवर...।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

12 तारीख को सी० आई० डी० को दिया गया है...।

श्री केदार नाथ सिंह--

मान्यवर, विजिलेन्स की इनक्वायरी होती रहेगी, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, दबाव डालेंगे...।

श्री हरदेव--

कुछ समय पहले मधु शर्मा के साथ भी यह घटना हुई थी और जालिमों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई । जुर्मों को छुपाने से अपराध बढ़ेंगे । दरोगा हो, कोई अधिकारी हो...।

(श्री मोती लाल देहलवी का नाम पुकारे जाने पर)

जुर्म बढ़ते जा रहे हैं । बरेली की दूसरी घटना यह हो गई । बरेली में एक बार हुई थी । मधु शर्मा यहां आई थी ।

श्री अध्यक्ष--

आप बैठ जायं ..

श्री हर देव--

[× × ×]

श्री अध्यक्ष--

आप बैठ जायं । जो कुछ कह रहे हैं लिखा नहीं जाएगा ..

श्री हर देव--

[× × ×]

श्री मोतीलाल देहलवी--

अध्यक्ष महोदय, असलियत पर काफी रोशनी डाल दी गई है और आप भी मान्यवर, इस नतीजे पर पहुंचे होंगे कि जो कार्यवाही शासन को करनी चाहिए थी उस थानेदार के खिलाफ, वह दुर्भाग्यवश अभी तक नहीं हुई है । मैं जानना चाहूंगा कि मंत्री जी यह भी कहते हैं कि दोनों पत्र जो हमको द्रवित करने वाले हैं, वे उनकी फाइल में मौजूद हैं, उनको इसकी जानकारी है । साथ ही उन्होंने यह भी बताया है कि वह दरोगा मामले को दबाने के लिये लोगों को आतंकित किये हुये हैं । स्वाभाविक है कि जुर्म से बचने के लिये और जांच से बचने के लिये वह यह कार्य कर रहा हो । मैं जानना चाहूंगा कि जब ये सारे तथ्य माननीय मंत्री जी की जानकारी में हैं, तो फिर उस दरोगा को उसी स्थान पर वहां बनाये रखने का क्या औचित्य है और क्या माननीय मन्त्री जी आश्वासन देंगे कि आज ही यह आदेश कर दें कि उस थानेदार को दूसरी जगह भेज दिया जाय और तब इसकी जांच की जाय ?

(व्यवधान)

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

मान्यवर, जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा है । हम स्थानान्तरण फौरन ही कर देंगे । मैं यह भी बताना चाहती हूं कि यह मामला 12 मार्च को यानी

नोट--[× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

[श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--]

कल ही सी0 आई0 डी0 को हमने दिया है । यदि उसकी पहली रिपोर्ट में ही वह थानेदार दोषी पाया जायेगा तो हम तुरन्त कार्यवाही करेंगे ।

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, यह शासन की हरिजन विरोधी नीति है । हमें इसके खिलाफ सदन का त्याग करना है ।

(श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त अपने दल के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये ।)

श्री केदार नाथ सिंह--

इसके विरोध में हम भी सदन का बहिष्कार करते हैं ।

(श्री केदार नाथ सिंह सदन त्याग कर चले गये ।)

श्री हुकम सिंह--

हमारा दल भी इसके विरोध में सदन का त्याग करता है ।

(श्री हुकम सिंह अपने दल के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये)

(श्री कुबेर भंडारी भी वक्तव्य की प्रतियां फाड़ते हुए सदन त्याग कर चले गये)]

श्री लल्लू सिंह चौहान--

मान्यवर, मंत्री जी ने स्वयं स्वीकार किया है कि जिलाधिकारी ने कहा है कि बलात्कार किया है तो फिर निलम्बित न करने का क्या कारण है ?

श्री अध्यक्ष--

लल्लू सिंह जी, जितना स्वीकार किया है, जो सही स्थिति है वह 25वें नम्बर के लिये है ।

श्री रियासत हुसैन--

श्रीमन्, साढ़े तीन महीने के बाद एक केस रजिस्टर किया इससे पता चलता है कि बहुत गहराई से इन्क्वायरी हुई है । दूसरा 376 का रजिस्टर हुआ है, मुकदमा 476 का है । दोनो केसेज रजिस्टर होने के बाद भी थानेदार को सस्पेन्ड न करने का क्या कारण है ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

मान्यवर, माननीय सदस्य कृपा करके दो घटनाओं को एक साथ न देखें । इसमें दो घटनायें हैं, एक 16 जनवरी, 1982 की है, जिसमें थानेदार पर आरोप लगाया गया है और पहली घटना मई की है और मई की दरख्वास्त अगस्त में दी गई जिसमें उन्होंने लिखा है कि 15 दिन तक मुझे बन्द रखा गया । तो उसकी

15 दिन के बाद ही रिपोर्ट आती । उस प्रकरण की जांच दूसरी हुई । इसमें स्वीकार किया है और कुछ सत्यता मिली है । दूसरी जो जनवरी, 82 की है उसके बारे में सी0 आई0 डी0 जांच कर रही है । उसके अनुसार जो भी व्यक्ति दोषी पाया जायेगा, उसको किसी भी तरह से बचाया नहीं जायेगा ।

श्री रियासत हुसैन---

श्रीमन्, मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि दोनो घटनाओं की प्रिलिमिनेरी इन्क्वायरी डी0 एम0, एस0 पी0 द्वारा देने के बाद दोनों में 376 का केस रजिस्टर हुआ है । जैसा कि आपके पास भी पत्र गये हैं और थानेदार को दोनों घटनाओं में दोषी पाया गया है । लेकिन उसके बावजूद भी सरकार ने उस थानेदार को सस्पेंड नहीं किया । मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि यह सरकार जो अपने को हितैषी कहती है हरिजनों का और उनके अधिकारों की रक्षा करने की बात करती है । मुझे दुख है इस बात पर और मेरी जनता पार्टी सदन का त्याग करती है ।

(श्री रियासत हुसैन अपने दल के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये ।)

श्री लल्लू सिंह चौहान---

मान्यवर, यह इतना महत्वपूर्ण मामला है और इसमें कोई शीघ्रता नहीं कर रहे हैं स्वीकारोक्ति के बाद भी, उस थानेदार का तत्काल निलम्बन नहीं कर रहे हैं इसके विरोध में हम सदन का बहिष्कार करते हैं ।

(श्री लल्लू सिंह चौहान सदन त्याग कर चले गये ।)

श्री राम आसरे वर्मा---

आम तौर पर किसी अधिकारी के खिलाफ कोई मामला रजिस्टर हो जाता है तो उसे तत्काल निलम्बित किया जाता है लेकिन यहां सदन के समक्ष साफतौर पर बताने के बाद भी बलात्कारी के विरुद्ध कार्यवाही नही की गयी है । मैं इसके विरोध में सदन का बहिष्कार करता हूं ।

(श्री राम आसरे वर्मा सदन त्याग कर चले गये ।)

श्री अध्यक्ष---

मैं इसी वक्तव्य के सम्बन्ध में जो भावना व्यक्त हुई है विरोध पक्ष के सदस्यों द्वारा और शासन पक्ष के सदस्यों द्वारा समय न मिलने पर भी भावना व्यक्त की है, उससे स्पष्ट हुआ कि सदन बहुत चिंतित है । इसलिए मैं चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में बिना कोई समय खोये ही तत्काल प्रभावी कार्यवाही की जानी चाहिये ।

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी---

अवश्य किया जायेगा और कार्यवाही से आपको सूचित भी कर दिया जायेगा ।

सदन में दर्शकदीर्घा से चप्पल फेंके जाने की घटना

श्री अध्यक्ष--

अब मैं माननीय सदन के समक्ष एक जो घटना हुई आज दिनांक 13 मार्च, 1982 को अपराह्न एक बजे जब श्री दामोदर शर्मा बोल रहे थे मेरी बाईं ओर की दर्शक दीर्घा में बैठे एक व्यक्ति ने सदन की कार्यवाही में व्यवधान उत्पन्न किया था इस सम्बन्ध में मार्शल ने जो रिपोर्ट दी है वह इस प्रकार है --

आज दिनांक 13 मार्च, 1982 को अपराह्न एक बजे, जिस समय श्री दामोदर शर्मा अपना भाषण दे रहे थे, ऊपर दर्शक दीर्घा नं0 2 से एक व्यक्ति ने, जो कि अपना नाम सुभाष चन्द्र सिंह (क्रान्तिकारी), जिला बलिया का निवासी बतलाता है तथा जिसके पास से दर्शक दीर्घा की पहली पारी का श्री तारकेश्वर सिंह के नाम का माननीय राम आसरे वर्मा द्वारा जारी कराया गया प्रवेश-पत्र प्राप्त हुआ है, उसने दर्शक दीर्घा में खड़े होकर 'यह सब झूठ है' का एक नारा लगाया तथा साथ ही अपना एक चप्पल भी सदन में नीचे फेंक दिया जो कि सीटों के पीछे के गलियारे में आकर गिरा तथा किसी व्यक्ति को नहीं लगा। दीर्घा में तैनात रक्षकों ने तुरन्त ही उस व्यक्ति का मुंह बन्द कर दिया तथा उसे अपने कब्जे में करके वहां से हटा दिया। वह व्यक्ति उस समय से मार्शल की हिरासत में बैठाया हुआ है। उस व्यक्ति के पास से प्राप्त हुआ प्रवेश-पत्र संख्या 9138, दिनांक 13-3-82 संलग्न* है।

उक्त व्यक्ति अपराह्न 1 बजे से मार्शल की अभिरक्षा में है। उक्त व्यक्ति ने इस प्रकार सदन में चप्पल फेंक कर तथा नारा लगा कर सदन की कार्यवाही में व्यवधान उत्पन्न किया और सदन का अवमान किया। यह कार्यवाही सदन के प्रत्यक्ष हुई है और इस प्रकार सदन इस पर कार्यवाही करने में सक्षम है।

यह घटना यहां हुई और बहुत ही अशोभनीय घटना है। दर्शक दीर्घा में बैठ कर ऐसी बात कर देने से सदन की कार्यवाही में व्यवधान होता ही है लेकिन फिर भी ऐसी बातों को सदन की राय हो तो नजरअंदाज करना ज्यादा मुनासिब होगा बजाय इस पर सख्त कार्यवाही करने के।

श्री रियासत हुसैन--

मान्यवर, मेरा सुझाव है कि पहले आप माननीय राम आसरे वर्मा जी को सुन लें क्योंकि उसमें वर्मा जी का नाम आया है।

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, आज की जो घटना सामने आयी है, उसकी जितनी भी निन्दा की जाय, वह थोड़ी है। मेरे नाम से पास जारी किया गया श्री तारकेश्वर सिंह जी के नाम से। मैं उनसे व्यक्तिगत रूप से वाकिफ हूं। वे आजमगढ़ जनपद के कांग्रेस के महामन्त्री हैं। वे आज मेरे कमरे में आये पास बनवाने के लिए। जिस समय वे मेरे कमरे में आये, उस समय वहां पर 3 विधायक भी थे और एक प्रतिष्ठित पत्र "जागरण" के श्री बाजपेयी भी मौजूद थे। मैंने तारकेश्वर सिंह के नाम से पास जारी कराया। मैंने तो यह समझा था कि वे कांग्रेस (आई) के नेता हैं और उन पर विश्वास किया जा सकता है लेकिन उन्होंने मेरे विश्वास के

* छापा नहीं गया।

साथ धोखा किया। मैं नहीं जानता था कि कांग्रेस के लोग ऐसा ही धोखा करते हैं।

(घोर व्यवधान)

मैं इस घटना की निन्दा करता हूं और मैं विश्वास दिलाता हूं कि अपनी जानकारी में मैं किसी भी ऐसे धोखेबाज के नाम से भविष्य के लिए सिफारिश नहीं करूंगा पास के लिए।

श्री रियासत हुसैन--

मान्यवर, मुझे बड़ा अफसोस है कि आज काफी दिनों के बाद एक मर्तबा फिर एक मसला सदन के सामने उपस्थित हुआ। इसके पहले कई बार कभी हेड बिल फेंके गये, कभी नारे लगाये गये और इस प्रकार से सदन की कार्यवाही में व्यवधान डाला गया। हमेशा सदन का यही रुख रहा कि सम्बन्धित व्यक्ति दिन भर बैठा रहा और शाम को यह प्रकरण बन्द कर दिया और उस आदमी को छोड़ दिया और ऐसे मामलों को सीरियस कांसिजैन्स नहीं ली लेकिन आज इस घटना का दूसरा ही रूप है जिसको देखकर मैं ज्यादा चिन्तित हूं और मैं महसूस कर रहा हूं कि माननीय सदन और आप सबके उदारतापूर्वक जो ऐसे निर्णय रहे हैं, उनका नाजायज ढंग से फायदा उठाने की कोशिश की गयी है। मान्यवर, यह बड़ा ही कटु प्रश्न है कि गैलेरीज के अन्दर के जो गार्ड्स हैं, वे दर्शकों की तलाशी लेते हैं, देखते हैं कि उनके पास कोई लिट्रेचर तो नहीं, पुस्तक तो नहीं या हेंड बिल्स तो नहीं जिसको दर्शक सदन में फेंक दे लेकिन क्या आज से जैसे मंदिरों में बाहर जूता निकलवाया जाता है उसी प्रकार से इस डेमोक्रेसी के मंदिर में (टेम्पिल में) आने के लिए जूता भी बाहर निकलवा कर उन्हें यहां पर आने दिया जायेगा? हर आदमी जूता पहन कर आता है। इसको कोई कौन्सिल हाउस गार्ड रोक नहीं सकता है। अगर किसी की नीयत ऐसी होती है तो कितने भी प्रतिबन्ध लगा दिए जायं उसको कोई रोक नहीं सकता है। इसलिए मेरा नम्र निवेदन है कि वह आदमी कौन है किस दल का है, उससे मेरा मतलब नहीं है, केवल एक ही प्रश्न है कि अगर कोई व्यक्ति इस सदन में आकर बाधा डालेगा तो वह किस हद तक कौग्निजिबिल माना जायेगा, इसके बारे में मेरी स्पष्ट राय है कि इस सदन को दोनों ही आदमियों को, एक वह जिसने जूता फेंका और एक वह जिसने पास दिया क्योंकि वह भी उतना ही दोषी है, मेरा सुझाव है कि नेता सदन, सत्ता पक्ष के माननीय सदस्य और इस सदन की मान मर्यादा को देखते हुए इस घटना को कौग्निजिबिल माना जाय और जिस व्यक्ति ने जूता फेंका है उसको यहां पर दंडित करना चाहिये और जिसने उस अपराध को करने में सहायता दी है, जिसने वह कार्ड दिया, उसको भी नोटिस देकर माननीय सदन के सामने दंडित करना चाहिये। क्या दंड होगा, यह सत्ता पक्ष और नेता सदन के तय करने की बात है। यह सदन तो कोर्ट की शक्ल में बैठा है। दंड अवश्य दिया जाना चाहिये, यह मेरा सुझाव है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, जो घटना घटी है वह बड़ी ही चिन्ता की बात है और पार्लियामेन्टरी इंसटीट्यूशन्स की गरिमा कायम रहे इसके लिए हम सबका यह कर्त्तव्य है कि उसे नष्ट न होने दें। घटना के बारे में माननीय रियासत हुसैन साहब ने कहा, मैं उसे दोहराना नहीं चाहता। इसमें किसी गार्ड्स का भी कोई दोष नहीं है क्योंकि यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे के पास को लेकर जा रहा है तो चेक

[श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--]

करना बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि उसमें फोटो तो लगा हुआ होता नहीं है। एक व्यक्ति ने निश्चय ही सदन की गरिमा को नष्ट करने का प्रयास किया है। इसको कोई शिक्षात्मक दंड अवश्य मिलना चाहिये जिससे कि भविष्य में ऐसी घटना न हो। जनता के असन्तोष को व्यक्त करने के लोकतन्त्र में और भी तरीके हैं। इसलिए मेरा सुझाव है कि दोनों ही व्यक्तियों को जरूर सजा मिलनी चाहिये जिनके आचरण से इस आदरणीय सदन की गरिमा गिरी है और सदन की कार्यवाही में व्यवधान उत्पन्न हुआ है।

श्री पंचानन राय--

मान्यवर, जो घटना हुई वह चिन्ता का विषय निश्चित रूप से है, लेकिन माननीय वर्मा जी ने जिस रूप में उसे यहां प्रस्तुत किया, वह सही नहीं है। घनश्यामराय का मामला विरोध पक्ष ने ही उठाया था और माननीय वर्मा जी ने ही उसे यहां सदन में उठाने का प्रयास किया। जिस आदमी ने चप्पल फेंकी उसने भी उसी का नाम लेकर आवाज लगायी।

(व्यवधान)

वह आदमी पकड़ा गया। जिस काम को विरोध पक्ष वाले करना चाहते थे वह हुआ और अब वे उसे कांग्रेस पार्टी के ऊपर मढ़ना चाहते हैं। विरोध करना आपका काम है, आप करें, मगर खुद तो करने का नैतिक साहस नहीं रखते, दूसरों से पर्चा फिकवाते हैं, यह काम करवाते हैं और दोष हम पर लगाना चाहते हैं। आखिर आजमगढ़ से और भी तो कई विधायक आते हैं, वे भी कांग्रेस (आई) के व्यक्ति को पास दे सकते थे। लेकिन चूंकि विरोध पक्ष घनश्याम राय का मामला उठाना चाहता था, इसलिए उसने यह सब कराया। उसको एक दूसरे रूप में उठाया गया है। इसमें कांग्रेस पार्टी को घसीटना उचित नहीं है। इस तरह की घटनायें न हों, इसलिए उचित यही होगा कि इसे अब समाप्त किया जाय। लोकतन्त्र में अपनी बात कहने का अधिकार है, पर इस तरह से नहीं।

(व्यवधान)

श्री राम आसरे वर्मा--

मेरे ऊपर आक्षेप लगाया गया है...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

आप स्पष्टीकरण अपना बाद में दें। अभी कृपया बैठें।

खाद्य मन्त्री (श्री वासुदेव सिंह)--

अध्यक्ष महोदय, माननीय नेता विरोधी दल और दूसरे नेताओं ने जो अपने भाव इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना या जो दुर्घटना हुई है, व्यक्त किया है और जो चिन्ता उनकी है, उस चिन्ता से सरकार अपने को जोड़ती है। अब यह तो अवमान है, व्यवधान हुआ, सदन के समक्ष हुआ। यह निन्दनीय कार्य हुआ। अब अगर सदन के गौरव और गरिमा है, सदन के चलते हुए अगर उसमें कोई इधर-उधर की घटना हो जाय, तो हमको अपने विवेक से काम लेना चाहिए और मान्यवर, आप तो जानते ही हैं कि हाउस आफ कामन्स में भी, जो स्पीकर ने कई दफा संकेत किया है, उसमें यह है कि हमें यह अवमान के प्रश्न पर उदारता से काम लेना

चाहिए और छुई-मुई नहीं होना चाहिए । ऐसे शब्द छुई-मुई (सेन्सिटिव) का प्रयोग भी किया है । मान्यवर, आप जानते हैं कि वह बहुत निन्दनीय घटना है, बहुत दिनों के बाद हुई है, इसकी निन्दा होनी चाहिए । हमको चिन्ता है और हम यह जरूर देखेंगे कि यहां ऐसी घटना नहीं हो । लेकिन जो बड़े-बड़े कानून बने हैं, उसके बावजूद अपराध होते हैं, दुर्बुद्धि में होते हैं, अज्ञानता में होते हैं, जिस प्रकार से भाव जागृत होते हैं, मान्यवर, मस्तिष्क में उसके अनुसार तात्कालिक काम करने की इच्छा जागृत हो जाती है । तो मान्यवर, ने जो शुरू-शुरू में संकेत किया, उसी के अनुरूप में यह सुझाव देना चाहता हूं कि आप उनको बुलाकर प्रताड़ित कर दें और उसके बाद चूंकि वह दिन भर यहां थे, बन्दी थे, हिरासत में थे, मार्शल की हिरासत में थे, तो अब इसको यहीं समाप्त कर देना चाहिए, क्योंकि इसको तूल देने से, इसके गौरव में कोई चारचांद नहीं लगेगा । इसलिए मैं मान्यवर, के सुझाव से सहमत हूं और शासन पक्ष इस बात का हामी है कि उनको प्रताड़ित करें, आप अपने कक्ष में मार्शल के द्वारा जैसा आप समझें, और इस मर्तबा उनको छोड़ दिया जाय ।

श्री मोती लाल देहलवी--

माननीय अध्यक्ष महोदय, एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई । सदन के सामने कार्यवाही चलते समय जूता फेंक कर सदन के कार्य करने में, सदन की कार्यवाही में आघात पहुंचाया गया । जैसा कि माननीय मन्त्री जी ने इस पर चिन्ता व्यक्त की और यह कहा कि यह घटना निन्दनीय है, मान्यवर, मैं कह नहीं सकता इनको इस घटना पर अफसोस है या नहीं, लेकिन चूंकि इसमें कांग्रेस के विधायक और विशेषतौर से आजमगढ़ के विधायक ने माननीय राम आसरे जी के दिये गये पास का दुरुपयोग किया है, तो सत्ता पक्ष के लोगों द्वारा बचाव करना एक स्वाभाविक बात है ।

(व्यवधान)

श्री चन्द्रबली ब्रह्मचारी--

आजमगढ़ का कौन विधायक था, आप बताइये ।

श्री मोती लाल देहलवी--

विशेषकर आजमगढ़ के विधायकों द्वारा बचाव करना बहुत ही स्वाभाविक बात है ।

(व्यवधान)

श्री पंचानन राय--

मैंने तो कहा है कि दोनों को प्रताड़ित कर दिया जाय ।

श्री मोती लाल देहलवी--

जो बन्दी बनाये गये हैं, मान्यवर, आपने उस पीठ से एक निर्देश कर दिया, मैं आपके निर्देश का विरोध नहीं करता ।

श्री अध्यक्ष--

नहीं, नहीं । मैंने निर्देश अभी नहीं किया है । अपने विचार अभी नहीं व्यक्त किया है, कर रहा था ।

श्री मोती लाल देहलवी—

नहीं किया है, तो अच्छा है मान्यवर, लेकिन बात साफ है, यह बात सरकारी पक्ष की तरफ से आनी चाहिए थी। इससे आप भी सहमत होंगे। दूसरी बात मान्यवर, यह काम निन्दनीय तो है ही, अशोभनीय तथा चिन्तनीय भी है। मान्यवर, अगर ऐसी घटना पर प्रताड़ित नहीं किया गया, दन्डित नहीं किया गया, तो इससे घटना की पुनरावृत्ति हो सकती है।

इसलिये मान्यवर, मैं आग्रह करूंगा और सादर आग्रह करूंगा और माननीय राम आसरे वर्मा ने तो कहा नहीं कि इसको छोड़ दिया जाय, चाहे वह माननीय राम आसरे वर्मा के घर का व्यक्ति हो या उनका भाई हो, विरोध पक्ष की मांग हो रही है और मैं भी आग्रह कर रहा हूं कि जो भी हो जिसने पास का दुरुपयोग किया और जिसने जूता फेंका है इन दोनों को दन्डित किया जाय और इसका अधिकार आपको है, इस सदन को है। हम सभी आग्रह कर रहे हैं कि इस प्रकार की पुनरावृत्ति रोकने के लिये कठोरतम दन्ड देना चाहिये।

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, अभी माननीय पंचानन राय ने दो बात कही। एक तो नैतिक साहस को ललकारा है। मैं यह बता देना चाहता हूं कि घनश्याम के आमरण अनशन के बारे में मामला मैंने इस सदन में उठाने की कोशिश की और एक बार नहीं दो बार। लेकिन मान्यवर, राम आसरे वर्मा और घनश्याम का सम्बन्ध अनशन के मसले तक था। वह इनकी पार्टी के कर्मठ कार्यकर्त्ता रहे हैं जिस तरह से आपने मेरे साहस को ललकारा है, उसी तरह से आप में साहस हो तो मानना चाहिये कि आपकी पार्टी के लोग इस तरह से करते हैं। दूसरी बात, आपने कहा कि जो पास दिया तारकेश्वर सिंह के नाम वह झूठा प्रतीत होता है। यह किस आधार पर कह रहे हैं जब कि मैंने जिन लोगों की मौजूदगी में तारकेश्वर सिंह को पास दिया, बता रहा हूं। दूसरी चीज मान्यवर, पास जारी करने का फार्म उनकी हैन्ड राइटिंग में है और दस्तखत मेरे हैं। अगर अब भी माननीय पंचानन राय को गलत लगता है तो मैं चाहूंगा कि पंचानन राय जी जानकारी कर लें कि आजमगढ़ के महामन्त्री हैं सत्ता पार्टी के हैं, अगर ऐसे लोगों पर विश्वास न किया जाय तो मैं नहीं समझ पाता हूं कि किसके ऊपर विश्वास किया जाय।

(श्री हरदेव के खड़े होने पर एवं हाथ जोड़ने पर)

श्री अध्यक्ष—

हाथ जोड़ना बन्द करें। आप माननीय सदस्य हैं हाथ जोड़ने का क्या ढंग है ?

श्री हरदेव—

इस घटना में तीन बातें मेरे सामने आयी हैं। एक तो माननीय राम आसरे वर्मा ने जब जन-प्रतिनिधि आजमगढ़ के मौजूद थे तो पास दिया, दूसरी बात यह हुई कि उस व्यक्ति ने निन्दनीय काम किया और दूसरा व्यक्ति गलत पास लेकर आया। इसमें इनको कठोर सजा मिलनी चाहिये यह मेरा अनुरोध है।

श्री अध्यक्ष—

मैंने आपके समक्ष इस घटना की रिपोर्ट जो मार्शल ने दी थी, पूरी रिपोर्ट आपके समक्ष रखा। इस सन्दर्भ में मैंने यह भी कहा कि ऐसी बातों को बहुत

महत्व नहीं देना चाहिये । शायद सदन सहमत हो नजरन्दाज करदे, इतना हम कह पाये थे कि मैंने स्वतः अपने को रोक लिया और माननीय रियासत हुसैन, माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त, माननीय पंचानन राय, माननीय मोती लाल देहलवी, माननीय राम आसरे वर्मा और माननीय वासुदेव सिंह को सुना...

एक सदस्य—

हर देव को सुना ।

[समय 6 बजे]

श्री अध्यक्ष—

हरदेव ने सुनाया हमको । माननीय राम आसरे वर्मा ने जो कहा उनकी इस बात से, शायद जो हम कहते । उन्होंने स्वतः कहा कि इस तरह पास वे देने की बात नहीं करेंगे । इतने पर, अपने पर संतुलन रखें और ध्यान रखें पास देते समय तो बहुत सी समस्यायें हल हो सकती हैं । माननीय रियासत हुसैन, माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त, माननीय मोती लाल देहलवी और दूसरे अन्य माननीय सदस्य जिन्होंने इस पक्ष में कहा कि कठोर से कठोर दन्ड देना चाहिये, उनकी बात को सुना । श्री वासुदेव सिंह ने विचार व्यक्त किया कि नजरन्दाज करना ठीक है । यह सदन की गरिमा की बात है । श्री रियासत हुसैन के जजबात को मैं स्वतः अनुभव कर रहा हूं । यह सही है कि इतनी तलाशी नहीं ली जा सकती है कि जूते और चप्पल की तलाशी ली जाय । अन्य उद्धरण दिया गया कि जो कार्यवाही की गयी वह समुचित नहीं है ।

तो मैं कहना चाहता हूं कि हमारा कठोरतापूर्वक कार्यवाही करने का जो अधिकार है, वह भी इतना बड़ा अधिकार नहीं है कि उससे लोग दहल और डर जायेंगे । तो ऐसी स्थिति में माननीय सदन की सहमति पर ही दन्ड निर्भर है । इसलिये माननीय सदन अपनी उदारता को छोड़कर कठोरता अपनाये कि किसी व्यक्ति ने उद्दण्डता किया है और भविष्य में न करे, उसके कारण समुचित कठोर दन्ड दे देंगे और भविष्य में फिर ऐसा नहीं होगा । तो जैसा कहा कि कठोर दन्ड भी कठोर नहीं है कि जिससे उसको रोका जा सके और उदारता होने पर हो सकता है कि इस प्रक्रिया में कमी हो । बहरहाल दोनों विचार आपके सामने सदन में हैं । उनको पकड़े हुये 5 घंटे हो रहे हैं और वह हिरासत में हैं । सत्ता पक्ष की तरफ से माननीय वासुदेव सिंह ने जो विचार रखा कि यदि यह सदन सहमत हो, जो दंड इतना दिया कि वह 5 घंटे हिरासत में रहा, उसे दंड समझकर, यह प्रकरण समाप्त कर दिया जायं और दूसरा है कि कठोर दन्ड दिया जाय । इसलिये मैं चाहता हूं कि सर्व सम्मति से निर्णय ले लें और एक बार पुनः उदारता का परिचय दे दें और भविष्य में जो घटना होगी उसके सम्बन्ध में जो कहेंगे उसको देखा जायेगा ।

श्री रियासत हुसैन—

मान्यवर, मुझे दुख है कि एक ऐसे मसले को जिसमें पूरे सदन का अपमान और सम्मान का सम्बन्ध है, उसमें इस समय कोई किसी पक्ष और पार्टी की हैसियत से हम नहीं बैठे हैं । पूरा सदन अदालत है और उस हैसियत से हम विचार कर रहे हैं । अब यह मामला, यदि हम ले जायें कि सदन की यह मान मर्यादा रह गयी कि सदन जूते खाये, तो मुझे तसलीम नहीं है । यह सदन सत्ता पक्ष

[श्री रियासत हुसैन--]

समझता है कि सदन की मर्यादा नारों तक रहे लेकिन इस स्टेज तक खामोश होकर देखते रहेंगे तो मान्यवर, मैं इससे सहमत नहीं हूं ।

श्री दूध नाथ राजभर--

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का सवाल है कि दोनों तरफ से आपने विचार सुन लिया और आपने आग्रह कर दिया माननीय सदन से, तो उसके बाद किस धारा के अनुसार यह फिर से बहस शुरू हो रही है ।

श्री अध्यक्ष--

आप बैठ जायं ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, आप द्वारा जो आदेश हो वह शिरोधार्य है । लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि इसमें एक गड़बड़ी हो रही है कि माननीय खाद्य मंत्री ने जो संकेत किया है वह और आप द्वारा जो संकेत किया गया है उसमें भिन्नता है । आपने कठोरता का रूप लिया और कहा कि 5 घंटे हिरासत में वह रहा, यह दंड मान लिया जाय । लेकिन खाद्य मंत्री जी ने जो वक्तव्य दिया जो प्रस्ताव की शकल में नहीं था तो अगर उसके बयान को प्रस्ताव के रूप में मान लें तो उसमें उन्होंने क्षमा की बात कही है । यह बात कही गयी कि 5 घंटे हिरासत में रहा । तो मैं कहना चाहता हूं कि यह 5 घंटे जो हिरासत में वह रहा यह दंड नहीं है । तो मैं पहले शासन से सफाई चाहूंगा कि शासन की ओर से क्या प्रस्ताव है तब हम अपनी मत व्यक्त करना चाहेंगे ।

श्री वासुदेव सिंह--

अध्यक्ष महोदय, यह जो घटना आज दुर्भाग्यपूर्ण हुयी तो उसके प्रति शासन को कम चिंता नहीं है । हम यह जानते हैं कि विरोध पक्ष जो बात कह रहा है इसमें विरोध का या शासन का कोई हित अंतर्निहित नहीं है । सदन के मामले में कोई सत्ता और विपक्ष को अलग-अलग करके हमको नहीं चलना चाहिये । इस मामले को एक होकर देखना चाहिये कि सदन कैसे चले । दूसरा प्रश्न यह है कि अभी जो माननीय रियासत हुसैन साहब ने कहा कि कठोरता बरती जाय, ठीक है, हम भी चाहते हैं । अगर विरोधी दल कठोर उपायों का हामी है तो बहुत कठोरता के काम जो शासन पक्ष की तरफ से होते हैं उनके लिये आलोचनात्मक भी हुआ करते हैं । अब प्रश्न यह है कि अभी तक वह हिरासत में है । एक दंड यह भी है कि मार्शल की हिरासत में वह रहा है और मार्शल के जरिये से प्रताड़ित करके आप उसको छोड़ दें यह भी एक दंड है । माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त ने शासन के निर्णय और कथन के प्रति थोड़ा संकेत किया जो यथार्थ के सर्वथा अनुकूल नहीं है । जैसा कि श्रीमन् ने कहा, यह बात संसदीय परम्परा में बहुत महत्व रखती है कि पीठासीन अधिकारी और स्पीकर अवमानकारी मामलों में ज्यादा संवेदनशील होते हैं और उनकी निरपेक्ष राय हम सबके लिये मान्य होनी चाहिये । अब प्रश्न यह है कि ऐसी घटनाओं को अगर हम ऐसे जाने देंगे तो पुनरावृत्ति होगी । तो सदन की गरिमा ज्यादा क्षमा में है । यह जो क्षमामूलक मनोभाव है यह वर्णनीय है । मैं निवेदन करूंगा कि हमने पढ़ा है । शेक्सपियर ने कहा है :--

रेयरर वर्च्यू कनसिस्ट इन फारगिवनस दैन इन वेन्जियंस क्षमा के जरिये अगर अपने कर्म के प्रति प्रायश्चितवान बन सकें तो यह सदन की गरिमा में ज्यादा अभिवृद्धि करेगा । मैं समझता हूं कि सब चीजों को लेकर हमारे शासन का दृढ़ मत है कि उसको श्रीमन्, मार्शल के द्वारा प्रताड़ित करके छोड़ दिया जाय ।

बहुत बातें ऐसी होती हैं जो उकसाने पर लोग कर देते हैं। जो मृत्यु दंड पाता है उसके भी मोटिव (नीयत) में जाया जाता है। तो मैं समझता हूं कि जितनी सजा उसने भोगी है, 5 घंटे का जितना भी हिरासत में रहा यह दंड है उसको काफी समझा जाना चाहिये और उसको अवमुक्त कर दिया जाय। अगर प्रस्ताव के रूप में चाहें तो प्रस्ताव के रूप में हम दे सकते हैं। श्रीमन्, हिरासत में रहते हुये वह दंड भोग चुका है, मार्शल द्वारा प्रताड़ना देने के बाद उसे छोड़ दिया जाय।

श्री रियासत हुसैन--

जी नहीं, उसको इनाम दे दें।

श्री बासुदेव सिंह--

इनाम आप लोग दे दें।

मान्यवर, सदन की मान मर्यादा किसी भी पार्टी से ऊपर होती है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

'प्रताड़ना' शब्द का स्पष्टीकरण नियमावली में दिया नहीं है, उसे साफ कर दें।

श्री अध्यक्ष--

अब मैं सदन के समक्ष, यह सारी बातें और सारे विचार, जो व्यक्त हो चुके हैं, रखते हुए यह प्रश्न उपस्थित करता हूं कि यदि सदन सहमत हो तो वह व्यक्ति, जो मार्शल की अभिरक्षा में जितनी देर रह चुका है, उसे उसके अपराध का पर्याप्त दंड मानकर रिहा कर दिया जाय।

(सदन द्वारा सहमति प्रदान की गयी।)

श्री अध्यक्ष--

अब हम उठते हैं, 15 तारीख को 11 बजे फिर मिलेंगे।

(इसके बाद सदन 6 बजकर 13 मिनट पर सोमवार, 15 मार्च, 1982 के दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ :
13 मार्च, 1982

सत्य प्रिय सिंह,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

पी0 एस0 यू0 पी0--24 एल0 ए0--17-8-83--835 (पी0 डी0